रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2009/भाद्र 9, 1931
No. 165] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2009/BHADRA 9, 1931

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2009

सं. फा. 51-1/2009-राअशिप (मा तथा मा).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के खंड 32 के उप-खंड (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [मान्यता, मानदंड और क्रियाविधियां] विनियम, 2007 को प्रतिस्थापित करते हुए निम्न विनियम बनाती है, यथा :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता और प्रवर्तन**

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं**

इन विनियमों में, जब तक कि प्रसंग की दृष्टि से अन्यथा अभिप्रेत न हो यहां प्रयुक्त तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जोकि उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है ।

3. **प्रयोज्यता**

ये विनियम संस्थानों की मान्यता, नए कार्यक्रम की शुरूआत तथा मौजूदा कार्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा तत्संबंधी विषयों के लिए मानदंडों और मानकों को कवर करते हुए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित सभी विषयों पर लागू होंगे ।

4. **पात्रता**

निम्न श्रेणियों के संस्थान इन विनियमों के अधीन अपने आवेदन-पत्रों पर विचार कराए जाने के लिए पात्र हैं :—

(1) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन स्थापित संस्थान;

(2) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्त पोषित संस्थान;

(3) सभी विश्वविद्यालय, जिनमें सम-विश्वविद्यालय के रूप में स्थिति अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन इस प्रकार मान्यताप्रदत्त अथवा घोषित संस्थान शामिल हैं;

(4) उपयुक्त विधि के अधीन पंजीकृत 'अलाभकारी' सोसायटियों और न्यासों द्वारा स्थापित तथा संचालित स्व-वित्तपोषी शैक्षिक संस्थान

IndiaCode.nic.in

966

5. **आवेदन-पत्र तैयार करने का तरीका और समय-सीमा**

(1) विनियम 4, के अधीन पात्र और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने का इच्छुक संस्थान मान्यता के लिए आवेदन-पत्र, तीन प्रतियों में प्रक्रिया शुल्क और आवश्यक कागजात सहित राअशिप की संबंधित क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत करेगा।

(2) निर्धारित फार्म राअशिप की वेबसाइट www.ncte-india-org से डाउनलोड किया जा सकता है।

(3) आवेदन-पत्र प्रक्रिया शुल्क सहित अनिवार्यतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध आनलाइन विधि से इलेक्ट्रानिक ढंग से प्रस्तुत किए जाएं। तथापि, आनलाइन पद्धति से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय, आवेदन की आनलाइन प्रस्तुति के तत्काल बाद आवेदन-पत्र तथा अपेक्षित दस्तावेज, तीन प्रतियों में संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय में अलग से प्रस्तुत किए जाएंगे अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजे जाएंगे।

आनलाइन आवेदन करने वाले संस्थानों को फार्म के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।

(4) सभी दृष्टियों से पूरी तरह भरे हुए आवेदन-पत्र जिस शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता मांगी जा रही है उससे पिछले वर्ष में सितंबर के पहले दिन से लेकर अक्तूबर के 31वें दिन तक की अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रीय समिति में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

आगे यह शर्त और है कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख की शर्त अध्यापक शिक्षा के किसी ऐसे नवाचारी कार्यक्रम के मामले में लागू नहीं होगी जिसके लिए राअशिप द्वारा अलग से मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं।

(5) वर्ष में अक्तूबर के 31वें दिन को या इससे पूर्व प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए कार्रवाई की जाएगी और प्रदान की गई अथवा नामंजूर की गई मान्यता के रूप में अंतिम निर्णय आगामी वर्ष की मई के 15वें दिन या उससे पूर्व प्रार्थी संस्थान को सूचित कर दिया जाएगा।

6. **प्रक्रिया शुल्कः-**

कोई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने अथवा कार्यक्रम में अथवा किसी मौजूदा कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि किए जाने के लिए मान्यता की मंजूरी से संबंधित आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने के लिए प्रार्थी संस्थानों द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप नियमावली, 1997 के नियम 9 के अधीन यथानिर्धारित प्रक्रिया शुल्क सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में तथा उस शहर में जिसमें संबंधित क्षेत्रीय समिति स्थित है देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनाए गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय होगा। प्रार्थी संस्थान अपना प्रक्रिया शुल्क राअशिप द्वारा अधिसूचित नामित बैंकों में आनलाइन भी जमा करा सकते हैं।

7. **आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई**

(1) प्रार्थी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि आनलाइन पर प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र तथा नीचे निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों की हार्डकापी सहित सभी दृष्टियों से पूरे हों। तथापि, प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में अनजाने में किसी भूल अथवा कमी रह जाने के मामले में क्षेत्रीय समिति का कार्यालय आवेदन-पत्र की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इन कमियों की

967

सूचना देगा और प्रार्थी संस्थान कमियों की, यदि कोई हो तो सूचना देने वाले पत्र की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उन कमियों को दूर कर देगा।

i. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र-तीन प्रतियों में;

ii. समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप नियमावली, 1997 के नियम 9 के अधीन यथाउपबंधित प्रक्रिया शुल्क;

iii. स्थायी निधि तथा आरक्षित निधियों के लिए क्रमशः 5.00 लाख रुपए और 3.00 लाख रुपए की सावधि जमा रसीद;

iv. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए भूमि के पंजीकरण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति;

v. सक्षम सिविल प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग प्लान;

vi. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए भूमि प्रयोग में बदलाव के प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति;

vii. ओथ कमिश्नर अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित 100 रुपए के स्टांप पेपर पर निर्धारित फार्म में शपथ-पत्र जिसमें भूमि की वास्तविक स्थिति (गांव, जिला, राज्य आदि), कब्जे में समग्र क्षेत्र, भूमि का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति तथा कब्जे की विधि अर्थात स्वामित्व या पट्टा का वर्णन किया गया हो।

(1 ए) आनलाइन प्रस्तुत किए गए ऐसे आवेदन-पत्र जिनके बाद में ऊपर (i) से लेकर (vii) तक निर्दिष्ट दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा दस्ती तौर पर 7 दिन के भीतर आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता उसे अधूरा माना जाएगा और उसे लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए नामंजूर कर दिया जाएगा तथा आवेदन-पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया शुल्क सहित प्रार्थी संस्थान को लौटा दिया जाएगा।

(1 बी) आवेदन-पत्र में कोई गलत जानकारी देने या ऐसे तथ्यों को छिपाने जिनका निर्णय लेने की प्रक्रिया अथवा मान्यता प्रदान करने से संबंधित निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है, उसके फलस्वरूप प्रबंधक वर्ग के खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकती है, मान्यता रद्द किए जाने संबंधी आदेश, संस्थान को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद पारित किया जाएगा।

(2) क्षेत्रीय समिति के कार्यालय द्वारा संस्थान (संस्थानों) द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति सहित, आवेदन-पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, क्षेत्रीय समिति में प्राप्त मूल आवेदन-पत्र की प्राप्ति के कालक्रमानुसार एक लिखित पत्र संबंधित राज्य सरकार अथवा संघशासित प्रशासन को भेजा जाएगा।

(3) पत्र प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय के आवेदन-पत्रों पर राज्य सरकार को पत्र जारी किए जाने की तारीख के 45 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें अथवा टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा। यदि राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र मान्यता दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं तो वह आवश्यक आंकड़ों सहित विस्तृत कारणों अथवा आधार प्रस्तुत करेगा जिन पर संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा आवेदन-पत्र का निपटान करते समय विचार किया जाएगा।

(4) यदि राज्य सरकार की सिफारिश राज्य सरकार को जारी किए गए पत्र की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित क्षेत्रीय समिति राज्य सरकार को एक स्मरण पत्र भेजेगी जिसमें प्रस्ताव के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को स्मरण पत्र जारी

किए जाने की तारीख से 30 दिन का और समय दिया जाएगा। इसके बाद इस अवधि की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार की सिफारिश सहित यदि प्राप्त हुई हो तो इस मामले को क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्षेत्रीय समिति के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की कार्रवाई को राज्य सरकार से टिप्पणियां अथवा सिफारिशें प्राप्त न होने के आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार की सिफारिशों अथवा स्वयं अपने गुणदोष के आधार पर विचार करने के बाद संबंधित क्षेत्रीय समिति इस आशय का निर्णय लेगी कि क्या विशेषज्ञों के एक दल द्वारा, जिसे निरीक्षण दल कहा जाएगा संस्थान का निरीक्षण किया जाएगा जिससे कि पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में संस्थान की तत्परता के स्तर का जायजा लिया जा सके। ऐसा निरीक्षण संस्थान की सहमति के अध्यधीन नहीं होगा, बल्कि निरीक्षण कराए जाने का क्षेत्रीय समिति का निर्णय इस निदेश के साथ संस्थान को सूचित किया जाएगा कि क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र की तारीख के 10 दिन बाद किसी भी दिन संस्थान का निरीक्षण किया जाएगा। क्षेत्रीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा निरीक्षण संस्थान को भेजे गए उसके पत्र की तारीख के सामान्यतः 30 दिन के भीतर कर लिया जाए। संस्थान से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निरीक्षण के समय निरीक्षण दल को राअशिप की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र में विधिवत रूप से भरकर सक्षम सिविल अधिकारी द्वारा ज़ारी किए गए भवन पूर्ति प्रमाण-पत्र सहित, यदि वह पहले प्रस्तुत न किया गया हो आधारिक सुविधाओं से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

क्षेत्रीय समिति ऐसे निरीक्षणों का आयोजन निरीक्षण के लिए समिति द्वारा अनुमोदित मामलों के लिए आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख के सर्वथा कालक्रमानुसार करेगी।

निरीक्षण के लिए निरीक्षण दल के सदस्यों का निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों के पैनल में से तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की निरीक्षण दल की नीति के अनुसार किया जाएगा।

(5) विशेषज्ञों के दल द्वारा संस्थान के निरीक्षण के समय संबंधित संस्थान निरीक्षण की इस ढंग से वीडियोग्राफी की व्यवस्था करेगा कि सभी महत्वपूर्ण आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाएं तथा प्रबंधक वर्ग और संकाय के साथ वैचारिक आदान-प्रदान वीडियोग्राफ किया जाए, यदि वह ऐसे निरीक्षण के समय उपलब्ध हो। जहां तक संभव होगा निरीक्षण दल उसी दिन वीडियोटेपों सहित अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप देगा और उसे कूरियर कर देगा।

शर्त यह है कि वीडियोग्राफी भवन, उसके पास-पड़ोस, पहुंच मार्ग तथा क्लासरूमों, प्रयोगशालाओं, संसाधन कक्षों, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय आदि सहित महत्वपूर्ण आधारिक सुविधाओं का बाहरी दृश्य प्रस्तुत करेगी। निरीक्षण दल यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियोग्राफी सतत रूप में की जाए। वीडियोग्राफी की अंतिम असंपादित प्रति रिकार्डिंग के तत्काल बाद उनके सुपुर्द कर दी जाए और सीडी के रूप में इसका रूपांतरण निरीक्षण दल सदस्यों की उपस्थिति में किया जाए।

आगे यह भी शर्त है कि नए पाठ्यक्रमों अथवा मौजूदा पाठ्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए निरीक्षण के समय निरीक्षण दल ऐसे मौजूदा अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए, जिनके संबंध में राअशिप ने मान्यता प्रदान कर रखी है, सुविधाओं का सत्यापन करेगा और साथ ही मौजूदा पाठ्यक्रमों के संबंध में विनियमों और मानदंडों तथा मानकों की पूर्ति और अनुरक्षण की बाबत पता करेगा।

(6) आवेदन-पत्र और निरीक्षण दल की वीडियोटेपों अथवा सीडी आदि सहित रिपोर्ट विचार किए जाने और उपयुक्त निर्णय लिए जाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति के सामने प्रस्तुत की जाएगी।

(7) किसी संस्थान को मान्यता प्रदान करने अथवा अनुमति दिए जाने के बारे में क्षेत्रीय समिति इस संबंध में अपनी संतुष्टि करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी कि संस्थान एनसीटीई अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अधीन राअशिप द्वारा निर्धारित सभी शर्तें जिनमें संबंधित अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंड और मानक शामिल हैं की पूर्ति करता है।

(8) मान्यता प्रदान करने के मामले में क्षेत्रीय समितियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993, समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली, 1997 तथा राअशिप अधिनियम, 1993 के अधीन बनाए गए विनियमों जिनमें विभिन्न शिक्षा अध्यापक कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक शामिल हैं, की सीमा के भीतर कठोरता से कार्रवाई करेगी और उनके संबंध में किसी तरह की ढील नहीं बरतेगी। क्षेत्रीय निदेशक, जोकि क्षेत्रीय समितियों के संयोजक होते हैं, क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि राअशिप अधिनियम, नियमावली और विनियमों के, जिनमें विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंड और मानक शामिल हैं संगत प्रावधान क्षेत्रीय समिति की जानकारी में ला दिए जाएं जिससे कि क्षेत्रीय समिति उपयुक्त निर्णय ले सके।

(9) संबंधित संस्थान को शैक्षणिक सत्र के शुरू किए जाने से पहले अर्हताप्राप्त संकाय सदस्यों की नियुक्ति के अध्यधीन एक आशय-पत्र के माध्यम से मान्यता अथवा अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में सूचित किया जाएगा। इस खंड के अधीन जारी किया गया आशय-पत्र राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाएगा बल्कि संस्थान तथा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय को इस अनुरोध के साथ भेजा जाएगा कि राज्य सरकार अथवा यूजीसी अथवा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार योग्य स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए तथा संस्थान को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सहायता प्रदान की जाए कि राअशिप के मानदंडों के अनुसार स्टाफ अथवा संकाय की नियुक्ति दो महीने के भीतर कर ली जाए। संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथाअनुमोदित संकाय की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।

(10)(i) सभी प्रार्थी संस्थान क्षेत्रीय समिति से उपविनियम (9) के अधीन यथाउपबंधित आशय पत्र की प्राप्ति के तत्काल बाद राअशिप और तदनुरूपी क्षेत्रीय समिति की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक सहित स्वयं अपनी वेबसाइट शुरू करेंगे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संस्थान, इसके स्थान, जिस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका नाम तथा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, भूमि, भवन, कार्यालय, क्लासरूमों जैसी भौतिक सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं अथवा साधनों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसी अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा उनके प्रस्तावित शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ आदि के फोटोग्राफ सहित, ब्यौरे, अध्यापक प्रशिक्षकों की पैन-संख्या अथवा विशिष्ट पहचान संख्या जहां कहीं इस तरह की संख्या राअशिप द्वारा जारी की गई हो, सभी संबंधितों की जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। निम्न से संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी:

(क) संस्थान में वार्षिक आधार पर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या सहित स्वीकृत कार्यक्रम।

(ख) संकाय और स्टाफ के पूरे नाम, जिस रूप में उनका उल्लेख स्कूल प्रमाण पत्र में किया गया हो साथ ही उनके अर्हताएं और वेतनमान एंवम फोटोग्राफ।

(ग) ऐसे संकाय सदस्यों के नाम जिन्होंने पिछली तिमाही में संस्थान छोड़ दिया हो अथवा संस्थान में कार्यभार संभाला हो।

(घ) मौजूदा सत्र में दाखिल किए गए छात्रों की अर्हता, अर्हक परीक्षा अथवा प्रवेश परीक्षा में यदि कोई हुई हो तो अंकों की प्रतिशतता सहित उनके नाम, दाखिले की तारीख आदि।

(ङ) छात्रों से ली गई फीस।

(च) उपलब्ध आधारिक सुविधाएं।

(छ) पिछली तिमाही में जोड़ी गईं सुविधाएं।

(ज) पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, मंगाई जाने वाली पत्रिकाओं की संख्या तथा पिछली तिमाही में वृद्धियां यदि कोई हुई हों तो।

(झ) संस्थान् यदि चाहे तो अतिरिक्त संगत जानकारी प्रदर्शित कर सकता है।

(ii) वेबसाइट पर कोई गलत या अधूरी जानकारी देने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

(11) उपविनियम (9) के प्रावधानों के अनुसार तथा उपविनियम (10) के अधीन शर्तों की पूर्ति करने पर अपेक्षित संकाय अथवा स्टाफ की नियुक्ति कर लेने के बाद संबंधित संस्थान संबंधित क्षेत्रीय समिति को औपचारिक रूप से यह सूचित कर देगा कि राअशिप के मानदंडों के अनुसार संकाय की नियुक्ति कर ली गई है और उसे संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। संस्थान द्वारा यह प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित कि स्थायी निधि तथा आरक्षित निधि के एफडीआर को संयुक्त लेखे में बदला जा चुका है, संकाय के चयन अथवा नियुक्ति के लिए अनुमोदन मंजूर करने वाला पत्र भी क्षेत्रीय समिति को भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधित क्षेत्रीय समिति मान्यता का एक औपचारिक आदेश जारी करेगी जोकि राअशिप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

(12) जिन मामलों में क्षेत्रीय समिति निरीक्षण दल की रिपोर्ट तथा रिकार्ड पर उपलब्ध अन्य तथ्यों पर विचार करने के बाद इस मत की हो कि संस्थान पाठ्यक्रम शुरू अथवा आयोजित करने अथवा दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के संवर्द्धन के लिए अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता तो ऐसे संस्थान को कमियां दूर करने अथवा निरीक्षण के लिए कोई और मौका प्रदान नहीं किया जाएगा तथा क्षेत्रीय समिति का निर्णय अंतिम होगा जिसके विरुद्ध संस्थान राअशिप अधिनियम के खंड 18 के अधीन अपील दायर कर सकता है।

(13) निरीक्षण दल विशेषज्ञों के नामों सहित संस्थानों की निरीक्षण रिपोर्टें उनके ऊपर क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार कर लिए जाने के बाद संबंधित क्षेत्रीय समिति की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

8. मान्यता प्रदान करने के लिए शर्तें

(1) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए संस्थान को राअशिप द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों और मानकों से संबंधित सभी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अन्य भौतिक आधारिक सुविधाओं, शिक्षण और गैर-शिक्षण कार्मिकों सहित अर्हताप्राप्त स्टाफ आदि से संबंधित स्थितियां शामिल होंगी।

(2) शुरू में संस्थान के मामले पर विशेष अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंडों और मानकों में यथानिर्धारित बुनियादी इकाई के लिए केवल एक पाठ्यक्रम के संबंध में मान्यता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

(3) संस्थान, संबंधित पाठ्यक्रम के तीन शैक्षणिक सत्र पूरा कर लेने के बाद किसी अतिरिक्त पाठ्यक्रम की केवल एक बुनियादी इकाई के लिए अथवा मौजूदा मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम की किसी अतिरिक्त इकाई के लिए आवेदन कर सकता है जिसके संबंध में संस्थान तीन शैक्षणिक सत्रों की समाप्ति के बाद परवर्ती वर्ष में आवेदन-पत्र जमा करने की निर्धारित तयशुदा तारीख से पूर्व आवेदन-पत्र जमा कराएगा। किसी भी संस्थान में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या सभी पाठ्यक्रमों पर विचार करते हुए, साथ ही दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्थिति में 300 से अधिक नहीं होगी।

(4) किसी संस्थान को शिक्षा में मास्टर तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर के नए पाठ्यक्रम के लिए तथा शिक्षा में स्नातक, शारीरिक शिक्षा में स्नातक, शिक्षा में मास्टर तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन करने की अनुमति तभी होगी जबकि उसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा कम से कम ग्रेड बी के रूप में प्रत्यायित किया जा चुका हो।

(5) जिस संस्थान को विनियम, 2005 अर्थात 2006 की जनवरी के 13वें दिन के प्रख्यापन के बाद शिक्षा में स्नातक तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातक, अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि मंजूर की गई है, उन्हें अपने आपको राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के साथ 2010 की अप्रेल के पहले दिन

या इससे पहले एनएएसी द्वारा तैयार की गई नई क्रम-निर्धारण प्रणाली के अधीन ग्रेड बी सहित प्रत्यायन कराना होगा अन्यथा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में जो वृद्धि मंजूर की गई है वह शैक्षणिक सत्र 2010-2011 से समाप्त कर दी जाएगी। इसी प्रकार शिक्षा में मास्टर तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर पाठ्यक्रम चलाने वाले सभी संस्थानों को 1 अप्रैल, 2012 को या इससे पहले कम से कम ग्रेड बी के रूप में एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करना होगा जिसके न किए जाने की स्थिति में संस्थानों को प्रदान की गई शिक्षा में मास्टर तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम की मान्यता शैक्षणिक सत्र 2012-13 से समाप्त समझ ली जाएगी।

(6) शिक्षा में मास्टर तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर पाठ्यक्रमों के लिए और शिक्षा में मास्टर तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर में दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए इन विनियमों के लागू होने की तारीख को या उससे पूर्व प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर दिनांक 10 दिसंबर, 2007 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधियां) विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा। तथापि, उपविनियम (5) के प्रावधान उनके मामले में भी लागू होंगे।

(7)(i) इन विनियमों के अधीन किसी भी संस्थान को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि संस्थान का प्रायोजन करने वाले संस्थान अथवा सोसायटी के पास आवेदन की तारीख को आवश्यक भूमि का कब्जा न हो। सभी प्रकार के ऋण-भार से मुक्त इस तरह की भूमि या तो मालिकाना आधार पर या किसी सरकार अथवा सरकारी संस्थान से कम से कम 30 वर्ष के पट्टे पर होनी चाहिए। जिन मामलों में संबंधित राज्य अथवा संघशासित प्रशासन विधियों के अधीन अधिकतम अनुमत्य अवधि 30 वर्षों से कम हो, उनमें राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन की विधि लागू होगी। तथापि कोई भी भवन किसी अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए पट्टे पर नहीं लिया जाएगा।

© GPO

(ii) संस्थान का प्रायोजन करने वाली सोसायटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित अध्यापक शिक्षा संस्थान के पास मानदंडों द्वारा यथानिर्धारित एक भलीभांति सीमांकित भू-क्षेत्र हो। अध्यापक शिक्षा संस्थान को अपने सीमांकित क्षेत्र अथवा भवन के भीतर कोई और संस्थान रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वह इस भवन में कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा।

(iii) इसी तरह से शारीरिक शिक्षा संस्थान से भी यह अपेक्षा की जाती है कि उसके पास एक अलग सीमांकित क्षेत्र/भवन होगा और वह इस क्षेत्र अथवा भवन में अन्य अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों सहित कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं चलाया जाएगा।

(iv) संस्थान का प्रायोजन करने वाली सोसायटी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह विनियम 7 के उपविनियम (11) के अधीन औपचारिक मान्यता आदेश जारी किए जाने की तारीख के 6 महीने के भीतर भूमि तथा भवन का स्वामित्व संस्थान के नाम अंतरित कर देगी और संस्थान को प्रदान कर देगी। तथापि, यदि सोसायटी स्थानीय विधियों अथवा नियमों अथवा उप-विधियों के अधीन ऐसा करने में असफल रहती है तो वह ऐसा करने में दस्तावेजी साक्ष्य सहित अपनी असमर्थता लिखित रूप में सूचित कर देगी। क्षेत्रीय कार्यालय इस तरह की जानकारी को अपने रिकार्ड में रखेगा और उसे अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(8) संस्थान अथवा सोसायटी ओथ कमिश्नर अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित 100 रुपए के पक्के कागज पर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें इन बातों का वर्णन होगा: भूमि का वास्तविक स्थान (खसरा नंबर, गांव, जिला, राज्य आदि), कब्जे में कुल क्षेत्र और भूमि का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, कब्जे की विधि अर्थात मालिकाना या पट्टा। सरकारी संस्थानों के मामले में इस तरह का शपथ-पत्र संस्थान के प्रिंसीपल अथवा अध्यक्ष या किसी अन्य उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा। इस तरह के शपथ-पत्र के साथ-साथ पंजीकरण अधिकारी अथवा सिविल अधिकारी द्वारा जारी किए गए भूमि के स्वामित्व अथवा पट्टे संबंधी दस्तावेज की, भूमि का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के वास्ते सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की तथा इन विनियमों के विनियम 7(1)(vi) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित बिल्डिंग भवन के नक्शें की सत्यापित प्रति संलग्न की जाएगी।

(9) संस्थान द्वारा शपथ-पत्र की एक प्रति अपनी सरकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि शपथ-पत्र में दी गई बातें गलत या झूठी पाई जाएंगी तो संबंधित सोसायटी अथवा न्यास अथवा संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा अन्य संगत नियमों के संगत प्रावधानों के अधीन सिविल और दांडिक कार्रवाई की जा सकेगी और संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा उसकी मान्यता भी समाप्त की जा सकती है।

(10) निरीक्षण के समय संस्थान का भवन विनियम 8 के उपविनियम (7) के अर्थों में संस्थान के कब्जे की भूमि पर एक स्थायी ढांचे के रूप में होगा जोकि सभी आवश्यक सुख-सुविधाओं से सुसज्जित होगा और मानदंडों और मानकों में यथानिर्धारित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा। प्रार्थी संस्थान सक्षम सरकारी प्राधिकारी अथवा स्थानीय निकाय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल समापन प्रमाण पत्र, भवन तथा निर्मित क्षेत्र के समापन के प्रमाण के रूप में अनुमोदित भवन का नक्शा तथा अन्य दस्तावेज सत्यापन के लिए निरीक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। संस्थान में किसी भी अस्थायी ढांचे अथवा एसबेस्टास की छत की अनुमति नहीं दी जाएगी भले ही वह निर्धारित निर्मित क्षेत्र के अलावा हो।

इसके अलावा नए पाठ्यक्रम अथवा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए निरीक्षण के समय निरीक्षण दल, जिन मौजूदा अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा पहले ही मान्यता प्रदान की जा चुकी है उनके लिए भी सुविधाओं का सत्यापन करेगा और साथ ही मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए विनियमों तथा मानदंडों और मानकों की पूर्ति और अनुरक्षण के बारे में भी पता लगाएगा।

(11) परिसर के बदलाव की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय समिति का पूर्व अनुमोदन जरूरी होगा जोकि नए स्थल पर संस्थान के विधिवत निरीक्षण के बाद प्रदान किया जाएगा। संस्थान द्वारा परिसर में बदलाव के लिए आवेदन-पत्र निर्दिष्ट प्रपत्र में, तीन प्रतियों में, अन्य संगत दस्तावेजों सहित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कि परिसर के बदलाव के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। इस तरह के बदलाव की अनुमति ऐसे स्थल के बारे में दी जा सकेगी जिसके बारे में शुरू में आवेदन किए जाने की स्थिति में वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा यथानिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार संस्थान की स्थापना के लिए पात्र पाया गया हो।

इसके बाद इस तरह के बदलाव को वेबसाइट पर दर्शाया जाना चाहिए। परिसर में बदलाव के लिए आवेदन-पत्र के साथ सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नाम बनाया गया और जिस शहर में क्षेत्रीय समिति स्थित है, उस शहर में देय 40000 रुपए (अथवा समय-समय पर यथासंशोधित) का राष्ट्रीकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाना चाहिए। इस शुल्क का भुगतान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा यथा बैंक में आनलाइन भी किया जा सकता है।

(12) विश्वविद्यालय अथवा परीक्षण निकाय के विनियम 7 के उपविनियम (11) के अधीन औपचारिक मान्यता आदेश के जारी किए जाने के बाद ही संबंधन प्रदान करेगा। इसके अलावा संस्थान द्वारा दाखिले केवल विश्वविद्यालय अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा संबंधन प्रदान किए जाने के बाद और राज्य की नीति के अनुसार ही किए जाएंगे।

(13) जहां कहीं अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए मानदंडों और मानकों में बदलाव हो वहां संस्थान संशोधित मानदंडों और मानकों में निर्धारित अपेक्षाओं की, तत्काल लेकिन संशोधित मानदंडों के लागू किए जाने की तारीख से अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर पूर्ति करेगा। तथापि, मौजूदा संस्थानों के मामले में संशोधित भूमि-क्षेत्र संबंधी मानदंड लागू नहीं होंगे, यदि ऐसा संभव नहीं है किंतु संशोधित मानदंडों के अनुरूप बने रहने के लिए उन्हें अपेक्षित निर्मित क्षेत्र बढ़ाना होगा। तथापि ऐसे संस्थानों के मामले में जिनके पास संशोधित मानदंडों के अनुसार भूमि-क्षेत्र नहीं हैं उन्हें अतिरिक्त पाठ्यक्रमों अथवा दाखिल किए जाने वाले छात्रों में वृद्धि के रूप में विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(14) संस्थान अपेक्षा किए जाने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। इनमें से किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत अथवा दिखा न सकने को मान्यता की शर्तों के एक उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

(15) संस्थान ऐसे रिकार्ड अथवा रजिस्टर तथा अन्य कागजात आदि रखेगा जोकि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को चलाने के लिए जरूरी हों, विशेष रूप से जो केंद्रीय अथवा राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र सरकारों, संबंधन प्रदान करने वाले/परीक्षण निकायों के संगत मानदंडों और मानकों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा अनुदेशों अथवा नियमावली आदि में निर्धारित किए गए हों।

(16) संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन तथा अपने सरकारी वेबसाइट में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करने का पालन करेगा।

9. परिशिष्ट 1 से 13 तक में यथानिर्दिष्ट विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे मानदंड और मानक जिनका उपर्युक्त पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान द्वारा पालन किया जाना जरूरी है नीचे बताए अनुसार हैं, यथा:-

(i)	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम (डीईसीईडी) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-1
(ii)	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-2
(iii)	प्रारंभिक शिक्षा मे स्नातक डिग्री (बी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-3
(iv)	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-4
(v)	शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-5
(vi)	शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएड) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-6
(vii)	शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-7
(viii)	शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-8
(ix)	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-9
(x)	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में स्नातक (बीएड) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-10
(xi)	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में मास्टर डिग्री (एमएड) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-11
(xii)	कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ) में डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए	परिशिष्ट-12

	मानदंड और मानक	
(xiii)	कला शिक्षा (निष्पादन कलाएँ) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले कला शिक्षा (निष्पादन कलाएँ) में डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट 13

10. वित्तीय प्रबंध

(1) स्व-वित्तपोषण आधार पर पाठ्यक्रम चलाने वाले सरकारी अथवा सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों सहित स्व-वित्तपोषित संस्थान के मामले में प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए पांच लाख रुपए की स्थायी निधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए तीन लाख रुपए की आरक्षित निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक वर्ष की अवधि की सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी जिसे संस्थान को विनियम 7 के उपबंध 9 के अंतर्गत जारी किए गए लैटर ऑफ इन्टेंट जारी किए जाने की स्थिति में प्रबंधकवर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के संयुक्त नाम से एक सावधि जमा रसीद के रूप में बदल दिया जाएगा और उसे उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष के अंतरालों पर सावधि जमा के नवीकरण के रूप में निरंतर रखा जाएगा।

(2) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधी सरकार अथवा बोर्ड अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथानिर्धारित वेतन आदाता के नाम देय चेक के माध्यम से अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार प्रदान किया जाएगा। संस्थान कर्मचारियों को वेतन, ईपीएफ के भुगतान का पूरा रिकार्ड रखेगा जिसके ब्यौरे स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए जा सकते हैं और जिनका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अथवा राज्य सरकार अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सनदी लेखाकर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित लेखाओं के निम्न विवरण रखे जाएंगे और वर्ष के सितंबर के 30वें दिन तक अपने औपचारिक वेबसाइट पर दर्शाए जाएंगे।

1. वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र।
2. वित्तीय वर्ष का लाभ और हानि लेखा।
3. वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा।

11. शैक्षणिक कैलेंडर

(i) संबंधन प्रदान करने वाले निकाय के लिए इन विनियमों में परिशिष्ट 1 से लेकर 13 तक सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र शुरू होने से कम से कम तीन महीने पहले निम्न विवरण प्रस्तुत करके तथा उनके संबंध में समुचित प्रचार करके समय-सूची अथवा शैक्षणिक कैलेंडर निर्धारित करके अध्यापक शिक्षा संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया का विनियमन करना जरूरी होगा:

(क) दाखिले के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख।

(ख) प्रत्येक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख।

(ग) चयन परीक्षा अथवा इंटरव्यू की तारीख।

(घ) उम्मीदवारों की पहली, दूसरी और तीसरी सूची के प्रकाशन की तारीख तथा दाखिलों की समाप्ति की अंतिम तारीख।

(ii) यह समूची प्रक्रिया दाखिले की सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि में पूरी कर ली जाएगी। संबंधन प्रदान करने वाला निकाय उसके द्वारा अधिसूचित समय-सूची अथवा शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करेगा। दाखिले की समाप्ति के बाद प्रत्येक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान संबंधित संबंधन प्रदान करने वाले अथवा परीक्षा निकायों को दाखिले की समाप्ति की अंतिम तारीख से दो दिनों के भीतर दाखिल छात्रों की सूची प्रस्तुत करेगा जोकि संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।

12. ढील देने का अधिकार

संबंधित राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशों पर अथवा केवल इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संबंधित राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र में संस्थानों की किसी एक श्रेणी या वर्ग के बारे में इन विनियमों के प्रावधानों में ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन ढील देने के लिए सक्षम होंगे जोकि ढील देने वाले आदेश में निर्दिष्ट की जाएंगी। तथापि, अपवादात्मक मामलों में अथवा कारणों को लिखित रूप में निर्दिष्ट करने पर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को परिषद् द्वारा संपुष्टि किए जाने के अध्यधीन, किसी सरकारी संस्थान के मामले में विनियमों और संबंधित मानदंडों और मानकों के प्रावधानों में ढील देने का अधिकार प्राप्त है।

13. विनियमों का निरसन

(1) 2007 के दिसंबर के 10वें दिन को संख्या 231 के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 27 नवंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या फा 51-1/2007/एनसीटीई/ के अधीन अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियमन, 2007 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) जनवरी, 2006 के 25वें दिन संख्या 12 के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III खंड 4 में प्रकाशित में दिनांक 28 दिसंबर, 2005 की अधिसूचना संख्या फा 49-29/2005/एनसीटीई(एन तथा एस) के अधीन अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (डिग्री स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताओं में ढील के लिए मानदंड) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(3) उपर्युक्त विनियमों का निरसन इस प्रकार निरसित किए गए किसी विनियम के पूर्व प्रचालन अथवा उसके अधीन की गई किसी भी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा।

हसीब अहमद, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/131/09-असा.]

परिशिष्ट - 1

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम (डी.ई.सी.एड.) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक

प्रस्तावना

(1) प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा-ईसीई जिसमें प्राथमिक शिक्षा की कक्षा 1 और 2 शामिल हैं, विशेष रूप से बच्चे की भाषा, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। साथ ही यह शिक्षा बाद के वर्षों में बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए भी मजबूत समर्थन प्रदान करती है।ईसीई का उद्देश्य एक ऐसे अधिगम वातावरण में जोकि आनन्दपूर्ण, बाल-केन्द्रित, खेल और क्रियाकलाप आधारित हो बच्चे का समग्र विकास करना है। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों पर तीन आर (पढ़ना, लिखना और गणित) बोझ न लादा जाए और कोई भी पाठ्यक्रम परीक्षाएं, इन्टरव्यू, गृहकार्य, प्रतियोगी खेलकूद तथा अन्य ऐसे नेमी स्कूल जैसे क्रियाकलाप न आयोजित किए जाएं।

(2) **प्रयोज्यता**

आगे दिए गए मानदण्ड और मानक नितान्ततः पूर्व प्राथमिक अथवा स्कूल-पूर्व अथवा नर्सरी (जिस रूप में आमतौर पर विख्यात है) स्तरों के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थानों के मामले में लागू होंगे।

2 **अवधि तथा कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

स्कूल-पूर्व/नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी।

'2) **कार्यकारी दिवस**

(क) इस कार्यक्रम में, परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि को छोड़कर, कम से कम 200 कार्यदिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन पूर्व स्कूलों में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के रूप में होंगे।

(ख) संस्थान 5 अथवा 6 दिन के सप्ताह में कम से कम 36 घंटे काम करेगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी होगी जिससे कि व्यक्तिगत सलाह, मार्गदर्शन, संवादों और परामर्श के लिए जब कभी उसकी जरूरत हो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। संस्थान पारियों में (सवेरे अथवा दोपहरबाद) काम नहीं करेगा।

3 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

(1) प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

IndiaCode

(1) पात्रता

(i) उच्च माध्यमिक (+ 2) अथवा इसके समकक्षा परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो, उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

(3) दाखिले की क्रियाविधि

दाखिले अर्हक परीक्षा में तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में अथवा राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

(4) फीस

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 स्टाफ

(I) शैक्षणिक

(क) संख्या (50 छात्रों के बुनियादी यूनिट के लिए) अर्थात दो वर्षों में सौ छात्रों के लिए

(ख) दाखिल किए जाने वाले 50 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त स्टाफ में 5 लेक्चरर, 1 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और 1 कार्यालय सहायक शामिल होंगे।

(II) अर्हताएं

(i) प्रिंसीपलः

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित नीचे दिए अनुसार होंगी; तथा

(ख) प्रारंभिक शिक्षा संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव।

(ii) ईसीई में लेक्चररः 3 पद

(ए) **अनिवार्य**

बाल विकास में विशेषज्ञता सहित बाल विकास अथवा गृह विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर

अथवा

(i) शिक्षा में अथवा किसी स्कूल विषय में 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा

(ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था/नर्सरी/प्रारंभिक शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित डिप्लोमा/डिग्री

वांछनीय

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आईसीटी के प्रयोग में दक्षता।

(iii) कला में लेक्चरर (ललित कलाएं तथा निष्पादन कलाएं) - एक

अनिवार्य

ललित कलाओं अथवा संगीत/नृत्य में 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से समतुल्य अर्हता

वांछनीय

ईसीई/शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक - एक

अनिवार्य

55 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बीपीएड)

वांछनीय

ईसीई/शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा

टिप्पणी: कम से कम एक लेक्चरर के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में औपचारिक अर्हता होनी चाहिए।

(III) तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

पुस्तकालयाध्यक्ष — एक (पूर्णकालिक)

(ख) अर्हता

50 प्रतिशत अंकों सहित पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री

(IV) प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i) यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक — एक (नियमित)

980

(ii)	कम्प्यूटर प्रचालक-सह-स्टोरकीपर	एक (नियमित)
(iii)	सहायक	दो (नियमित)

(ख) अर्हताएं

सम्बन्धित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

(V) सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा राज्य शिक्षा प्रणाली में समतुल्य पदों के लिए यथानिर्धारित वेतन का भुगतान, आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ङ) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धकवर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण, केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो, के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5 सुविधाएं

(1) आधारिक सुविधाएं

(क) संस्थानों के कब्जे में 50 छात्रों के प्रारंभिक दाखिले के लिए 1500 वर्गमीटर नितांतः भली-भांति सीमांकित भूमि होगी जिसमें से 1000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा और बाकी स्थान लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। 50 या उससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थान के पास 500 वर्गमीटर की अतिरिक्त भूमि का कब्जा होना चाहिए। इन विनियमों से पहले स्थापित संस्थानों के मामले में अतिरिक्त रूप से दाखिल किए जाने वाले 50 छात्रों के लिए निर्मित क्षेत्र में 500 वर्गमीटर की वृद्धि की जानी होगी तथा अतिरिक्त भूमि की शर्त उनके मामले में लागू नहीं होगी। सभी अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रमों पर एक साथ विचार करते हुए किसी भी संस्थान में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की कुल क्षमता 300 से अधिक नहीं होगी।

mhrdnacoe

(ख) डी.ई.सी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)
डी.ई.सी.एड.	1000 वर्गमीटर	1500
डी.ई.सी.एड. तथा डी.एल.एड.	2500 वर्गमीटर	3000
डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड.	2500 वर्गमीटर	3000
डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड. और एम.एड.	3000 वर्गमीटर	3500
डी.एल.एड. तथा डी.ई.सी.एड. और बी.एड. तथा एम.एड.	4000 वर्गमीटर	4000

डी.ई.सी.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए प्रत्येक यूनिट के लिए 500 वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ग) संस्थान में निम्न आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए:

(i) दो क्लासरूम जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कम से कम 500 वर्गफुट होगा।

(ii) 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला तथा एक डायस सहित बहुद्देशीय हाल जिसका कुल क्षेत्र 200 वर्गफुट होगा।

(iii) पुस्तकालय-एवं-वाचनालय।

(iv) ईटी/आईसीटी के लिए संसाधन केन्द्र।

(v) मनोविज्ञान संसाधन केन्द्र।

(vi) कला तथा कार्य अनुभव/संसाधन केन्द्र।

(vii) शैक्षिक खिलौना कक्ष।

(viii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कक्ष।

(ix) प्रिंसीपल का कार्यालय।

(x) स्टाफ रूम।

(xi) प्रशासनिक कार्यालय।

(xii) बालिकाओं का कामन रूम।

(xiii) कैंटीन।

(xiv) स्टोर रूम (दो)।

indiacode

982

(xv) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग टायलेट सुविधाएं।

(xvi) अतिथि कक्ष।

(xvii) वाहन खड़ा करने के लिए स्थान।

(xviii) लान, बागवानी के क्रियाकलापों आदि के लिए खुला स्थान।

(xix) स्टोर-रूम तथा बहुप्रयोजन खेल मैदान।

शैक्षणिक स्थान का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्गफुट से कम नहीं होगा। प्रत्येक क्लासरूम का आकार ऐसा होना चाहिए कि उसमें 50 प्रशिक्षणार्थी-अध्यापक सुविधापूर्वक बैठ सकें।

(घ) समुचित खुला स्थान और साथ ही शारीरिक शिक्षा, खेलकूद तथा एथलेटिक्स के लिए इंडोर खेलों की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। खेल के मैदान सहित खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ड.) आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।

(च) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा-रहित होने चाहिए।

(छ) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

(ज) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होना चाहिए।

(2) शिक्षणात्मक

(क) संस्थान के लिए प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास शिक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापों के वास्ते निकटस्थ स्कूल-पूर्व/ईसीई केन्द्रों का संकुल सुलभ होना चाहिए। यह वांछनीय है कि संस्थान का एक अपना सम्बद्ध नर्सरी स्कूल हो। संस्थान अभ्यास प्रशिक्षण सुविधाएं देने के इच्छुक स्कूलों की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।

(ख) संस्थान 5.2.1 में बताए अनुसार अधिगम संसाधन केन्द्र स्थापित करेगा जिनमें अध्यापकों और छात्रों के लिए अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया की सामर्थ्य और संवर्द्धन के वास्ते अनेक प्रकार की सामग्री और संसाधन सुलभ होंगे। इनमें ये शामिल होने चाहिएः

(i) पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं,

(ii) बच्चों की पुस्तकें,

(iii) श्रव्य-दृश्य सामग्री-टीवी, डीवीडी प्लेयर, ओएचपी,

(iv) श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री, वीडियो- श्रव्यटेप, स्लाइडें, फिल्में,

(v) अध्यापन सहायक सामग्री-चार्ट, तस्वीरें, माडल,

indiacode

983

(vi) विकासात्मक मूल्यांकन, पड़ताल सूचियां और मापन साधन,

(vii) फोटोकापी मशीन

(viii) इंटरनेट संयोज्यता सहित यूपीएस और प्रिंटर के साथ 10 पीसी

टिप्पणी: संसाधन केन्द्रों की स्थापना करते समय संस्थानों को राअशिप परिषद द्वारा प्रकाशित "अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए नियमपुस्तिका" की सहायता लेने की सलाह दी जाती है।

(ग) विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्री

(i) अध्यापन-अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री

ये उपकरण और सामग्री कार्यक्रम में नियोजित बहुविध क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता और मात्रा - दोनों दृष्टियों से उपयुक्त और पर्याप्त होने चाहिए। इनमें निम्न शामिल हैं -

शैक्षिक किट, माडल, खेल सामग्री, विभिन्न विषयों (गीत, खेल, क्रियाकलाप, कार्यपृष्ठ) सरल पुस्तकें, कठपुतलियां, सचित्र पुस्तकें, चित्र, ब्लो-अप, चार्ट, नक्शे, फ्लैश कार्ड, हैण्डबुक, तस्वीरें, बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं की चित्रात्मक प्रस्तुतियां।

(ii) सहायक सामग्री, खेल सामग्री और कला तथा दस्तकारी क्रियाकलापों के लिए उपकरण, औजार, कच्चा माल

काष्ठ कर्म औजारों का एक सेट, माली के औजारों का एक सेट, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, सिलाई, ड्रेसडिजाइनिंग, कठपुतली के लिए अपेक्षित उपकरण, प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों द्वारा चार्टों, माडलों को तैयार करने तथा अन्य व्यावहारिक क्रियाकलापों के लिए सामग्री कला सामग्री, बेकार सामग्री, लेखन सामग्री (चार्ट पेपर, माउण्ट बोर्ड आदि) औजार जैसेकि कैंची, पैमाने आदि, कपड़ा।

(iii) **श्रव्य दृश्य उपकरण**

5.2.2 में यथानिर्दिष्ट। प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा टीवी, वीसीआर, श्रृव्य कैसेट रिकार्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रृव्य वीडियो कैसेटों, दृश्य-श्रृव्य टेपों, स्लाइडों, फिल्मों, चार्टों, तस्वीरों, सैट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अन्तर्सम्बन्ध टर्मिनल) सहित शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं वांछनीय होंगी।

(iv) **संगीत वाद्ययंत्र**

हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मंजीरा तथा अन्य स्वदेशी वाद्ययंत्रों जैसे सामान्य संगीत वाद्ययंत्र

(v) **पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन**

984

(2) **शिक्षणात्मक**

(क) संस्थान के पास प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास अध्यापन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल होने चाहिए। अच्छा हो यदि संस्थान के पास स्वयं एक अपना संबद्ध प्राथमिक स्कूल हो। संस्थान अभ्यास प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक स्कूलों की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।

(ख) संस्थान 5.1.2 में बताए अनुसार अधिगम संसाधन केन्द्र स्थापित करेगा जिनमें अध्यापकों और छात्रों के लिए अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया के समर्थन और संवर्द्धन के वास्ते अनेक प्रकार की सामग्री और संसाधन सुलभ होंगे। इनमें ये शामिल होने चाहिएः

(i) पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं,
(ii) बच्चों की पुस्तकें,
(iii) श्रृव्य-दृश्य सामग्री-टीवी, ओएचपी, डीवीडी प्लेयर,
(iv) श्रृव्य-दृश्य सहायक सामग्री, वीडियो- श्रृव्यटेप, स्लाइडें, फिल्में,
(v) अध्यापन सहायक सामग्री-चार्ट, तस्वीरें,
(vi) विकासात्मक मूल्यांकन पड़ताल सूचियां और मापन साधन,
(vii) फोटोकापी मशीन,

टिप्पणीः संसाधन केन्द्रों की स्थापना करते समय संस्थानों को राअशिप परिषद द्वारा प्रकाशित "अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए नियमपुस्तिका" की सहायता लेने की सलाह दी जाती है।

(ग) विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्रीः

(i) अध्यापन-अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री

ये उपकरण और सामग्री कार्यक्रम में नियोजित बहुविध क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता और मात्रा - दोनों दृष्टियों से उपयुक्त और पर्याप्त होने चाहिए। इनमें निम्न शामिल हैं -

शैक्षिक किट, माडल, खेल सामग्री, विभिन्न विषयों (गीत, खेल, क्रियाकलाप, कार्यपृष्ठ) पर सरल पुस्तकें, कठपुतलियां, सचित्र पुस्तकें, चित्र, ब्लो-अप, चार्ट, नक्शे, फ्लैश कार्ड, हैण्डबुक, तस्वीरें, बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं की चित्रात्मक प्रस्तुतियां।

(घ) सहायक सामग्री, खेल सामग्री और कला तथा दस्तकारी क्रियाकलापों के लिए उपकरण, औजार, कच्चा माल

काष्ठ कर्म औजारों का एक सेट, माली के औजारों का एक सैट, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, सिलाई, ड्रेसडिजाइनिंग, कठपुतली के लिए अपेक्षित उपकरण, प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों द्वारा चार्टों, माडलों को

indiacode

993

तैयार करने तथा अन्य व्यावहारिक क्रियाकलापों के लिए सामग्री - कला सामग्री, बेकार सामग्री, लेखन सामग्री (चार्ट पेपर, माउण्ट बोर्ड आदि) औजार जैसेकि कैंची, पैमाने आदि, कपड़ा।

(ङ) श्रव्य दृश्य उपकरण

5.1.5 में यथानिर्दिष्ट। प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा टीवी, वीसीआर, श्रृव्य कैसेट रिकार्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रृव्य वीडियो कैसेटें, दृश्य-श्रृव्य टेपों, स्लाइडों, फिल्मों, चार्टों, तस्वीरों, रौट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अन्तर्सम्बन्ध टर्मिनल) सहित शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं वांछनीय होंगी।

(च) संगीत वाद्ययंत्र

हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मंजीरा तथा अन्य स्वदेशी वाद्ययंत्रों जैसे सामान्य संगीत वाद्ययंत्र

(छ) पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम 1000 पुस्तकें होनी चाहिए और हर साल 100 उत्कृष्ट पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के विश्वकोष, कोष, संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, बच्चों पर तथा उनके वास्ते पुस्तकें, अध्यापक पुस्तिकाएं (प्रहसनों, कथाओं, सचित्र पुस्तकों/ऐल्बमों, कविताओं सहित) तथा राअशिप द्वारा प्रकाशित, अनुशंसित पुस्तकें। संस्थान को राअशिप द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 3 अन्य पत्रिकाएं मंगानी चाहिए।

(ज) खेल और खेल-कूद

सामान्य इन्डोर और आउटडोर खेलों के लिए सम्बन्धित खेल और खेल कूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

(3) साधन

(i) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर।

(ii) संस्थान को महिला अध्यापक-प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग-अलग कामन रूमों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

(iii) स्टाफ और छात्रों के लिए पुरुषों और महिलाओं के वास्ते पर्याप्त संख्या में अलग-अलग टायलेट उपलब्ध होने चाहिए।

(iv) वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(vi) परिसर की नियमित सफाई, पानी और टायलेट सुविधाएं, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा उन्हें बदलने की कारगर व्यवस्था होनी चाहिए।

(vii) संस्थान का परिसर, भवन, सुविधाएं आदि विकलांगों के अनुकूल होनी चाहिए।

6 पाठ्यचर्या संचालन

आधारिक विषयों को पढ़ाने के अलावा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक पाठ्यचर्या से संबंधित प्रविधि विषयों यथा क्षेत्रीय भाषा/मातृ भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन तथा पर्यावरणात्मक शिक्षा आदि जैसे शिक्षण के लिए प्रावधान होना चाहिए।

7 (क) सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों में आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है। पूरे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा संस्थान द्वारा जिन विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके अध्यक्ष होने चाहिए।

(ख) प्रबंधन समिति

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट - 3

प्रारंभिक शिक्षा मे स्नातक डिग्री (बी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक के लिए मानदंड और मानक

1 प्रस्तावना

(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अब यह सांविधिक प्राधिकार प्रदान किया गया है कि वह अध्यापक शिक्षा का सुनियोजित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा विद्यालय स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तरों के लिए तैयारी सहित अध्यापक शिक्षा के मानकों का निर्धारण और उन्हें बनाए रखने का लक्ष्य सुनिश्चित करने की दिशा में वह जो भी उचित समझे, कदम उठाए। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापक एवं अध्यापक-प्रशिक्षक तैयार करने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना अनेक कारणों से अनिवार्य हो गया है। ये मानक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले वर्तमान संस्थानों के लिए इस दृष्टि से सहायक सिद्ध होंगे कि इनके आधार पर वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों से अपने यहां उपलब्ध व्यवस्थाओं की तुलना कर सकेंगे और यदि उनमें कोई खामियां हैं तो उनमें सुधार करने की आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। इन मानदंडों से अध्यापक शिक्षा के लिए नए संस्थानों, कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की उपयुक्त योजना बनाने में भी सहायता मिल सकेगी।

(2) **यहां मानकों एवं मानदंडों में उन 'शर्तों' का निदेश किया गया है जिनकी पूर्ति मान्यता, अनुमति तथा प्रवेश के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए आवश्यक है।**

इस दस्तावेज में आमने-सामने के माध्यम से चार वर्ष का पूर्णकालिक एकीकृत प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.ई.एल.ई.डी.) कार्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मानक और मानदंड स्पष्ट किए गए हैं।

आशा है कि इस दस्तावेज का प्रयोग अध्यापक शिक्षा के योजनाकारों तथा प्रशासकों और अध्यापक शिक्षा से जुड़े सरकारी स्वायत्त एवं निजी क्षेत्र के प्रबंधकों द्वारा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) के कार्यक्रमों की योजना बनाने, उनका आयोजन और उनकी मान्यता के लिए उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इन मानदंडों का प्रयोग, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा (बी.एल.एड.) कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों की व्यावसायिक मान्यता के लिए करेगी। इन मानदंडों का प्रयोग वर्तमान कार्यक्रमों और संस्थानों के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सरकारी, स्वायत्त तथा निजी प्रबंधकों को सलाह देने के लिए भी किया जा सकेगा।

(3) पाठ्यक्रम की अवधि

(क) एकीकृत प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा डिग्री कार्यक्रम, जिसे इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) कहा जाएगा, अध्ययन के चौथे वर्ष/अंतिम वर्ष में स्थानबद्ध अध्यापन (इंटर्नशिप) की अवधि सहित, जो कम से कम 16 कार्य सप्ताहों की होगी, कम से कम चार शैक्षणिक वर्षों की अवधि का होगा।

(ख) इस कार्यक्रम में जिन प्रत्याशियों को प्रवेश दिया जाएगा उन्हें दाखिले के वर्ष से छः वर्ष के भीतर अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा को पूरा कर लेना होगा।

(4) प्रवेश के मानदंड

(क) प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में चार वर्ष के डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्याशियों को, प्रत्याशी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई केंद्रीकृत निर्धारित प्रवेश परीक्षा (सीईटी) पास करनी होगी।

सीटों में आरक्षण संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में 5 प्रतिशत ढील दी जाएगी।

(ख) प्रवेश के लिए योग्यताएं

(i) प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) में प्रवेश के लिए कम से कम 10+2 उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ii) इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक है कि उसने विद्यालय के कैलेंडर के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिन या उसके पहले आयु के 17 वर्ष पूरे कर लिए हों।

(5) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या और स्थानांतरण

(क) एक यूनिट में एक कक्षा में 35 से अधिक प्रत्याशियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) संस्थानों द्वारा पहले वर्ष के अंत में केवल एक बार ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से पूर्व अनुमति लेकर विद्यार्थियों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने की अनुमति दी जाएगी किंतु शर्त यह है कि प्रत्याशियों की संख्या दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमत्य अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

(6) पाठ्यक्रम तथा अध्ययन की अवधि

मान्यता के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों को प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करनी होगी। अध्यापन कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में हरेक संस्थान को क्षेत्रीय दौरों तथा प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में नवाचारी क्रियाकलापों वाले केंद्रों के दौरों की व्यवस्था करनी होगी। संस्थानों को पाठ्यक्रमों की निम्नलिखित योजना के अनुसार शिक्षा देने का प्रबंध करना होगा:

(क) प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) की पाठ्यक्रम योजना

बी.एल.एड. कार्यक्रम की रूपरेखा इस ढंग से बनी होनी चाहिए कि उसमें विषय ज्ञान, मानवीय विकास, शिक्षाशास्त्र तथा संप्रेषण-कौशल - इन सभी का समेकन हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य एवं वैकल्पिक - दोनों सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों, अनिवार्य अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों तथा अनिवार्य स्थानबद्ध स्कूल अनुभव प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का समावेशन अनिवार्य है:

सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

- आधारिक पाठ्यक्रम
- कोर पाठ्यक्रम
- शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम
- उदारीकृत पाठ्यक्रम
- शिक्षा में अन्य विकल्प

अभ्यासक्रम

- **निष्पादन कलाएं एवं ललित कलाएं, शिल्प तथा शारीरिक शिक्षा**
- सहभागितापूर्ण कार्य
- बच्चों का अवलोकन
- आत्म-विकास कार्यशाला
- विद्यालय संपर्क कार्यक्रम
- विद्यालय में स्थानबद्ध अध्यापन कार्य
- परियोजना कार्य
- ट्यूटोरियल्स एवं गोष्ठीक्रम
- शैक्षणिक संवर्द्धन क्रियाकलाप

(ख) सैद्धांतिक एवं अभ्यासक्रम का वर्गीकरण तालिका 1क तथा 1ख में सुझाए अनुसार ज्ञान के क्षेत्रों के आधार पर किया जाए।

तालिका 1क : व्यावसायिक शिक्षा के लिए आधारिक आधार

अध्ययन का क्षेत्र	बी.एल.एड. पाठ्यक्रम
विषय के ज्ञान का आधार	**कोर पाठ्यक्रमः** सी.1.1 भाषा का स्वरूप सी.1.2 कोर गणित सी.1.3 कोर प्राकृतिक विज्ञान सी.1.4 कोर सामाजिक विज्ञान **द्वि-स्तरीय उदारीकृत विषय विशिष्ट वैकल्पिक पाठ्यक्रमः** किसी भी चुनिंदा विषय क्षेत्र में 02. एक्स और 03.एक्स **आधारिक पाठ्यक्रम (बहु-विषय क्षेत्रीय)** एफ 1.2 समकालीन भारत

IndiaCode

998

शिक्षा	**आधारिक पाठ्यक्रमः** एफ 3.6 शिक्षा की मूल अवधारणाएं एफ 3.7 विद्यालय नियोजन तथा प्रबंधन एफ 4.8 पाठ्यचर्या अध्ययन एफ 4.9 लिंग एवं विद्यालय शिक्षा
बाल अध्ययन	**आधारिक पाठ्यक्रमः** एफ 1.1 बाल विकास एफ 2.3 संज्ञान तथा सीखना एफ 2.4 भाषा अर्जन

तालिका 1ख : व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम

अध्ययन का क्षेत्र	**बी.एल.एड. पाठ्यक्रम**
बाल अध्ययन	**अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमः** पीआर 1.2 (क) विद्यालय संपर्क कार्यक्रम (ख) शिल्प **पीआर 2.3 बच्चों का अवलोकन** पी.2.1 समूचे पाठ्यक्रम में भाषाज्ञान पी.3.2 तर्कपरक गणित शिक्षा पी.3.3 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षाशास्त्र **कोई एक वैकल्पिक शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमः** ओपी.4.1 भाषा ओपी.4.2 गणित ओपी.4.3 प्राकृतिक विज्ञान ओपी.4.4 सामाजिक विज्ञान अथवा **शिक्षा से संबंधित कोई एक वैकल्पिक उदारीकृत पाठ्यक्रम** ओएल.4.1 कंप्यूटर शिक्षा ओसी.4.2 विशेष शिक्षा **विद्यालय संपर्क कार्यक्रमः** एससी.3.1 कक्षा प्रबंधन एससी.3.2 सामग्री विकास तथा मूल्यांकन
अध्यापकों का विकास एवं कौशल प्रशिक्षण	**आधारिक पाठ्यक्रमः** एफ 2.5 मानव संबंध एवं संप्रेषण **अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम** पीआर 1.1 रंगमंच पीआर 1.2 शिल्प पीआर 2.4 आत्म-विकास

999

	पीआर 2.5 शारीरिक शिक्षा गोष्ठीक्रम/ट्यूटोरियल्स शैक्षणिक संवर्द्धन, -क्षेत्र-आधारित परियोजनाएं/एसाइनमेंट्स
विद्यालय अनुभव	एसआई विद्यालय में स्थानबद्ध परियोजना

टिप्पणी: अनुशंसात्मक/निदर्शी विवरण अनुबंध 'ए' में दिए गए हैं:

(ग) विद्यार्थी संपर्क के घंटे

विद्यार्थी संपर्क के वर्ष-वार न्यूनतम घंटों का विवरण तालिका-2 में दिया गया है।

वर्ष-वार विद्यार्थी संपर्क कार्यक्रम के कम से कम घंटे तालिका 2 में बताए अनुसार हो सकते हैं।

तालिका 2: वर्ष-वार न्यूनतम विद्यार्थी-संपर्क घंटे

अध्ययन का वर्ष	प्रतिदिन विद्यार्थी संपर्क के घंटे	प्रति सप्ताह विद्यार्थी संपर्क के घंटे	संपर्क के कुल घंटे
I	6.7	33.5	837.5
II	5.3	26.5	662.5
III	5.4	27.0	675.0
IV	5.8	29.0	725.0
योग	23.2	116.0	2900.0

विद्यार्थी संपर्क घंटों को संपर्क पीरियडों के रूप में पढ़ा जाए। एक पीरियड आमतौर पर 50 मिनट का होता है। औसत विद्यार्थी संपर्क घंटों की गणना प्रति सप्ताह पांच कार्य दिवस मानकर की गई है।

संपर्क घंटों की कुल संख्या की गणना वर्ष में 25 कार्यकारी सप्ताह के आधार पर की गई है।

(7) प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) कार्यक्रम का आयोजन

संस्थानों को व्यावसायिक कार्यक्रम से संबंधित निम्निलिखत विशेष मांगों को पूरा करना होगा:

(क) बी.एल.एड. के विद्यार्थियों को संस्थानों के अन्य क्रियाकलापों में शैक्षणिक, साथ ही सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलापों में सम्मिलित करना होगा और उन्हें कंप्यूटर, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह (ऑडिटोरियम) आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करने दिया जाएगा।

(ख) संस्थानों के भीतर विभिन्न विभागों के बीच अंतःविषय क्षेत्रीय शैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना होगा।

(ग) विद्यार्थियों तथा संकाय के लिए संगोष्ठियों, भाषणों तथा सामूहिक परिचर्चाएं आयोजित करके शिक्षा पर चर्चा की शुरूआत की जाएगी।

1000

(ग) कार्यक्रम संबंधी विशेष क्रियाकलापों के संचालन के लिए (अर्थात रंगमंच, शिल्प, आत्मविकास कार्यशालाएं) विश्वविद्यालय/संस्थान के भीतर/बाहर उपलब्ध व्यावसायिक विशेषज्ञों से सहायता अवश्य ली जाएगी।

(ङ.) संस्थान को कम से कम छः प्रारंभिक विद्यालयों के समूह के बीच विचारों और क्रियाकलापों का आदान-प्रदान प्रारंभ करना और बनाए रखना आवश्यक है। ये विद्यालय अध्ययन कार्यक्रम की समूची अवधि में सभी अभ्यासक्रम क्रियाकलापों एवं उनसे संबंधित कार्य के लिए मूल संपर्क बिंदु बने रहेंगे।

(च) संस्थान को विद्यालयों के स्नातकों की नियुक्ति की दिशा में भी कदम उठाना होगा।

(छ) समीक्षा, मानक और परीक्षकों की योग्यताएं

संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त अध्यादेशों में निम्नलिखित को यथास्थान सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए, जो अपने सांविधिक निकायों के माध्यम से साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से जब भी उचित समझा जाए, इनकी समीक्षा के लिए प्रावधान बनाएंगे।

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ख) अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन आंतरिक रूप से हो सकता है।

(ग) सभी अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों तथा स्थानबद्ध कार्यक्रमों के संबंध में संस्थानों के बीच गुणवत्ता एवं समानता से संबंधित प्रश्नों पर निगरानी रखने का काम संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा गठित एक मॉडरेशन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(घ) आंतरिक स्तर पर हुए मूल्यांकन के आधार पर सैद्धांतिक विषयों के सभी पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों में 30 प्रतिशत की और अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों में 100 प्रतिशत की भारिता प्रदान की जाएगी।

(ङ.) प्रतिवर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक लिखित प्रश्नपत्र में कम से कम 40 प्रतिशत, आंतरिक मूल्यांकन में कम से कम 45 प्रतिशत, अभ्यासक्रम में 50 प्रतिशत और कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(च) केवल उन्हीं प्रत्याशियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जो आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होंगे।

(छ) यदि किसी प्रत्याशी ने कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, किंतु जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है और उस विषय में यदि उसके अंक 25 प्रतिशत से कम नहीं है, तो उसे अस्थायी रूप से आगामी वर्ष में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाएगी, किंतु शर्त यह है कि उसके लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार शुल्क की अदायगी करके आयोजित होने वाली सहायक (कंपार्टमेंटल) परीक्षा में बैठना आवश्यक होगा। यदि प्रत्याशी उस सहायक परीक्षा में अनुत्तीर्ण

रहता है या वह सहायक परीक्षा में उपस्थित नहीं होता/होती तो उसे पिछले वर्ष में वापस भेज दिया जाएगा।

(ज) परीक्षा के किसी भी विषय का परीक्षक होने के लिए परीक्षक के पास अपने अध्ययन के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन/व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए।

(9) **कर्मचारी वर्ग, उपकरण तथा प्रशिक्षण**

(क) शैक्षणिक संकाय

- पूर्णकालिक संकाय-सदस्यों की संख्या - 14
- संकाय-विद्यार्थी अनुपात - 1:10
- विद्यार्थियों की संख्या - 35x4 140
- अंशकालिक संकाय सदस्यों की संख्या - 3

(ख) संस्थानों द्वारा संकाय-सदस्यों को शोधकार्य सहित व्यावसायिक अभ्यास संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) संस्थानों द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम में संकाय सदस्यों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(घ) प्रशासनिक स्टाफ

- पाठ्यचर्या प्रयोगशाला परिचर : एक
- संसाधन प्रयोगशाला परिचर : एक
- स्टेनो टाइपिस्ट : दो

(ड.) कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

सभी कर्मचारियों को पूर्णकालिक और नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा। सभी पदों के लिए चयन उपयुक्त रूप से गठित चयन समिति द्वारा ही किया जाएगा। अध्यापक वर्ग के वेतनमान का ढांचा वि.वि.अ. आयोग/सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार रहेगा।

(च) संकाय सदस्यों का चयन

प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों के पास शिक्षा* विषय में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री, अथवा शिक्षा* में शोधकार्य में डिग्री अथवा शिक्षा* के क्षेत्र में प्रमाणित अनुभव/शोधकार्य सहित बहुविध विशेषज्ञताएं (तालिका 3 के विवरण के अनुसार) होनी चाहिए।

***अधिमानतः प्रारंभिक शिक्षा**

IndiaCode

1402

तालिका 3 : प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों का अपेक्षित प्रोफाइल

विशेषज्ञता	पदों की संख्या	अनिवार्य अर्हताएं	विशेष रुचि तथा प्रमाणित अनुभव	पढ़ाया जाने वाला प्रस्तावित प्रारंभिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम
मनोविज्ञान/बाल विकास	एक तथा	एम.ए. मनोविज्ञान/अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान (बाल विकास में विशेषज्ञता सहित)/एम.एससी. बाल विकास तथा शिक्षा में शोध कार्य में डिग्री	बच्चों के साथ कार्य/बच्चे किस तरह सीखते हैं इन प्रश्नों पर बच्चों के साथ रहकर किया गया कार्य।	बाल विकास संज्ञान तथा सीखना
	एक	एम.ए. मनोविज्ञान/अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान/(नैदानिक मनोविज्ञान/काउंसलिंग में विशेषज्ञता सहित) सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री/एमएसडब्ल्यू (व्यक्तित्व विकास तथा काउंसलिंग में विशेषज्ञता सहित) तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में शोध कार्य	नैदानिक मनोविज्ञान/काउंसलिंग	संबंधित अभ्यासक्रम मानव संबंध/और संप्रेषण संबंधित अभ्यासक्रम
* अधिमानतः प्रारंभिक शिक्षा				
गणित* अधिमानतः प्रारंभिक शिक्षा	एक	एम.एम. गणित/एम.एससी. गणित तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री	रचनात्मक अध्यापन पद्धति	कोर गणित तर्कपरक गणित शिक्षा विद्यालय संपर्क गणित शिक्षाशास्त्र
विज्ञान जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान	एक तथा एक	एम.एससी. जीवविज्ञान तथा शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री एम.एससी. भौतिक विज्ञान तथा शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री	शिक्षा ग्रहण मनोविज्ञान, पाठ्यचर्यात्मक मुद्दे, विज्ञान शिक्षण -वही-	कोर प्राकृतिक विज्ञान पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र विद्यालय संपर्क प्राकृतिक विज्ञान का शिक्षाशास्त्र
सामाजिक विज्ञान	एक	एम.ए. राजनीतिशास्त्र (विकासोन्मुखी अध्ययन/राजनैतिक अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञता सहित)/एम.ए. समाजशास्त्र, (विकासोन्मुखी अध्ययन/राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणालियों में विशेषज्ञता सहित)/ एम.ए. इतिहास (सामाजिक विज्ञान के दर्शनशास्त्र के विशेषज्ञता	समकालीन भारतीय मुद्दों पर सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणात्मक शिक्षा के बहुविषय क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यों के समेकित अनुप्रयोग	कोर सामाजिक विज्ञान समकालीन भारतवर्ष

IndiaCode

	तथा एक	सहित) तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में शोध कार्य एम.ए. सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री	शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन, रचनात्मक अध्यापन विधि सामाजिक विज्ञान में	पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र समाज विज्ञान का शिक्षाशास्त्र
भाषा विज्ञान	एक	एम.ए. भाषा विज्ञान/भाषा विज्ञान में डिप्लोमा सहित एम.ए. अंग्रेजी/ हिंदी भाषा विज्ञान में डिप्लोमा सहित तथा बच्चों में भाषा विकास विषय पर शोधकार्य/शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा पर शोध कार्य	बच्चों में भाषा विकास, रचनात्मक भाषा अध्यापन	भाषा का स्वरूप भाषा अर्जन
भाषा : हिंदी अथवा अंग्रेजी	एक	अंग्रेजी/हिंदी में एम.ए. साथ ही शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री	पाठ्यचर्या सामग्री का विकास; नवीन विधियों से भाषा-शिक्षण, भाषा का शिक्षाशास्त्र	सामूहिक पाठ्यचर्या में भाषा संबंधित अभ्यासक्रम भाषा का शिक्षाशास्त्र
शिक्षा	एक तथा एक	दर्शनशास्त्र में एम.ए. तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में व्यावसायिक डिग्री सामाजिक विज्ञान में एम.ए. विज्ञान में एम.एससी. तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री	शिक्षा-सिद्धांत, दर्शन तथा नीति पाठ्यचर्या विषयक मुद्दे विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का परिप्रेक्ष्य	शिक्षा में मूल अवधारणाएं बाल विकास पाठ्यचर्या अध्ययन अन्य पाठ्यक्रमों की संगत इकाइयां विद्यालय आयोजना तथा प्रबंध
उदार विकल्प (कम से कम 4)	तीन*	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री	अंतर-विषयक परिप्रेक्ष्य	लिए गए उदार विकल्प
अंशकालिक संकाय रंगमंच	तीन**	संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा प्रमाणित अनुभव शिक्षा में रंगमंच	शिक्षा में आत्मविकास के लिए रंगमंच के उपयोग की क्षमता	निष्पादन तथा ललित कलाएं
शिल्प आत्म-विकास शारीरिक शिक्षा		शिल्प-निर्माण/प्रशिक्षण नैदानिक/काउंसलिंग अभ्यास/ सामूहिक प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण एवं अभ्यास	शिल्प निर्माण में कुशलता तथा दूसरे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता वैयक्तिक विकास/ काउंसलिंग में कार्यशालाएं संचालित करने की क्षमता शिक्षा के साथ शारीरिक संचलन के विभिन्न रूपों का समेकन करने की क्षमता	शिल्प, सहगामितापूर्ण कार्य आत्म विकास कार्यशालाएं शारीरिक शिक्षा

Indian Code

* ये सेवाएं संस्थान के किसी सहयोगी विभाग से ली जाएंगी

** एक पूर्णकालिक संकाय के बराबर (ये विशेष योग्यताप्राप्त संसाधन व्यक्ति होंगे जो संस्थान के बाहर रहकर अपनी सेवाएं देंगे)।

(10) अन्य सुविधाएं

संस्थान को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करनी होंगी:

भौतिक सुविधाएं

प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान में जिन भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी होगी उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है (i) शैक्षणिक क्षेत्र, (ii) प्रशासनिक क्षेत्र तथा (iii) सुविधा क्षेत्र।

- शैक्षणिक क्षेत्र में कक्षाओं के कमरे, पाठ्यचर्या प्रयोगशाला, संसाधन प्रयोगशाला, सम्मेलन कक्ष, कार्यशाला, प्रेक्षागृह, कंप्यूटर कक्ष तथा पुस्तकालय होंगे।
- प्रशासनिक क्षेत्र में प्रिंसीपल का कमरा, संकाय के लिए कमरे, केंद्रीय कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, अभिलेखागार, कंप्यूटर कक्ष तथा स्वागत कक्ष होंगे।
- सुविधा क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए कामन रूम, स्टाफ रूम, हाल, खेलकूद/मनोरंजन केंद्र, जलपानगृह, सहकारी भंडार, औषधालय तथा सुरक्षा सेवाएं शामिल होंगी।

(11) स्थान के लिए मानदंड

जहां अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था किसी ऐसे विभाग/महाविद्यालय के माध्यम से की जाती है जो कि किसी ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान का एक अभिन्न अंग है जिसमें अनेक संकाय और अध्ययन के विभाग हैं, वहां केंद्र में उपलब्ध सभी केंद्रीय सुविधाओं का उपयोग प्रारंभिक शिक्षा विभाग और अन्य विभाग मिलकर करेंगे। जहां तक प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं का प्रश्न है, उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी आवश्यक होगी ताकि बी.एल.एड. पाठ्यक्रम के विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पुस्तकालय के अतिरिक्त स्वयं विभाग का अलग से एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जाना चाहिए जिससे बी.एल.एड. के विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शिक्षाशास्त्र-आधारित अभ्यासक्रम तथा अन्य विद्यालय संपर्क कार्यक्रमों के लिए आवश्यक अन्य उपकरणों के साथ ही संसाधन प्रयोगशाला में पढ़ने की पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध रहनी चाहिए। प्रेक्षागृह, हाल, सम्मेलन कक्ष आदि जैसी सुविधाओं का उपयोग अन्य विभागों के साथ मिलकर किया जा सकता है।

(12) बी.एल.एड. के विद्यार्थियों के लिए विशेष आधारिक सुविधाएं

(क) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला : एक

पाठ्यचर्या प्रयोगशाला वह प्रयोगशाला होगी, जहां व्यवहारिक अनुभव ग्रहण करने के क्रियाकलाप आयोजित किए जाएंगे। इस प्रयोगशाला का उपयोग पहले वर्ष के पाठ्यक्रमों जैसे कि शिल्प, कोर गणित, कोर विज्ञान तथा आंशिक रूप से कोर सामाजिक विज्ञान तथा तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम में तर्कपरक गणित शिक्षा, पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र तथा सामग्री-विकास संबंधी अभ्यासक्रम के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

प्रयोगशाला में विज्ञान तथा गणित में प्रयोग में आने वाली सामग्री तथा साज-सामान जैसे कि उपस्कर, रसायन, किटें, नक्शे, ग्लोब, उपकरण तथा हथौड़ी, प्लास, कैंची और तार

1005

जैसे औजार उपलब्ध रहने चाहिए। छोटे-छोटे समूहों में काम करने के प्रयोग में आने वाली मेजें भी रहनी चाहिए। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जिसे एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके ताकि फर्श पर काम करने की जगह भी मिल सके। प्रयोगशाला में एक ओवरहैड प्रोजेक्टर के प्रयोग, सूचनापट्ट तथा कक्षाएं चलाने के वास्ते ब्लैकबोर्ड के लिए भी स्थान रहना चाहिए।

(ख) संसाधन प्रयोगशाला : एक

संसाधन प्रयोगशाला का प्रयोग एक प्रयोगशाला-एवं-विभागीय पुस्तकालय के रूप में किया जाएगा। इसमें एक भंडार कक्ष रहना चाहिए, साथ ही पढ़ने के लिए पुस्तकें, पाठ्यचर्या सामग्री, बाल साहित्य, पाठ्यपुस्तकें, रिपोर्ट तथा दस्तावेज उपलब्ध रहने चाहिए। यह सामग्री वह होगी, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से बी.एल.एड. से संबंधित पाठ्यक्रमों में होता है। इन सभी वस्तुओं की संख्या इतनी रहनी चाहिए जिससे इनका उपयोग विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी कर सकें। संसाधन प्रयोगशाला में संकाय तथा विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए एक कंप्यूटर सुविधा भी सुलभ होनी चाहिए। प्रयोगशाला में स्थान भी काफी रहना चाहिए जिससे इसका इस्तेमाल विद्यार्थियों की बैठकों, कक्षाओं तथा सामूहिक परिचर्चा एवं पढने के लिए भी किया जा सके।

(ग) कार्यशाला के लिए स्थान : दो

संस्थान को रंगमंच कार्यशालाओं, आत्म-विकास कार्यशालाओं तथा शारीरिक शिक्षा कार्यशालाओं जैसी गतिविधियों का आयोजन करने के लिए अलग से स्थान की व्यवस्था करनी होगी। यह स्थान इतना होना चाहिए कि उसमें 35-40 विद्यार्थियों के बैच के लिए आसानी से आने-जाने की जगह रहे।

(13) **शुल्क संरचना एवं छात्रवृत्तियां**

अनिवार्य

शुल्क की संरचना राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार होनी चाहिए। किंतु किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों से लिया गया शुल्क और दूसरे खर्च की कुल राशि संस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी पर हुए आवर्ती खर्च से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वांछनीय

गरीब वर्ग के योग्य विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त निःशुल्क शिक्षावत्ति दी जा सकती है। योग्यता के आधार पर कुछ छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान भी रहना चाहिए।

कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

सभी कर्मचारियों की नियुक्तियां पूर्णकालिक एवं नियमित आधार पर होनी चाहिए। सभी पदों के लिए चयन उचित रूप से गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अध्यापक वर्ग के वेतनमान का ढांचा वि.वि.अ. आयोग/सरकार के मानदंडों के अनुसार रहेगा।

IndiaCode

1006

चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (बी.एल.एड.) की योजना

अनुबंध 'ए'

इस पाठ्यक्रम में छात्रों को +2 के बाद प्रवेश दिया जाएगा

सिद्धांत			अभ्यासक्रम			गोष्ठीक्रम/परियोजना			संवर्द्धन		
	परीक्षा अवधि	कुल अंक		प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे	कुल अंक		प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे	कुल अंक		प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे	कुल अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रथम वर्ष											
एफ 1.1 बाल विकास	3	100	पीआर 1.1 फारमैटिंग तथा ललित कलाएं	4	75						
एफ 1.2 समकालीन भारत	3	100									
सी-1.1 भाषा का स्वरूप	2	50	पीआर 1.2 शिल्प, सहभागितापूर्ण कार्य	3	25	गोष्ठीक्रम ट्यूटोरियल	1	50	शैक्षणिक संवर्द्धन क्रियाकलाप	1	
सी-1.2 कोर गणित	2	50									
सी-1.3 कोर प्राकृतिक विज्ञान	2	50									
सी-1.4 कोर सामाजिक विज्ञान	2	50									
		400		7	100		1	50		1	550
द्वितीय वर्ष											
एफ-2.3 संज्ञान और सीखना	3	100	पीआर 2.3 बाल अवलोकन	2	75						
एफ-2.4 भाषा अर्जन	2	50									
एफ-2.5 मानव संबंध एवं संप्रेषण	2	50									
पी 2.1 समूची पाठ्यचर्या में भाषा	2	50	पीआर 2.4 आत्म विकास कार्यशाला	3	50	कोलोकिया ट्यूटोरियल	1	50	शैक्षणिक संवर्द्धन क्रियाकलाप		
			पीआर 2.5 शारीरिक शिक्षा	2	25						
उदार पाठ्यक्रम (वैकल्पिक 1)	3	100									
02.1 अंग्रेजी-1											
02.2 हिंदी-1											
02.3 गणित-1											
02.4 भौतिक विज्ञान-1											
02.5 रसायन विज्ञान-1											
02.6 जीवविज्ञान-1											
02.7 इतिहास-1											

IndiaCode

1007

02.8 राजनीतिशास्त्र 1													
02.9 भूगोल 1													
02.10 अर्थशास्त्र-1		350			7	150		1	50			550	

एफः आधारिक पाठ्यक्रम; सीः कोर पाठ्यक्रम; पीः शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम; ओः वैकल्पिक उदार पाठ्यक्रम; ओ.पी.: वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम; ओ.एल.: वैकल्पिक पाठ्यक्रम; पीआरः अभ्यासक्रम; एससीः विद्यालय संपर्क कार्यक्रम; एसआईः विद्यालय में स्थानबद्ध अध्यापन।

पाठ्यक्रम के नाम के अक्षरों (एफ, सी, पी, आदि) के तुरंत बाद दी गई संख्या कार्यक्रम के उस वर्ष की परिचायक है जिसमें पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है। दूसरी संख्या विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम के क्रमांक की परिचायक है। उदाहरण के लिए एफ 2.5 से यह पता चलता है कि मानव संबंध एवं संप्रेषण 5वां आधारिक पाठ्यक्रम है जिसे कार्यक्रम के अध्ययन काल के दूसरे वर्ष में पढ़ाया जाना है।

IndiaCode

1008

परिशिष्ट - 4

शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 प्रस्तावना

माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक तत्परता पाठ्यक्रम जिसे आमतौर पर बी.एड. के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जो कि उच्च प्राथमिक अथवा मिडिल (कक्षाएं VI-VIII), माध्यमिक (कक्षाएं IX-X) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षाएं XI-XII) स्तरों के लिए अध्यापक तैयार करता है।

2 अवधि और कार्यकारी दिवस

(1) अवधि

बी.एड. कार्यक्रम की अवधि कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष अथवा दो सेमेस्टर होगी।

(2) कार्यकारी दिवस

(क) परीक्षा और प्रवेश आदि की अवधि के अलावा कम से कम दो सौ कार्यकारी दिवस होंगे जिनमें से कम से कम चालीस दिन निकटस्थ प्राथमिक स्कूलों में अभ्यास-अध्यापन/कौशल विकास के लिए होंगे।

(ख) संस्थान पाँच अथवा छह दिन के सप्ताह में कम से कम छत्तीस घंटे काम करेगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी होगी जिससे कि व्यक्तिगत सलाह, मार्गदर्शन, संवादों और परामर्श के लिए जब कभी उसकी जरूरत हो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

3 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और प्रवेश क्रियाविधि

(1) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

सहभागितापूर्ण शिक्षण और अधिगम को सुकर बनाने के लिए सौ छात्रों का एक यूनिट होगा जिसे सामान्य सत्रों के लिए पचास-पचास के दो सेक्शनों में बाट दिया जाएगा और कार्यक्रम के पद्धति पाठ्यक्रमों तथा अन्य प्रायोगिक क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक स्कूल विषय के निमित्त प्रति अध्यापक अधिक से अधिक पच्चीस छात्र होंगे।

(2) पात्रता

(क) कार्यक्रम में दाखिले के लिए स्नातक की डिग्री तथा/अथवा मास्टर डिग्री अथवा अथवा उसके समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

IndiaCode

(ख) आरक्षित श्रेणियों के लिए सीटों और अर्हक अंकों में ढील संबंधित सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन तथा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार दाखिले किए जाएंगे।

(4) **फीस**

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 **स्टाफ**

(I) **शैक्षणिक**

(i) संख्या (100 छात्रों की एक बुनियादी यूनिट के लिए)

प्रिंसीपल/अध्यक्ष - एक
लेक्चरर - सात

(ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्र सौ के गुणकों में होंगे और पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में, बुनियादी यूनिट में प्रत्येक वृद्धि के साथ सात की वृद्धि कर दी जाएगी। तथापि, प्रत्येक मौके पर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में एक बुनियादी यूनिट की वृद्धि पर विचार किया जाएगा। साथ ही सभी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मिलाकर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या 300 से अधिक नहीं होगी।

(iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी ताकि सभी आधारिक और प्रविधि पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(II) **अर्हताएं**

(i) **प्रिंसीपल/अध्यक्ष (बहु-संकाय संस्थान में)**

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं; तथ

(ख) शिक्षा में पीएचडी

IndiaCode

(ग) दस वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव किसी माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान का होना चाहिए।

टिप्पणी: पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसर/अध्यक्ष को, एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए, जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

(ii) लेक्चरर:

(क) आधारिक पाठ्यक्रम एक

(i) पचास प्रतिशत अंकों सहित विज्ञान/मानविकी/कलाओं में मास्टर डिग्री

(ii) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा इसके समतुल्य ग्रेड सहित एमएड

(iii) प्रिंसीपलों तथा लेक्चररों के पदों के लिए यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित कोई अन्य शर्त अनिवार्य होगी।

अथवा

(i) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा इसके समतुल्य ग्रेड सहित शिक्षा में एमए

(ii) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित बी.एड.

(iii) प्रिंसीपलों तथा लेक्चररों के पदों के लिए यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित कोई अन्य शर्त अनिवार्य होगी।

(ख) प्रविधि पाठ्यक्रम छह

(i) स्कूल विषय में पचास प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री

(ii) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा इसके समतुल्य ग्रेड सहित एमएड डिग्री तथा

(iii) प्रिंसीपलों तथा लेक्चररों के पदों के लिए यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित कोई अन्य शर्त अनिवार्य होगी।

(ग) कला शिक्षा में लेक्चरर एक (अंशकालिक)

India Code

(ललित कला/निष्पादन कला)

पचपन प्रतिशत अंकों सहित ललित कलाओं/संगीत में मास्टर डिग्री

(घ) शारीरिक शिक्षा निदेशक (डीपीई) - एक (अंशकालिक)

पचपन प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री

टिप्पणीः (1) कम से कम एक लेक्चरर के पास आईसीटी में और दूसरे के पास विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

4.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) पुस्तकालयाध्यक्ष एक

पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री (पचपन प्रतिशत अंकों सहित)

4.3 सहयोगी स्टाफ

(क) **संख्या**

(i) कार्यालय-एवं-लेखा सहायक - एक
(ii) कार्यालय सहायक-एवं कंप्यूटरी प्रचालक - एक
(iii) स्टोर-कीपर - एक
(iv) तकनीक सहायक/कंप्यूटर सहायक - दो
(v) प्रयोगशाला परिचर/सहायक/सहयोगी स्टाफ - दो

(ख) **अर्हताएं**

संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.4 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) इन पदों पर नियुक्तियां यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित विश्वविद्यालय/यूजीसी के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को यूजीसी/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतनमान में वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

IndiaCode

सहयोगी स्टाफ को वेतन का भुगतान यूजीसी/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के वेतनमान ढांचे के अनुसार किया जाएगा।

(ङ.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5 सुविधाएं

(1) आधारिक सुविधाएं

(i) संस्थानों के कब्जे में सौ छात्रों के प्रारंभिक दाखिले के लिए ढाई हजार वर्गमीटर नितांतः भली-भांति सीमांकित भूमि होगी जिसमें से डेढ़ हजार वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा और बाकी स्थान लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। सौ या उससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थान के पास पांच सौ वर्गमीटर की अतिरिक्त भूमि का कब्जा होना चाहिए। प्रति वर्ष दो सौ से अधिक तथा तीन सौ तक दाखिल किए जाने वाले छात्रों के लिए उसके कब्जे में तीन हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए। इन विनियमों से पहले स्थापित संस्थानों के मामले में अतिरिक्त रूप से दाखिल किए जाने वाले सौ छात्रों के लिए निर्मित क्षेत्र में पांच सौ वर्गमीटर की वृद्धि की जानी होगी तथा अतिरिक्त भूमि की शर्त उनके मामले में लागू नहीं होगी। सभी अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रमों पर एक साथ विचार करते हुए किसी भी संस्थान में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की कुल क्षमता तीन सौ से अधिक नहीं होगी। शारीरिक शिक्षा अध्यापक पाठ्यक्रमों के लिए अलग भूमि और निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ii) बी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगाः

	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)
बी.एड.	1500 वर्गमीटर	2500
डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड.	2500 वर्गमीटर	3000
डी.एल.एड. तथा बी.एड.	3000 वर्गमीटर	3000
बी.एड. तथा एम.एड.	2000 वर्गमीटर	3000
डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	3000 वर्गमीटर	3500
डी.एल.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	3500 वर्गमीटर	3500
डी.एल.एड. तथा डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	4000 वर्गमीटर	4000

बी.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए पांच सौ वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होंगी।

(iii) संस्थान में निम्न आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए:

(क) दो क्लासरूम

(ख) दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला तथा एक डायस सहित बहुद्देशीय हाल (दो सौ वर्गफुट)

(ग) पुस्तकालय-एवं-वाचनालय।

(घ) आईसीटी संसाधन केन्द्र।

(ङ) मनोविज्ञान संसाधन केन्द्र।

(च) कला तथा शिल्प संसाधन केन्द्र।

(छ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्र।

(ज) विज्ञान और गणित संसाधन केन्द्र।

(झ) प्रिंसीपल का कार्यालय।

(ञ) स्टाफ रूम।

(ट) प्रशासनिक कार्यालय।

(ठ) अतिथि कक्ष।

(ड) बालिकाओं का कामन रूम।

IndiaCode

1014

(ढ) संगोष्ठी कक्ष।

(ण) कैंटीन।

(त) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग टायलेट सुविधाएं।

(थ) वाहन खड़ा करने के लिए स्थान।

(द) स्टोर रूम (दो)।

(ध) बहुप्रयोजन खेल मैदान।

(न) अतिरिक्त आवास के लिए खुला स्थान।

(iv) खेल के मैदान सहित खेल सुविधाएं होंगी। विकल्प के तौर पर नितांतः निर्धारित अवधियों के लिए सम्बद्ध स्कूल या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और महानगरीय शहरों/पर्वतीय क्षेत्रों जैसे स्थानों में, जहाँ स्थान की कमी रहती है छोटे मैदान के खेलों, योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

(v) आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।

(vi) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा रहित होने चाहिए।

(vii) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

(2) **शिक्षणात्मक**

(क) संस्थान में प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास अध्यापन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल सहज सुलभ होने चाहिए। संस्थान स्कूलों से इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि वे अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने को तत्पर हैं। एक हजार तथा दो हजार छात्रों की क्षमता वाले स्कूल के साथ क्रमशः अधिक से अधिक दस तथा बीस प्रशिक्षणार्थी अध्यापक संबद्ध किए जाएंगे। बेहतर हो यदि संस्थान के पास अपने नियंत्रण के अधीन एक संबद्ध स्कूल हो।

(ख) कम से कम पचास प्रतिशत छात्रों के बैठने की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय-एवं-वाचनालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए एक हजार पुस्तकें तथा संगत पाठ्य तथा संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, अब्दकोशों, इलेक्ट्रिक प्रकाशनों (सीडी रोम) सहित कम से कम तीन हजार पुस्तकें और शिक्षा की कम से कम पांच पत्रिकाएं तथा संबद्ध विषयों में अन्य पांच पत्रिकाएं मंगाई जाएंगी। पुस्तकालय के संग्रह में प्रति वर्ष दो सौ

पुस्तकें शामिल की जाएंगी जिनमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रकाशित तथा अनुशंसित पुस्तकें और पत्रिकाएं सम्मिलित होंगी। पुस्तकालय में संकाय और प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे। पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर प्रत्येक पुस्तक की तीन से अधिक प्रतियां नहीं होंगी।

(ग) विज्ञान और गणित के लिए अध्यापन अधिगम संसाधन केन्द्र होगा। इसमें माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोगों का निष्पादन और निदर्शन करने के लिए अपेक्षित विज्ञान उपकरणों के कई सेट होंगे। अपेक्षित मात्रा में रसायन आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(घ) शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित साधारण प्रयोगों के लिए उपकरण सहित एक मनोविज्ञान संसाधन केन्द्र होगा।

(ड.) कंप्यूटरों सहित हार्डवेयर और साफ्टवेयर से युक्त आईसीटी सुविधाएं, टीवी, कैमरा उपलब्ध होंगे। आरओटी (केवल प्राप्ति टर्मिनल), एसआईटी (उपग्रह अंतर्संबंध टर्मिनल) आदि जैसे आईसीटी उपकरण।

(च) कला तथा कार्य अनुभव के लिए एक पूर्णतः सुसज्जित अध्यापन अधिगम संसाधन केन्द्र होगा।

(छ) सामान्य इंडोर तथा आउटडोर खेलों के लिए खेल और खेलकूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

टिप्पणीः संसाधन केन्द्रों की स्थापना करते समय संस्थानों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित "अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए नियमपुस्तिका" की सहायता लेने की सलाह दी जाती है।

(3) साधन

(क) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर।

(ख) संस्थान को पुरुष तथा महिला अध्यापक-प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी- अध्यापकों के लिए अलग-अलग कामन रूमों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

(ग) स्टाफ और छात्रों के लिए पुरुषों और महिलाओं के वास्ते पर्याप्त संख्या में अलग-अलग टायलेट उपलब्ध होने चाहिए।

(घ) वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ड.) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

1016

(घ) परिसर की नियमित सफाई, पानी और टायलेट सुविधाएं, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा उन्हें बदलने की कारगर व्यवस्था होनी चाहिए।

6 पाठ्यचर्या संचालन

(क) प्रत्येक छात्र द्वारा निष्पादित किया जाने वाला व्यवहारिक कार्य

पद	अनिवार्य (संख्या)
(क)	पाठ आयोजना और स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित वास्तविक स्कूल स्थितियों में पढ़ाना - बीस पाठ - प्रत्येक शिक्षण विषय में पंद्रह पाठ
(ख)	पाठ आयोजना तथा अनुरूपित स्थिति में पढ़ाना -- दस पाठ - प्रत्येक शिक्षण में विषय में पांच पाठ
(ग)	पाठ आयोजना तथा अनुरूपित स्थिति में पढ़ाना - दस पाठ - प्रत्येक शिक्षण में विषय में पांच पाठ
(घ)	कार्य अनुसंधान परियोजना - 1 (एक)
(ङ)	स्कूल संगठन का अनूठा अनुभव -- दो दिन
(च)	क्षेत्र-विशिष्ट समुदाय अनुभव -- सात दिन
(छ)	अभ्यास पाठ का पर्यवेक्षण

निर्धारित अभ्यास शिक्षण पाठों में से कम से कम पचास प्रतिशत पाठ अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा पूरी तरह पर्यवेक्षित किए जाएंगे और छात्रों को मौखिक रूप से फीडबैक और साथ ही लिखित रूप में टिप्पणियां प्रदान की जाएंगी। पाठ योजना, शिक्षण और पर्यवेक्षण का रिकार्ड रखा जाएगा।

7 (क) सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा में एक या अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों में आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है। पूरे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा संस्थान द्वारा जिन विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके अध्यक्ष होने चाहिए।

(ख) प्रबंधन समिति

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी अथवा न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

IndiaCode

परिशिष्ट - 5

शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.) प्राप्त करने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. **प्रस्तावना**

(1) शिक्षा में मास्टर (एम.एड.) कार्यक्रम ऐसे छात्रों के लिए है जोकि शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापक प्रशिक्षकों को तैयार करने के साथ-साथ शैक्षिक प्रशासकों, पर्यवेक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को तैयार करना भी है।

(2) एम.एड. कोर्यक्रम में शिक्षा के विषयक्षेत्र में विशेषज्ञतापूर्ण पाठ्यक्रम तथा संबंधित व्यावहारिक/क्षेत्रीय कार्य सहित सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और साथ ही अध्यापक शिक्षा संस्थान से परिचय और उसमें प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके अतिरिक्त शोध प्रबंध के रूप में अनुसंधान कार्य इस कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग होगा। कार्यात्मक डिजाइन और घोषित लक्ष्यों के आधार पर यह कार्यक्रम छात्रों को शिक्षा के अपने ज्ञान और बोध का विस्तार करने और उसमें गहराई लाने, अध्यापक शिक्षा सहित चुनिंदा क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने और अनुसंधान संबंधी कौशल प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान करता है।

(3) ऐसे विश्वविद्यालय विभागों को छोड़कर जोकि सीधे ही बी.एड. पाठ्यक्रम चला रहे हों, केवल वही संस्थान एम.एड. पाठ्यक्रम चलाने के पात्र हैं जोकि बी.एड. कार्यक्रम चला रहे हों।

2. **अवधि और कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

एम.एड. कार्यक्रम एक शैक्षणिक वर्ष की अवधि का होगा।

(2) **कार्यकारी दिवस**

(क) परीक्षा और दाखिले की अवधियों को छोड़कर नितांततः अनुदेशन, शोध प्रबंध के निमित्त क्षेत्रीय कार्य और अध्यापक शिक्षा संस्थान में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए कम-से-कम दो सौ कार्यदिवस होंगे।

(ख) संस्थान सप्ताह (पांच अथवा छह दिन) में कम से कम छत्तीस घंटे काम करेगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी होगी जिससे कि व्यक्तिगत सलाह, मार्गदर्शन, संवादों और परामर्श के लिए जब कभी उसकी जरूरत हो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

3 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और प्रवेश क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

(क) बुनियादी यूनिट पच्चीस छात्रों की होगी। ऐसे प्रमाणित संस्थानों में, जहां भौतिक और मानवीय--दोनों प्रकार के आधारिक तंत्र का स्तर उन्नत कोटि का है और जिसका सत्यापन किया जा सकता है कुल मिलाकर पचास छात्रों तक का दाखिला मंजूर किया जा सकता है।

(2) **पात्रता**

(i) बी.एड. में कम-से-कम पचपन प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5 प्रतिशत की ढील दी जाएगी।

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन तथा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता-क्रम के अनुसार दाखिले किए जाएंगे।

(4) **फीस**

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 **स्टाफ**

(I) **शैक्षणिक**

(i) संख्या (पच्चीस छात्रों के बुनियादी यूनिट के लिए)

प्रोफेसर/अध्यक्ष	- एक
रीडर/सह-प्रोफेसर	- एक
लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर	- तीन

(ii) अतिरिक्त यूनिट के दाखिल किए जाने पर संकाय की स्थिति में ऊपर बताए गए अनुपात के अनुसार वृद्धि की जाएगी।

(II) **अर्हताएं**

प्रोफेसर/अध्यक्ष

(i) कला/मानविकी/विज्ञान/वाणिज्य में मास्टर डिग्री तथा एमएड और प्रत्येक में कम से कम पचपन प्रतिशत अंक।

अथवा

पचपन प्रतिशत अंकों सहित एमए (शिक्षा) तथा कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित बीएड

(ii) शिक्षा में पीएचडी तथा

(iii) शिक्षा के विश्वविद्यालय विभाग अथवा शिक्षा के कालेज में कम से कम बारह वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से एमएड स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव और साथ ही उसके विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रकाशित कार्य।

टिप्पणी: पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/रीडर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/रीडर को, एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए, जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

रीडर/सह-प्रोफेसर

(i) कला/मानविकी/विज्ञान/वाणिज्य में मास्टर डिग्री तथा एमएड तथा कम से कम और प्रत्येक में कम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड।

अथवा

एमए (शिक्षा) और बीएड और प्रत्येक में पचपन प्रतिशत अंक होने चाहिए।

(ii) शिक्षा में पीएचडी

(iii) शिक्षा के विश्वविद्यालय विभाग अथवा शिक्षा के कालेज में कम से कम आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से एमएड स्तर पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव और साथ ही उसके विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रकाशित कार्य।

1020

लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर

(i) कला/मानविकी/विज्ञान/वाणिज्य में मास्टर डिग्री तथा एमएड तथा कम से कम और प्रत्येक में कम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड।

अथवा

एमए (शिक्षा) और बीएड और प्रत्येक में पचपन प्रतिशत अंक होने चाहिए।

(ii) प्रिंसीपल तथा लेक्चरर के पद के लिए यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित कोई अन्य शर्त अनिवार्य होगी।

टिप्पणी: बेहतर हो कि संकाय के एक सदस्य के पास एमएड के अलावा मनोविज्ञान में तथा दूसरे के पास दर्शनशास्त्र/समाज विज्ञान में मास्टर डिग्री हो।

(III) **तकनीकी सहयोगी स्टाफ**

(i) संख्या

विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार।

(IV) **प्रशासनिक स्टाफ**

(i) संख्या

विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार।

(V) **सेवा की शर्तें और उपबंध**

(क) इन पदों पर नियुक्तियां यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति यूजीसी/संबंधित विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को यूजीसी/संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतनमान में वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) संस्थान अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

IndiaCode

201

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5 सुविधाएं

(1) आधारिक तंत्र

(क) संस्थान के पास नितांतः और भली-भांति सीमांकित कम से कम तीन हजार वर्गमीटर भूमि होगी जिसमें से क्लासरूमों आदि से युक्त निर्मित क्षेत्र कम से कम दो हजार वर्गमीटर होगा जिसमें बीएड कक्षाओं के एक यूनिट क लिए अभिप्रेत स्थान शामिल होगा। प्रत्येक शिक्षणात्मक कक्ष में स्थान प्रत्येक छात्र के लिए दस वर्गफुट का स्थान होगा। बीएड कार्यक्रम के लिए निर्धारित आधारिक सुविधाओं के अलावा सौ अथवा दो सौ छात्रों के दाखिले के लिए संस्थान के पास एक क्लासरूम, एक संगोष्ठी कक्ष तथा शैक्षणिक संकाय के लिए अलग-अलग कमरे/केबिन होने चाहिए।

शिक्षा के ऐसे विश्वविद्यालय विभागों के मामले में जो बी.एड. पाठ्यक्रम की पेशकश नहीं कर रहे हैं एमएड पाठ्यक्रम के लिए नितांततः आबंटित पांच सौ वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र सहित पर्याप्त भूमि जरूरी होगी।

(ख) एम.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगाः

	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)
बी.एड. तथा एम.एड.	2000 वर्गमीटर	3000
डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	3000 वर्गमीटर	3500
डी.एल.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	3500 वर्गमीटर	3500
डी.एल.एड. तथा डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	4000 वर्गमीटर	4000

एम.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए दो सौ वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ग) दाखिल किए जाने वाले पच्चीस छात्रों के लिए अनुदेशात्मक क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए कम-से-कम एक क्लासरूम, एक हॉल/संगोष्ठी कक्ष, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था होगी, प्रोफेसर/अध्यक्ष, संकाय सदस्यों के

1022

लिए अलग-अलग कक्ष होंगे जिनमें सात से आठ छात्रों के बैठने की व्यवस्था हो, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय और एक स्टोर की व्यवस्था होगी।

(घ) भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।

(ड.) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधामुक्त होने चाहिए।

(च) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय है।

(छ) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होना चाहिए।

(2) शिक्षणात्मक

(क) एक ऐसा पुस्तकालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए संगत पाठ्य तथा संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोशों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) सहित कम-से-कम दो हजार पुस्तकें (किसी भी एक पुस्तक की पांच से अधिक प्रतियां नहीं होगी) और कम-से-कम पांच व्यावसायिक अनुसंधान पत्रिकाएं जिनमें से कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होगा तथा इंटरनेट संयोज्यता की व्यवस्था होगी। पुस्तकालय संसाधनों में राअशिप द्वारा प्रकाशित और अनुशंसित पुस्तकें आर पत्रिकाएं शामिल होंगी। पुस्तकालय में पढ़ने और संदर्भ के लिए ऐसा प्रावधान भी होगा कि कम से कम दस व्यक्ति एक ही समय में बैठ सकें। पुस्तकालय में प्रति वर्ष कम से कम सौ उत्तम पुस्तकें जोड़ी जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और छात्रों के प्रयोग के लिए फोटोकापी मशीन तथा इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध रहेंगे। बेहतर हो कि प्रत्येक संस्थान की अपनी स्वयं की वेबसाइट भी हो।

(ख) प्रोजेक्शन और साफ्टवेयर के लिए जिसमें डीवीडी तथा सीडी शामिल होंगे टी.वी., कैमरा तथा एलसीडी सहित एक सुसज्जित शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा मीडिया प्रयोगशाला होगी।

(ग) अध्यापक शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करने के लिए जरूरी आरओटी (केवल प्राप्ति टर्मिनल), एसआईटी (उपग्रह अंतर्संबंध टर्मिनल) आदि जैसे आईसीटी उपकरण वांछनीय होंगे।

(घ) पाठ्यचर्या में सूचीबद्ध प्रयोग करने के लिए उपकरणों सहित एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होगी।

IndiaCode

(3) साधन

(क) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी जिसमें छात्रों और अध्यापकों के लिए क्लासरूमों, हालों, प्रयोगशालाओं में डैस्क, कुर्सियां और मेजें, बुक शैल्फ शामिल होंगे।

(ख) संस्थान पुरुष और महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम उपलब्ध कराएगा।

(ग) स्टाफ और छात्रों के लिए समुचित संख्या में अलग-अलग पुरुष और महिला शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

(घ) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(ङ.) कैन्टीन, टेलीफोन सुविधा, वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(च) परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

6 पाठ्यचर्या संचालन

(i) किसी एक अनुमोदित विषय पर शोध-प्रबंध की प्रस्तुति अनिवार्य होगी।

(ii) शोध-प्रबंध संबंधी मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक अध्यापक प्रशिक्षक के साथ एम.एड. के अधिक से अधिक पांच छात्र संबद्ध किए जाएंगे।

(iii) बी.एड./डी.एड. छात्रों द्वारा प्रस्तुत पाठों का पर्यवेक्षण।

(iv) बी.एड./डी.एड. कक्षाओं में शिक्षणात्मक डिजाइन प्रस्तुत करना और पांच अभ्यास लेक्चर देना।

(v) अध्यापक शिक्षा संस्थान का एक मामला अध्ययन तैयार करना।

(vi) श्रृव्य स्क्रिप्टिंग तथा दृश्य स्क्रिप्टिंग की रिकार्डिंग और शूटिंग, डिजिटल पाठ डिजाइनिंग, वेब-डिजाइनिंग।

7 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों में आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है। पूरे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा संस्थान द्वारा जिन विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके अध्यक्ष होने चाहिए। एम.एड. पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले कालेज का प्रिंसीपल प्रोफेसर के वेतनमान में होगा और उसके पास इन विनियमों में प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित अर्हताएं होनी चाहिए।

IndiaCode

परिशिष्ट - 6

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक

1 प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) एक ऐसा व्यावसायिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक स्तर अर्थात प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक तैयार करना है।

2 अवधि और कार्यकारी दिवस

(1) अवधि

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी।

(2) कार्यकारी दिवस

दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोड़कर एक सप्ताह में कम से छत्तीस कामकाजी घंटे सहित कम से कम दो सौ कार्यकारी दिवस होंगे।

3 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

(1) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

प्रत्येक वर्ष के लिए पचास छात्रों का बुनियादी यूनिट होगा।

(2) पात्रता

(क) कम से कम पचास प्रतिशत अंकों सहित उच्च माध्यमिक स्कूल (10+2) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा पास करना जरूरी है। पचास प्रतिशत की ढील उन अभ्यर्थियों के मामले में दी जाएगी जिन्होंने कम से कम अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/एसजीएफआई/खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है अथवा जिन्होंने अंतःक्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त किया है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के वर्गों के लिए अर्हक परीक्षा में अंकों के प्रतिशत में ढील तथा सीटों में आरक्षण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

(3) दाखिले की क्रियाविधि

दाखिला प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर (खेलकूद, दक्षता, परीक्षण, शारीरिक योग्यता परीक्षण तथा अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों) अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

1025

(4) **फीस**

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 **स्टाफ**

(I) **शैक्षणिक**

(i) संख्या (पचास अथवा उससे कम छात्रों के बेसिक यूनिट के लिए तथा दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए सौ अथवा इससे कम की संयुक्त क्षमता के लिए)

प्रोफेसर/अध्यक्ष - एक
लेक्चरर - छः

(ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए जोकि पचास छात्रों की गुणक में होंगे पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए छह की वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक मौके पर एक बुनियादी यूनिट के अतिरिक्त दाखिले पर विचार किया जाएगा। तथापि, किसी भी शारीरिक शिक्षा अध्यापक संस्थान में सभी शारीरिक शिक्षा अध्यापक पाठ्यक्रमों को मिलाकर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या तीन सौ से अधिक नहीं होगी। शारीरिक शिक्षा अध्यापक पाठ्यक्रम अन्य सामान्य अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ नहीं चलाए जाएंगे।

(iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार बांटी जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित शिक्षण पाठ्यक्रमों/विषयों तथा क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित प्रकृति और स्तर की विशेषज्ञता सुनिश्चित हो सके।

स्थायी लेक्चररों के अलावा कम से कम चार अलग-अलग खेलों/खेलकूद में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ खेलकूद प्रशिक्षक कोचों की नियुक्ति की जाएगी।

(II) **अर्हताएं**

प्रिंसीपल

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।

1026

(ii) किसी शारीरिक और प्रशिक्षण संस्थान में लेक्चरर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

अध्यक्ष

(i) शैक्षणिक और व्यवसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।

(ii) किसी शारीरिक और प्रशिक्षण संस्थान में लेक्चरर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

लेक्चरर

कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित एमपीएड

अथवा

कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित बीपीएड तथा किसी मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल में स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के रूप में अथवा किसी अन्य नाम से आठ वर्ष का अनुभव

खेलकूद प्रशिक्षक (अंशकालिक) कम से कम एक खेल/खेलकूद में विशेषज्ञता सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री

(III) तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

(i)	पुस्तकालयाध्यक्ष	- 1
(ii)	भौतिक चिकित्सक	- 1
(iii)	ग्राउंडमेन/मार्कर/सहायक	- 2
(iv)	संगीत अध्यापक/बैंडमास्टर	- 1 (अंशकालिक)
(v)	आईसीटी अनुदेशक	- 1 (अंशकालिक)
(vi)	तकनीकी सहायक	- 1 (अंशकालिक)

(ख) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

(IV) प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i) कार्यालय सहायक - 1 कंप्यूटर पर काम करने के कौशल सहित

(ii) कार्यालय सहायक - एक

(iii) स्टोरकीपर - एक

(iv) सहायक/परिचर - दो

(v) तकनीकी सहायक (कंप्यूटर) - एक

(ख) अर्हताएं

संबंधी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

(V) सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) इन पदों पर नियुक्तियां केन्द्रीय/संबंधित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर की जाएंगी।

(ख) अंशकालिक को छोड़कर सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालित कोचों तथा अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सरकारी/बोर्ड के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार/बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए खोले गए कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) संस्थान अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5 सुविधाएं

(1) आधारिक सुविधाएं

(क) इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधकवर्ग/संस्थान के कब्जे में आवेदन करते समय मालिकाना आधार पर अथवा सरकार से पट्टे के आधार पर नितांतः और भलीभांति सीमांकित कम से कम पांच एकड़ भूमि और उस पर बना हुआ भवन होना चाहिए।

(ख) दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक यूनिट के लिए कम से कम दो क्लासरूमों, एक बहुद्देशीय हाल, एक बहुद्देशीय प्रयोगशाला, संगोष्ठी/ट्यूटोरियल कक्षों,

1028

प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कक्षों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय तथा एक स्टोर का प्रावधान होना चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम दस वर्गफुट का स्थान होना चाहिए। दो हजार वर्गफुट के समग्र क्षेत्र में बने हुए बहुद्देशीय हाल में एक डायस सहित दो सौ व्यक्तियो के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) बाह्य खेलकूद के लिए एक बहुद्देशीय मैदान, कम से कम दो सौ मीटर लम्बा ट्रैक तथा व्यायाम और इन्डोर खेलों और खेलकूदों के लिए एक हाल होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खुले स्थान की उपलब्धता दुष्कर होती है, अन्य संस्थानों के साथ इनका साझा प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए

(ड.) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के लिए अनुकूल होने चाहिए।

(च) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

(2) शिक्षणात्मक

(क) संस्थान के पास समुचित बाड़े सहित कम से कम पांच एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे कि संस्थान के भवन तथा भावी विस्तार के लिए और खेल तथा खेलकूद के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र एक हजार दो सौ वर्गमीटर से कम नहीं होगा। यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में भी, जहां कुल भूमि अपेक्षित पांच एकड़ से कम हो सकती है सुनिश्चित की जाएगी।

डी.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

केवल डी.पी.एड. - 1200 (एक हजार दो सौ) वर्गमीटर

डी.पी.एड. तथा बी.पी.एड. - 2700 (दो हजार सात सौ) वर्गमीटर

बी.पी.एड. तथा डी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. - 3900 (तीन हजार नौ सौ) वर्गमीटर

डी.पी.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए पांच सौ वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ख) अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम दो हजार पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, अब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर कम से कम पांच

पत्रिकाएं जिसमें राअशिप द्वारा प्रकाशित और अनुशंसित पुस्तकों और पत्रिकाओं से युक्त एक पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय में संकाय और छात्र अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर सुविधा होगी।

(ग) **प्रयोगशालाएं**

(घ) **शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपकरण**

प्रक्षेपण और अनुलिपीकरण के लिए हार्डवेयर तथा आईसीटी का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने के लिए जरूरी शैक्षिक साफ्टवेयर जिसमें निम्न शामिल होंगे-

सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, टेप रिकार्डर, टीवी सेट, एलसीडी प्रोजेक्टर, एक ऐपीडियास्कोप, निदर्शन बोर्ड (तीन) तथा मूवी कैमरा तथा इंटरनेट संयोज्यता से युक्त कम से कम 10 पीसी।

विभिन्न खेलकूद/खेल/कौशल शिक्षण के लिए आरओटी (रिसीव्ड ओनली टर्मिनल), एसआईटी (सैटेलाइट इंटरलिंकिंग टर्मिनल), स्लाइड प्रोजेक्टर, फोटोकापी मशीन, सीडी/डीवीडी/रोम (20) उपलब्ध होंगे।

(ड.) **शरीरचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला**

मानवीय कंकाल (1 वर्णित तथा 2 अवर्णित)	
यकृत का भार मापने वाली मशीन	- एक
मानवमितीय किट	- एक
वृद्धि-चार्ट तथा शारीरिक प्रणाली चार्ट	- दस
वांछनीय भार और लंबाई तालिकाएं	- दो
स्किनफोल्ड कैलिपर	- दो
श्वसनमापी	- दो
होमोग्लोबीनोमीटर	- एक
ग्रिमडायनोमीटर	- दो
जीनियोमीटर	- दो
पीडोमीटर	- दो
हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बेंच	- दो
मेट्रोनोम	- दो
बीपी उपकरण (स्फिगमोमैनोमीटर तथा स्टेथोस्कोप और स्टाप वाच)	- दो

(3) **खेलकूद और क्षेत्र उपकरण**

खेलकूद और क्षेत्र उपकरण निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाएंगे:

1030

(क) **ऐथेलेटिक्स**

बाधाएं, आरंभ खटका, मापक टेप (इस्पात) पंद्रह मीटर, मापक टेप (इस्पात) तीस मीटर, मापक टेप (इस्पात) पचास मीटर, मापक टेप (इस्पात) सौ मीटर, ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार (पचास मीटर), स्टाप वाच, स्टार्टिंग ब्लाक, ऊंची छलांग स्टैंड (एक जोड़ा और छः क्रास बार), वाल्टिंग बाक्स, डिसकस- पुरुषों और महिलाओं के लिए, शाप-पुट- पुरुषों और महिलाओं के लिए, हैमर (पुरुषों और महिलाओं के लिए), स्टाप-बोर्ड , प्रतियोगिता के अंत में निर्णायकों के लिए स्टैंड, फ्लैग पोल, जेवलिन-पुरुषों और महिलाओं के लिए (दो एल्यूमीनियम सहित), टेक आफ बोर्ड, गद्दे, भार प्रशिक्षण सेट (मैट्स), ऊंची छलांग के लिए लैंडिंग।

(ख) **खेल**

बैडमिंटन पोस्ट, बैडमिंटन जाल, बैडमिंटन रैकेट, चिड़िया, बास्केटबाल स्टैंड तथा बोर्ड, बास्केटबाल बाल, बास्केटबाल जाल, क्रिकेट के बैटिंग पैड, क्रिकेट के बैटिंग दस्ताने, एबडामिनल गार्ड, हेलमेट, विकेटकीपिंग के दस्ताने, विकेटकीपर का लेग गार्ड, स्टंप, बेल्ज, क्रिकेट बाल, फुटबाल पोस्ट, फुटबाल, फुटबाल गोल पोस्ट नेट, झंडों सहित पोस्ट, जिमनेस्टिक उपकरण (पुरुषों के लिए), वाल्टिंग टेबल/हार्स, बीट बोर्ड, पैरेलल बार, हारीजेंटल बार, रोमन रिंग्स, प्यूमल्ड हार्स, जिमनेस्टिक्स एपरेटस (महिलाओं के लिए), अनईवन बार, बैलेंस बीम (एडजस्टेबल), जिमेनेस्टिक गद्दे, हैंडबाल पोस्ट, हैंडबाल-बाल, हैंडबाल गोल पोस्ट जाल, हाकी पोस्ट, हाकी बाल, हाकी स्टिक, हाकी गोलकीपिंग किट, खो-खो पोल, लान टेनिस पोस्ट, टेनिस बाल, टेनिस रैकेट, टेबल टेनिस बाल, बालीवाल पोस्ट, वालीबाल, वालीबाल जाल, वालीबाल एंटीना, भार प्रशिक्षण छड़ें, भार प्लेटें ढाई किग्रा, पांच किग्रा, दस किग्रा, बीस किग्रा, कालर, बेंच, भार स्टैंड, एक बहुजिम अथवा अलग स्टेशन-वार (कम से कम दस स्टेशन), भार बेल्ट और भार जैकेट।

(ग) **स्वदेशी क्रियाकलापों/विशाल निदर्शन के लिए उपकरण**

लेजिम पचास, डंबल पचास जोड़े, भारतीय मुदगर पचास जोड़े, फ्लैग, हूप, वैंड, बाल, अंब्रेला, कूदने की रस्सी आदि। भौतिक क्रियाकलापों/निदर्शन/मार्शल कलाओं के लिए निदर्शन उपकरण।

(घ) **व्यायाम उपकरण**

बीट बोर्ड, पैरलल बार, हारीजोंटल बार, ऊपर चढ़ने वाली रस्सियां (6), संतुलन बीम (समायोज्य सेट), वाल्टिंग हार्स; मैट्स (एक दर्जन कॉयर+ एक दर्जन रबड़), भारोत्तोलन सेट/पावरलिफ्टिंग सेट।

1031

टिप्पणीः खेलकूद के सभी उपकरण ऐसे होने चाहिए जोकि राष्ट्रीय खेलकूद संघ अथवा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद संघों द्वारा निर्धारित मानदंडों की पूर्ति करते हों।

(4) **सांस्कृतिक क्रियाकलाप**

जरूरत के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त वाद्ययंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) **विविध**

बड़े खेलों, छोटे खेलों, मनोरंजनात्मक खेलों, रिले और लड़ाकू क्रियाकलापों के लिए जरूरी अन्य उपकरण

(6) **साधन**

(i) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) संस्थान महिला और पुरुष अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग कामनरूम उपलब्ध कराएगा।

(iii) स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में टायलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iv) वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) परिसर, जल और टायलेट सुविधाओं की नियमित सफाई तथा फर्नीचर और अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत तथा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

6 (क) **सामान्य**

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है। समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए एक अध्यक्ष होगा।

(ख) **प्रबंधन समिति**

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट - 7

शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 **प्रस्तावना**

शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मुख्यतः उच्च माध्यमिक/(कक्षा VI-VIII) तथा माध्यमिक (कक्षा IX और X कक्षाओं के लिए शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापक तैयार करना है।

2 **अवधि तथा कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

बी.पी.एड. कार्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष अथवा दो सेमेस्टर की होगी।

(2) **कार्यकारी दिवस**

दाखिले और परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम दो सौ कार्यकारी दिवस होंगे। संस्थान (पांच अथवा छह दिन) के सप्ताह में कम से कम छत्तीस घंटे क्लास करेगा।

3 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

पचास-पचास छात्रों के दो सेक्शनों सहित सौ छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

(2) **पात्रता**

पचास प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक।

अथवा

एक प्रमुख विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा में पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री।

अथवा

पैंतालीस प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री अथवा एक प्रमुख विषय के रूप में पचास प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा से युक्त स्नातक डिग्री

अथवा

पैंतालीस प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री अथवा एक प्रमुख विषय के रूप में पैंतालीस प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा से युक्त स्नातक डिग्री तथा एआईयू अथवा आईओए द्वारा मान्य खेलकूदों में राष्ट्रीय/अखिल भारतीय अंतर्विश्वविद्यालय/ अंतर्दिश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सहभागिता।

अथवा

प्रतिनियुक्ति पर (सेवारत उम्मीदवार अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा अध्यापक कोच) पैंतालीस प्रतिशत अंकों सहित और कम से कम तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव सहित स्नातक।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण तथा अर्हक अंकों में ढील का प्रावधान केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में पांच प्रतिशत की ढील दी जाएगी।

(3) **दाखिले की कार्यविधि**

दाखिले प्रवेश परीक्षा (लिखित परीक्षा, खेलकूद दक्षता परीक्षा, शारीरिक स्वस्थता परीक्षा तथा अर्हक परीक्षा) में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की नीति के अनुसार शारीरिक स्वस्थता/दक्षता को समुचित भारिता प्रदान करते हुए किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर किए जाएंगे।

(4) **फीस**

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 स्टाफ

(I) **शैक्षणिक**

(i) संख्या (100 छात्रों के लिए बुनियादी यूनिट)

प्रिंसीपल - एक

लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर - आठ (एक लेक्चरर एमबीबीएस डिग्री सहित अथवा शरीरसंरचनाविज्ञान, भौतिक चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य शिक्षा में मास्टर डिग्री सहित होना चाहिए और बाकी 7 लेक्चरर शारीरिक शिक्षा में होने चाहिए।

(ii) खेलकूद प्रशिक्षक - तीन (अंशकालिक)

टिप्पणी: 4.0 (I)(i) सौ छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में शारीरिक शिक्षा में आठ लेक्चरर की वृद्धि की जाएगी।

1034

(iii) शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों की नियुक्ति इस तरह की जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों/विषयों तथा क्रियाकलापों के शिक्षण के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(iv) कम से कम तीन अंशकालिक विशेषज्ञताप्राप्त व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिन्होंने प्रतियोगी खेलकूद के प्रशिक्षण के लिए स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा डिग्री में किसी खेलकूद में विशेषज्ञता प्राप्त की हो।

(II) अर्हताएं

प्रिंसीपल/अध्यक्ष

(i) पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित अर्थात ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ के पांच बिंदुओं के माप में बी ग्रेड सहित शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री

(ii) शारीरिक शिक्षा में पीएचडी अथवा शारीरिक शिक्षा में समतुल्य प्रकाशित कार्य

(iii) दस वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव किसी शारीरिक शिक्षा कालेज का होना चाहिए।

टिप्पणीः

(i) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में शारीरिक शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रिंसीपल/अध्यक्ष को, एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए, जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर

(i) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित एमपीएड डिग्री

(ii) प्रिंसीपल, लेक्चरर के पद के लिए यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित कोई अन्य शर्त अनिवार्य होगी।

खेलकूद प्रशिक्षक - अनिवार्य

किसी एक विशिष्ट खेलकूद अथवा खेल में विशेषज्ञता सहित बीएससी (पीईएचईएस) सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बीपीएड)

वांछनीय

कोचिंग में डिप्लोमा वांछनीय होगा।

IndiaCode

(III) **तकनीकी सहयोगी स्टाफ**

(क)

(i) पुस्तकालयाध्यक्ष	- एक
(ii) भौतिकचिकित्सक	- एक
(iii) ग्राउंडमेन/मार्कर/हेल्पर	- दो
(iv) संगीत अध्यापक/बैंडमास्टर	- एक (अंशकालिक)
(v) आईसीटी अनुदेशक	- एक (अंशकालिक)
(vi) तकनीकी सहायक	- एक (अंशकालिक)

(ख) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार, संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित

(IV) **प्रशासनिक स्टाफ**

(i) लेखा सहायक	- एक
(ii) कार्यालय सहायक	- एक
(iii) स्टोरकीपर	- एक
(iv) सहायक/परिचर	- दो

(V) **अर्हताएं**

संबंधित राज्य सरकार, संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित

(VI) **सेवा की शर्तें और उपबन्ध**

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक कोचों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार/विश्वविद्यालय/यूजीसी के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते

IndiaCode

में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार/विश्वविद्यालय की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5 सुविधाएं

(1) आधारिक तंत्र

(क) संस्थान में कम से कम दो क्लासरूमों, एक बहुद्देशीय हाल, संगोष्ठी/ 10 ट्यूटोरियल विशेषज्ञता कक्षों, प्रिंसीपल तथा संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालयों आदि जैसे प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम दस वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। बहुद्देशीय हाल में डायस सहित दो सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र में दो सौ व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए।

(ख) बी.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगाः

केवल बी.पी.एड.	1500 वर्गमीटर
बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड.	2700 वर्गमीटर
बी.पी.एड. तथा डी.पी.एड. तथा एम.पी.एड	3900 वर्गमीटर

बी.पी.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए प्रत्येक यूनिट के लिए पांच सौ वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ग) बाह्य खेलकूद के लिए एक बहुद्देशीय खेल का मैदान, चार सौ मीटर लम्बा एथलेटिक ट्रैक (महानगरों के मामले में दो सौ मीटर) तथा व्यायाम और इन्डोर खेलों और खेलकूदों के लिए एक हाल होना चाहिए। महानगरीय कस्बों/पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खुले स्थान की उपलब्धता दुष्कर होती है, अन्य संस्थानों के साथ इनका साझा प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होना चाहिए।

(ड.) भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।

(च) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा आवासीय क्वार्टर वांछनीय है।

टिप्पणी: मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थानों को आधारिकतंत्रीय जरूरतों की पूर्ति के लिए 1 अप्रैल, 2012 तक मौजूदा मानदंडों के अनुसार स्तरोन्नयन करना होगा।

(2) **शिक्षणात्मक**

(क) संस्थान के पास समुचित बाड़े सहित कम से कम आठ एकड़ भूमि होनी चाहिए जिसमें से संस्थानगत भवन के लिए पर्याप्त स्थान तथा भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए खेलकूद और खेल आयोजित करने के लिए मुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। क्लासरूम आदि सहित निर्मित क्षेत्र पंद्रह सौ वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए। यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जहां कुल भूमि में से कम से कम दो एकड़ भूमि प्रशासनिक भवन के लिए और तीन एकड़ भूमि खेल-कूद/खेल सुविधाओं के लिए होनी चाहिए। अतिरिक्त यूनिट के लिए निर्मित क्षेत्र में तीन हजार वर्गफुट की वृद्धि की जानी होगी। सभी शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मिलाकर संस्थान में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या तीन सौ रहेगी। शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम अन्य अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ नहीं चलाए जाएंगे। अधिक से अधिक दाखिल किए जाने वाले छात्रों की क्षमता तीन सौ छात्रों तक होने की स्थिति में सभी शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए आठ एकड़ भूमि काफी है। तथापि प्रत्येक अतिरिक्त दाखिले के लिए निर्मित क्षेत्र में तीन हजार वर्गफुट की वृद्धि की जानी होगी। प्रयोगशाला, व्यायामशाला, पुस्तकालय, खेल-कूद सुविधाओं का साझा प्रयोग उसी परिसर में चलाए जा रहे अन्य शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ किया जा सकता है।

(ख) संस्थान के पास छात्र अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय कार्य और अभ्यास शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के निमित्त समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में (पांच-दस) मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों की सुविधा सहज उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे संस्थानों से निर्धारित प्रपत्र में एक आश्वासन प्राप्त किया जाना चाहिए। बेहतर हो कि संस्थान के पास स्वयं अपने नियंत्रण में एक संबद्ध स्कूल हो।

(ग) अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम दो हजार पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, अब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर कम से कम पांच पत्रिकाओं से युक्त एक पुस्तकालय एवं वाचनालय होगा। पुस्तकालय में संकाय और प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर सुविधा होगी।

(घ) संस्थान के पास इन्डोर खेलकूदों, आउटडोर खेलकूदों तथा शारीरिक क्रियाकलापों, खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शरीर रचनाविज्ञान और शरीरक्रियाविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स तथा खेलों के लिए खेलकूद और क्षेत्रीय उपकरण तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित और नीचे अनुशंसित उपकरण तथा सुविधाएं होनी चाहिए।

(ड.) **प्रयोगशालाएं**

स्थान के पास निम्न पैराग्राफों के अनुसार विभिन्न अतिरिक्त प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण तथा सुविधाएं होंगी।

(च) **आईसीटी तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला**

डिजिटल कैमरा, प्लाज्मा टी.वी., डीवीडी रिकॉर्डर तथा प्लेयर, रॉट (केवल रिसीव्ड टर्मिनल) सिट (उपग्रह इंटरलिंकिंग टर्मिनल), स्लाइड प्रोजेक्टर, फोटो कॉपियर मशीन, विभिन्न खेल-कूदों/खेल/कौशल शिक्षण के लिए सीडी/डीवीडी/रॉम (बेहतर हो कि प्रत्येक खेल-कूद क्रियाकलाप के लिए एक-एक हो) मीडिया प्रोजेक्टर, वीडियो कैमरा (हैंडीकैम डिजिटल) डेस्कटाप (टीएफटी), कलर प्रिंटर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली निदर्शन बोर्ड (3x2), पंद्रह डेस्कटापों (टीएफटी) तथा इंटरनेट सहित कंप्यूटर प्रयोगशाला, शिक्षण संकाय सदस्य के लिए लेपटाप।

(छ) **प्रयोगशाला उपकरण**

स्थान के पास निम्न प्रयोगशालाओं के लिए नीचे बताए अनुसार उपकरण और सुविधाएं होनी चाहिए:

(i) **शरीररचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला:**

हीमोग्लोबिन मीटर- एक

श्वसनमापी (वैट)- दो

मानवीय कंकाल - एक

भार मापने वाली मशीन - एक

सभी प्रणालियों को दर्शाने वाले मानवीय शरीर की प्रणाली के चार्ट (शरीर की प्रत्येक प्रणाली के लिए कम से कम एक अलग चार्ट)- कम से कम दस

मानवीय शरीर अंग/प्रणाली मॉडल

खाद्य पोषण चार्ट

संचारी तथा गैर संचारी रोग चार्ट

सड़क सुरक्षा युक्ति चार्ट
प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (प्रारंभिक और उन्नत) उँचाई और भार चार्ट

(ii) **मानवीय निष्पादन प्रयोगशाला**

पीक फ्लो मीटर, शुष्क स्पाइरोमीटर, पेडोमीटर, हीयर रेट मॉनीटर, स्टॉप वॉच (एक सेकंड के एक बटा सौवें तक का इलेक्ट्रॉनिक मापन समय), ग्रिप डायनेमोमीटर, बैक एंड लेग डायनेमोमीटर, गोनियोमीटर, एन्थ्रोपोमीटर रॉड्स, स्लाइडिंग कैलिपर, स्किनफोल्ड कैलिपर, इस्पात के टेप, बी.पी. उपकरण (स्फाइगमोमैनोमीटर तथा स्टेथेस्कोप) हारवर्ड स्टेप टेस्ट बैंच, वॉल थर्मोमीटर तथा बैरोमीटर, मेट्रोनोम, फ्लैक्सोमैजर, फिंगर डैक्सटरिटि टेस्ट, रिएक्शन टाइम उपकरण (श्रव्य और दृश्य), फूड एंड हैंड रिएक्शन टाइम उपकरण, वाइब्रेटर

(iii) एथलेटिक देखभाल और पुनर्वास प्रयोगशाला

अवरक्त लैंप, नैदानिक टेबल, निर्जीवाणुकरण यूनिट, प्राथमिक उपचार बक्सा (प्रारंभिक और उन्नत), रक्तचाप उपकरण, (स्फाइगमोमैनोमीटर तथा स्टेथेस्कोप) थर्मामीटर, (नैदानिक) अल्ट्रासाउंड चिकित्सा यूनिट, व्हील चेयर, दृष्टि चार्ट, क्लच, भार मापन मशीन, बर्फ का बक्सा, स्ट्रेचर।

(iv) **वांछनीयः खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला**

कम से कम दस मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की परीक्षा करने के लिए उपकरण (रेटिंग स्केलों और मैनुअलों सहित)।

(ज) **खेलकूद और मैदान के उपकरण**

(i) **एथेलेटिक्स**

बाधाएं (तीस), आरंभ खटका (दो) मापक टेप (इस्पात) पंद्रह मीटर (एक) मापक टेप (इस्पात) तीस मीटर (दो) मापक टेप (इस्पात) पचास मीटर (एक) मापक टेप (इस्पात) सौ मीटर (एक) ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार (पचास मीटर) (एक), स्टाप वांच दस लैप मेमोरी सहित (छह) स्टार्टिंग ब्लाक (बीस) ऊंची छलांग स्टैण्ड (एक जोड़ा तथा छः क्रास बार) (एक जोड़ा), वाल्टिंग बक्सा (एक) चक्का-पुरुषों और महिलाओं के लिए (दोनों के लिए छह-छह), शाटपुट - पुरुषों और महिलाओं के लिए (दोनों के लिए

छह-छह), तारगोला (पुरुषों और महिलाओं के लिए) (दोनों के लिए तीन-तीन) स्टाप बोर्ड (दो), प्रतियोगिता के अन्त में निर्णायकों के लिए स्टैण्ड (दो), फ्लैग पोल (छह), जैवलिन पुरुषों और महिलाओं के लिए (दो एल्यूमिनियम सहित पांच-पांच), टेक आफ बोर्ड (दो), गद्दे (चालीस), भारोत्तोलन सेट (ओलंपिक सेट)ऊंची छलांग के लिए लैंडिंग तथा रिले बैटन (बारह)

(ii) **खेल**

बैडमिंटन पोस्ट (दो सेट), बैडमिंटन जाल (छह) बेडमिंटन रेकेट, शटलकॉक (दस बैरल), बास्केटबाल स्टैंड तथा बोर्ड (दो सेट), बास्केटबाल बाल (एक दर्जन),बास्केटबाल नेट (चार जोड़े), क्रिकेट बैटिंग पैड (तीन सेट) क्रिकेट बैंटिग दस्ताने (तीन सेट), एबडामिनल गार्ड (तीन) हेलमेट (तीन), विकेटकीपिंग दस्ताने (दो जोड़े), विकेटकीपर लेग गार्ड (दो जोड़े), विकेटें (बारह) बेल्ज(दस), क्रिकेट बाल, फुटबाल पोस्ट (दो सेट), फुटबाल, फुटबाल जाल(चार सेट) फ्लैग सहित पोस्ट (आठ), हैंडबाल पोस्ट (दो सेट), हैंडबाल-बाल (एक दर्जन), डबाल जाल (चार जोड़े), हाकी पोस्ट (दो सेट), हाकी बाल (दस दर्जन), हाकी स्टिक (तीस), हाकी गोलकीपिंग किट (एक), खो-खो पोल (दो सेट), लान टेनिस पोस्ट (दो), टेनिस बाल, टेनिस रेकेट, टेबल टेनिस बाल (दस दर्जन), वॉलीबॉल पोस्ट (दो सेट), वॉलीबोल (बीस), वॉलीबाल जाल (चार), एंटीना (चार), भार प्रशिक्षण राड (दस), भार प्लेटें ढाई किग्रा., पांच किग्रा., दस किग्रा., पंद्रह किग्रा., बीस किग्रा. (प्रत्येक दस-दस), कालर (बीस) बेंच (चार), वेट स्टैंड (दो), स्क्वैट स्टैंड (एक), एक मल्टीजिम अथवा अलग स्टेशन-वार (कम से कम दस स्टेशन) वेट जैकेट तथा वेट बैल्ट

(iii) **स्वदेशी क्रियाकलापों के लिए उपकरण**

लेजिम (पचास जोड़े), डम्बल (पचास जोड़े), भारतीय मुदगर(पचास जोड़े), शारीरिक क्रियाकलापों के लिए फ्लैग हूप तथा हल्के उपकरण, मार्शल कलाओं के लिए जरूरत के अनुसार निदर्शन/प्रदर्शन उपकरण।

(iv) **व्यायाम उपकरण**

पैरेलल बार (एक सेट), अनईवन पैरेलल बार (एक सेट), हारिजन्टल बार (एक सेट), दो रोमन रिंग्स (एक सेट), ऊपर चढ़ने वाली रस्सियां (मनीला)(छह), चटाइयां (बारह रबड़ और बार क्वायर), सन्तुलन बीम (समायोज्य सेट)(एक सेट), प्यूमल्ड

हार्स (एक सेट), मल्टीजिम (बारह स्टेशनों से युक्त) (एक सेट), वाल्टिंग टेबल (एक सेट), बीट बोर्ड (दो), क्रैश मैट्स (एक)।

(v) **सांस्कृतिक क्रियाकलाप**

जरूरत के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त वाद्ययंत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए। छोटे खेलों, मनोरंजनात्मक खेलों, रिले और लड़ाकू खेल के लिए आवश्यकता के अनुसार अन्य उपकरण जरूरत और विशेषज्ञता के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

(3) **साधन**

(i) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी ।

(ii) संस्थान पुरुष और महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम उपलब्ध कराएगा।

(iii) स्टाफ और छात्रों के लिए समुचित संख्या में अलग-अलग पुरुष और महिला टॉयलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iv) वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) परिसर, पानी और टॉयलेट सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

6 (क) **सामान्य**

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है।

(ख) **प्रबंधन समिति**

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

1042

परिशिष्ट - 8

शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 प्रस्तावना

(1) शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.) एक व्यावसायिक शारीरिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के लिए और साथ ही कालेजों में लेक्चरर/निदेशक/खेल-कूद अधिकारी, शारीरिक शिक्षा कालेजों और शारीरिक शिक्षा के विश्वविद्यालय विभागों में अध्यापक प्रशिक्षक तैयार करना है।

(2) केवल ऐसे विश्वविद्यालय/विभाग अथवा संस्थान इस पाठ्यक्रम की पेशकश कर सकते हैं जोकि बी.पी.एड. कार्यक्रम चला रहे हैं।

2 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

(1) **अवधि**

एम.पी.एड. कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष अथवा चार सैमस्टर होगी।

(2) **कार्यकारी दिवस**

परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि छोड़कर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो सौ दिन/प्रत्येक सैमस्टर में सौ कार्यकारी दिवस होंगे। संस्थान प्रत्येक सप्ताह (पांच अथवा छह दिन) कम से कम छत्तीस घंटे काम करेगा।

3 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

प्रत्येक वर्ष दाखिल किए जाने के लिए चालीस छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

(2) **पात्रता**

(क) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित बी.पी.एड. डिग्री/अथवा शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, खेल-कूद में बी.एससी. डिग्रीधारी अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए सीटों में आरक्षण अथवा अर्हक अंकों में ढील केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगी।

IndiaCode

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

दाखिले, प्रवेश परीक्षा (लिखित परीक्षा, शारीरिक स्वस्थता परीक्षा, इंटरव्यू तथा अर्हक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक) में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार अथवा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर किए जाएंगे।

(4) **फीस**

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 **स्टाफ**

(I) **शैक्षणिक**

(क) संख्या (दाखिल किए जानेवाले चालीस या दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए अस्सी छात्रों की संयुक्त क्षमता के लिए)

प्रोफेसर	- एक
सह-प्रोफेसर/रीडर	- तीन
लेक्चरर	- पांच
खेल-कूद प्रशिक्षक	- तीन (अंशकालिक)

अध्यापकों की अर्हताएं ऐसे अध्ययन के क्षेत्रों में होंगी जैसे कि खेलकूद मनोविज्ञान, व्यायाम शरीर क्रियाविज्ञान, बायो मैकेनिक्स, एथलेटिक्स देखभाल और पुनर्वास, खेलकूद प्रबंध, मापन-मूल्यांकन, खेलकूद प्रशिक्षण, व्यावसायिक तत्परता अथवा निम्न खेलकूद विशेषज्ञताओं में से किसी एक सहित पाठ्यचर्या में सम्मिलित किसी अन्य विषय जैसे आधारिक पाठ्यक्रमः

(i) एथलेटिक्स

(ii) जिम्नास्टिक्स

(iii) सामूहिक खेल

(iv) वैयक्तिक खेल

(II) **अर्हताएं**

(I) **प्रोफेसरः**

(i) पचपन प्रतिशत अंक अथवा इसके समतुल्य ग्रेड सहित शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री

1044

(ii) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य।

(iii) किसी विभाग/शारीरिक शिक्षा के कालेज में कम से कम दस वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष स्नातकोत्तर संस्थान/विश्वविद्यालय विभाग में बिताए हों।

(II) **सहप्रोफेसर/रीडर**

(i) पचपन प्रतिशत अथवा इसके समतुल्य ग्रेड सहित शारीरिक शिक्षा में अथवा किसी संगत विषय में मास्टर डिग्री

(ii) किसी विभाग/शारीरिक शिक्षा के कालेज में कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष स्नातकोत्तर स्तर पर बिताए हों।

(iii) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य।

टिप्पणी:

(i) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रोफेसर/रीडर की नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसर/रीडर की सेवानिवृत्ति के पश्चात की सेवा में पैसठ वर्ष आयु पूरी कर लेने तक, एक समय में अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर

(i) कम से कम 55 प्रतिशत अंक अथवा इसके समतुल्य ग्रेड सहित शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री

(ii) लेक्चररों के पद के लिए यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य शर्त अनिवार्य होगी।

खेलकूद प्रशिक्षक

(i) अनिवार्य

शारीरिक शिक्षा में डिग्री (बी.पी.एड.)/विशिष्ट खेल/खेलकूद सहित बी.एससी (पीईएचईएस)

(ii) वांछनीय

कोचिंग में डिप्लोमा

1045

(III) **तकनीकी सहयोगी स्टाफ**

बी.पी.एड. के लिए जरूरी स्टाफ के अलावा निम्न स्टाफ की जरूरत होगी:

(i) तकनीकी सहायक - दो
(कंप्यूटर प्रयोगशालाओं के अलावा स्टोर्स और प्रयोगशालाएं संभालते हैं)

(ii) कंप्यूटर सहायक - एक

(iii) हैल्पर/ग्राउंड मेन/मार्कर - दो

(iv) प्रयोगशाला परिचर - दो

(घ) **अर्हताएं:**

संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार।

(IV) **सेवा की शर्तें और उपबंध**

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय, इनमें से जो भी लागू हो, उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) तकनीकी तथा प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार/विश्वविद्यालय/यूजीसी के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार/विश्वविद्यालय की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

1046

5 सुविधाएं

(1) आधारिक तंत्र

(क) बीस-बीस छात्रों के बैठने की सुविधा सहित चार क्लासरूम (एम.पी.एड. के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों में से प्रत्येक के लिए दो-दो), डायस सहित दो हजार वर्गफुट के समग्र क्षेत्र से युक्त दो सौ व्यक्तियों के बैठने की सुविधा सहित एक बहुद्देशीय हाल, विशेषज्ञता कक्षाएं आयोजित करने के लिए पंद्रह छात्रों के लिए छोटे-छोटे चार कमरे संगोष्ठी/ट्यूटोरियल कक्षों, प्रोफेसर/अध्यक्ष, संकाय सदस्यों के लिए स्वतंत्र कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था की जाएगी। क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम दस वर्गफुट स्थान होगा।

एम.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलाकर अन्य पाठ्यक्रम चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगाः-

एम.पी.एड. सहित बी.पी.एड. - 2700 वर्गमीटर

डी.पी.एड. तथा बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. - 3900 वर्गमीटर

एम.पी.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए क्रमशः चार सौ वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ख) इन्डोर खेलकूदों के लिए एक बहुद्देशीय हाल/व्यायामशाला तथा आउटडोर खेलों के लिए सुविधाएं होंगी।

(ग) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होंगे।

(घ) भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।

(ड.) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा आवासीय क्वार्टर वांछनीय है।

टिप्पणीः मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थानों को आधारिकतंत्रीय जरूरतों का 1 अप्रैल, 2012 तक मौजूदा मानदंडों के अनुसार स्तरोन्नयन करना होगा।

(2) शिक्षणात्मक

(क) संस्थान के पास कम से कम आठ एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे कि संस्थान के भवन तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल तथा खेलकूदों के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 1200 वर्गमीटर होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए जहां कुल भूमि (कम से कम प्रशासनिक भवन के लिए दो एकड़ तथा खेलकूद/खेल सुविधाओं के लिए तीन एकड़) होगी।

1047

(ख) वाचनालयों की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय होगा जिसमें सभी विशेषज्ञताओं और पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम दो हजार पुस्तकें और सन्दर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोश, इलैक्ट्रोनिक प्रकाशन (सीडी रोम) और कम-से-कम पांच पत्रिकाएं तथा इंटरनेट संयोज्यता की व्यवस्था होगी। पुस्तकालय के संग्रह में प्रतिवर्ष कम-से-कम सौ उत्कृष्ट पुस्तकें शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और छात्रों के प्रयोग के लिए फोटोकॉपी सुविधा और इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) प्रयोगशाला उपकरण

एम.पी.एड. कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान के पास बी.पी.एड. कार्यक्रम के अधीन उल्लिखित प्रयोगशालाओं के अलावा आगे दिए गए पैराग्राफों में निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण और सुविधाएं होंगीः

(घ) व्यायाम शरीर क्रियाविज्ञान प्रयोगशाला

लैक्टेट एनालाइजर, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, मेटाबोलिक एनालाइजर,, पेडोमीटर, बी.पी. उपकरण (मैनुअल), स्किन फोल्ड कैलिपर, ड्राई स्पाइरोमीटर (पांच) हार्ट रेट मॉनीटर, मल्टी फंक्शन पेडोमीटर (दस), कंप्यूटराइज्ड ट्रैड मिल।

(ड.) खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला

ईएमजी बायोफीडबैक, व्यक्तित्व, चिंता, सामूहिक संसक्ति, आक्रमण, प्रेरण, मानसिक कठोरता, आत्मसम्मान, नियंत्रण का केंद्र पर प्रश्नावलियां तथा पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु की जरूरत के अनुसार अन्य प्रश्नावलियां, डैथ्य परसैप्शन उपकरण, पूर्वाभास मूल्यांकन उपकरण, फिंगर डैक्सटिरिटि परीक्षण

(च) खेलकूद बायोमेकेनिक्स प्रयोगशाला

फोर्स प्लेट (नवीनतम माड्यूल पूर्ण सेट) इलेक्ट्रॉनिक गोनीमीटर (नवीनतम माड्यूल) किसी भी समय के लिए, कहीं भी चाल विश्लेषण प्रणाली, वैकल्पिक दबाव प्लेट।

(छ) मापन और खेलकूद प्रशिक्षण प्रयोगशाला

डिजिटल बैक/एलइजीएल डायनेमोमीटर, डिजिटल हैंड ग्रिप डायनेमोमीटर (वयस्क और बच्चे) स्किन फोल्ड कैपिलर, एंथ्रोपोमीटरी किट (कंप्यूटर), स्लाइडिंग एंड स्प्रेडिंग, कैलिपर, गर्थ मापक - गोनीमीटर, इस्पात के टेप, फ्लेक्सोमेजर, हीयर रेट मॉनीटर, भार मापने की मशीन, रिएक्शन टाइम उपकरण (श्रव्य और दृश्य) फूड एंड हैंड रिएक्शन टाइम उपकरण, वाइब्रेटर

6 साधन

(i) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) संस्थान पुरुष और महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थियों के लिए अलग-अलग कामन रूम उपलब्ध कराएगा।

(iii) स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में पुरुषों और महिलाओं के टायलेट अलग-अलग उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iv) वाहनों को खड़े करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

7 सामान्य

(क) यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है। समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा अन्य विभागों के लिए अध्यक्ष होंगे।

प्रबंधन समिति

(ख) संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो तो, एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

IndiaCode

परिशिष्ट - 9

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक

1 प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित किया जाने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) में कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता का स्तरोन्नयन करना है। साथ ही इस पाठ्यक्रम में उन अध्यापकों को शामिल करने की परिकल्पना भी की गई है जिन्होंने औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण के बिना व्यवसाय में प्रवेश किया है।

(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद प्रारंभिक स्कूलों में फिलहाल सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (ओडीएल) को एक उपयोगी और व्यवहार्य तरीके के रूप में स्वीकार करती है। यह तरीका अध्यापकों तथा स्कूली प्रणाली में सेवारत कई अन्य शैक्षिक कर्मियों को अतिरिक्त शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए उपयोगी है।

2 पाठ्यक्रम की पेशकश करने की शर्त

ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विशेष रूप से स्थापित संस्थान अथवा शैक्षणिक यूनिट जैसेकि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा केंद्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के निदेशालय/स्कूल अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के पात्र होंगे (समविश्वविद्यालय, कृषि अथवा तकनीकी विश्वविद्यालय जोकि अध्यापक शिक्षा से इतर किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कराते हैं तथा अन्य विषय क्षेत्र विशिष्ट विश्वविद्यालय/संस्थान ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के पात्र नहीं हैं।)

3 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधिनियम में यथापरिभाषित अधिकारक्षेत्र होगा।

विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र भी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में स्थित होंगे।

4 अवधि

कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र/वर्ष (चार सेमस्टर) होगी। कार्यक्रम की शुरुआत और समापन इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि छात्रों को मार्गदर्शित/पर्यवेक्षित शिक्षण तथा आमने-सामने के संपर्क सत्रों के लिए छुट्टियों (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/विभाजित) की दो दीर्घ अवधियां उपलब्ध हो सकें। कार्यक्रम को गर्मियों की दो छुट्टियों के बीच में रखना एक आदर्श व्यवस्था होगी।

1050

5 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

(1) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

डी.एल.एड. कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की बुनियादी इकाई इस शर्त के अध्यधीन पांच सौ छात्रों की होगी कि किसी एक सत्र में एक अध्ययन केंद्र अधिक से अधिक सौ छात्र दाखिल करेगा। किसी कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट से संबंधित अनुरोध पर, राअशिप द्वारा अध्ययन केंद्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में संबंधित सहयोग की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(2) पात्रता

(i) पचास प्रतिशत अंकों सहित उच्च माध्यमिक (कक्षा XII) अथवा समतुल्य परीक्षा पास की हो

(ii) किसी सरकारी अथवा सरकारी मान्यताप्राप्त प्राथमिक/प्रारंभिक स्कूल में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव।

(3) दाखिले की क्रियाविधि

(i) अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य सरकार एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करेगी।

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में पांच प्रतिशत की ढील दी जाएगी।

6 मुख्यालय तथा अध्ययन केंद्र स्तर पर संकाय

(क) कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान के मुख्यालय में संकाय/स्टाफ के ब्यौरे निम्नानुसार होंगे:

(i) ओडीएल प्रणाली के माध्यम से इस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय के पास शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे सभी संगत विषयक्षेत्रों में तथा दो भाषाओं - अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषा में विशेषज्ञताप्राप्त नितांततः छह सदस्यों का एक कोर संकाय होगा।

संकाय के ब्यौरे निम्नानुसार होंगे:

प्रोफेसर	- एक
रीडर/सह-प्रोफेसर	- एक

IndiaCode

लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर - चार

(ii) संकाय पाठ्यक्रम डिजाइनिंग, सामग्री निर्माण, एसाइनमेंट्स के मूल्यांकन, अध्ययन केन्द्रों के शैक्षणिक स्टाफ के दिशा-अनुकूलन तथा अध्ययन केन्द्रों के मानीटरन और पर्यवेक्षण और पाठ्यक्रमों के अनुरक्षण/नवीकरण तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होगा।

(iii) इस कार्यक्रम के पांच सौ या उससे कम छात्रों के प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए संकाय क्षमता बढ़ाई जाएगी।

(iv) संकाय के एक सदस्य को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम-समन्वयकर्ता के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(v) अध्ययन केन्द्र में विभिन्न क्रियाकलापों में प्रवृत्त अध्यापक प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक राअशिप के मानदंडों के अनुसार पूरी तरह अर्हताप्राप्त होंगे।

(ख) एक अध्ययन केन्द्र में अपेक्षित स्टाफ के ब्यौरे निम्नानुसार होंगेः

समन्वयकर्ता एक

सहायक समन्यकर्ता एक

अंशकालिक शैक्षणिक सलाहकार

संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार की जाएगी जोकि बेहतर हो कि 1:50 के अनुपात में हो।

7 शिक्षण और प्रशासनिक स्टाफ की अर्हताएं

(क) शिक्षण स्टाफ

शैक्षणिक स्टाफ की शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अर्हताएं वैसी ही होंगी जैसीकि आमने-सामने पद्धति से चलाए जा रहे तदनुरूपी कार्यक्रमों के मामले में निर्धारित हैं। इसके अलावा ओडीएल प्रणाली में अर्हता/अनुभवप्राप्त संकाय को वरीयता दी जाएगी।

(ख) मुख्यालय के लिए गैर-शिक्षण/सहयोगी स्टाफ/प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ नीचे वर्णित मानदंडों के अनुसार उपलब्ध कराया जा सकता है।

साफ्टवेयर विशेषज्ञ/व्यावसायिक	एक
प्रभारी, आकलन और मूल्यांकन	एक
डाटाबेस बनाए रखने क लिए कंप्यूटर प्रचालक	एक
कार्यालय सहायक	एक
अध्ययन सामग्री भेजने के लिए सहायक	एक

105-2

8 कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा सरकार के तदनुरूपी पद के लिए यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

9 अध्ययन केन्द्र के लिए पात्रता और शर्तें

(क) केवल निम्न श्रेणी के संस्थान अध्ययन केन्द्र बनने के योग्य होंगे:

ऐसे संस्थान जिन्हें आमने-सामने पद्धति से उसी कार्यक्रम को चलाने के लिए राअशिप की मान्यताप्राप्त है और जिनके पास राअशिप के मानदंडों के अनुसार सभी अपेक्षित आधारिक-तंत्र और स्टाफ मौजूद है। ऐसे संस्थान जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए संगत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाया हो।

विश्वविद्यालय द्वारा एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में घोषित संस्थान, उसी या किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी अन्य कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र नहीं होगा।

(ख) (i) एक अध्ययन केन्द्र को आबंटित छात्रों की संख्या एक सौ से अधिक नहीं होगी।

(ii) अध्ययन केन्द्र, उसे आबंटित किए गए दूरस्थ छात्रों को अपने पुस्तकालय तथा अन्य भौतिक सुविधाएं सुलभ कराएगा।

(iii) ओडीएल संस्थान का मुख्यालय भी कम से कम एक सौ छात्रों के लिए एक अध्ययन केन्द्र के रूप में काम कर सकता है।

(ग) अध्ययन केन्द्र में विभिन्न क्रियाकलापों में प्रवृत्त अध्यापक प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक राअशिप मानदंडों के अनुसार पूरी तरह अर्हताप्राप्त होंगे।

(घ) मुक्त विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अध्ययन केन्द्रों के क्रियाकलापों से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों को समय-समय पर ओडीएल प्रणाली के व्यवहार में दिशा-अनुकूलित किया जाना चाहिए।

(ड.) किसी कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट के दाखिल किए जाने से संबंधित अनुरोध पर राअशिप द्वारा अध्ययन केन्द्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में संबंधित सहयोग के आधार पर विचार किया जाएगा। दाखिल किए गए अतिरिक्त छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त करने के निमित्त निर्धारित क्रियाविधि का पालन किया जाएगा।

10 भौतिक आधारिक-तंत्र

(क) **मुख्यालय स्तर पर:** पर्याप्त संख्या में क्लासरूम तथा संकाय सदस्यों के लिए क्यूबिकल, फोटोकापियरों सहित एक कार्यालय कक्ष, छात्रों का डाटाबेस बनाए रखने के वास्ते कंप्यूटर प्रचालकों के लिए एक बड़ा कमरा, अधिगम सामग्री के उत्पादन/प्रसंस्करण के लिए एक अन्य कमरा, अधिगम सामग्री के भंडारण और प्रेषण के लिए एक स्टोर जो पाठों को रिकार्ड करने तथा सीडी तैयार करने के लिए श्रृव्य-दृश्य स्टुडियो से सुसज्जित हो तथा बैठकें/टेलीकांफ्रेंसिंग के लिए एक बड़ा सम्मेलन कक्ष।

(ख) **अध्ययन केन्द्र के स्तर पर:** विज्ञान और मनोविज्ञान कार्यशालाएं, व्यावहारिक कार्य के लिए कार्यशाला, प्रविधि विषयों में प्रशिक्षणार्थियों के वैयक्तिक मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे, एक प्रारंभिक अभ्यास स्कूल की उपलब्धता, संपर्क कक्षाएं आयोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे/टेलीफोन, फैक्स, फोटोकापी मशीन, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, श्रृव्य-दृश्य प्लेयरों, अन्योन्यक्रियापूर्ण मल्टीमीडिया सीडी, एड्यूसेट केवल प्राप्ति (रौट) उपग्रह अथवा अन्योन्यक्रियापूर्ण (एसआईटी), एलसीडी आदि।

11 पुस्तकालय

(क) **मुख्यालय का पुस्तकालय**

समुचित संख्या में स्कूल तथा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा से संबंधित पाठ्यपुस्तकों तथा संदर्भ पुस्तकों से सुसज्जित एक पुस्तकालय होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी पुस्तकालय, आईसीटी पुस्तकालय, मनोवैज्ञानिक उपकरण, सीडी, विश्वकोष, प्रारंभिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की पत्रिकाएं। इसके अलावा अंग्रेजी/हिंदी/प्रादेशिक भाषा में समुचित मात्रा में स्व-शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी।

(ख) **अध्ययन केन्द्र का पुस्तकालय**

जिन संस्थानों में अध्ययन केन्द्र स्थित है प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संपर्क सत्रों के दौरान उनके पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का प्रयोग किया जाएगा।

1054

12 शैक्षणिक इन्पुट

(क) **स्व-अधिगम सामग्रीः** यह कार्यक्रम पूर्ण व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ आयोजित किया जाएगा। मुद्रित तथा गैर-मुद्रित--दोनों प्रकार की स्व-अधिगम सामग्री अनिवार्यतः स्व-अधिगम के शिक्षाशास्त्र पर आधारित होनी चाहिए और डीईसी द्वारा उसे विधिवत रूप से अनुमोदित किया होना चाहिए। मिश्रित अधिगम पद्धति (विधियों और मीडिया का मिश्रण) का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों को अध्ययन सामग्री सत्र के आरंभ में ही कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार या तो एक ही बार में अथवा चरणबद्ध रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) **संपर्क कार्यक्रमः** दो वर्ष की अवधि के कार्यक्रम में छात्रों की सुविधा के अनुसार मुख्यालय/अध्ययन केन्द्रों में कम से कम 300 घंटों का संपर्क कार्यक्रम अवश्य आयोजित किया जाना चाहिए। वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम निम्न रूपों में आयोजित किए जाने चाहिए।

(ग) **शैक्षणिक परामर्शः** शैक्षणिक परामर्श सत्र कार्यक्रम की समूची अवधि में प्रसारित किए जाएंगे तथा ऐसे सत्र छात्रों की जरूरत और सुविधा के आधार पर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। परामर्शी सत्रों के दौरान पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षणिक और वैयक्तिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। परामर्शी सत्रों का प्रयोग छात्रों को क्षेत्रीय कार्य, अध्यापन अभ्यास, परियोजनाओं, एसाइनमेंटों, शोध प्रबंधों, समय प्रबंध, अध्ययन कौशलों आदि के संबंध में वैयक्तिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। परामर्शी सत्रों के लिए दो वर्ष में प्रसारित कम से कम 144 अध्ययन घंटे आबंटित किए जाएंगे। परामर्शी सत्र शिक्षण सत्रों के रूप में नहीं बल्कि ट्यूटोरियलों के रूप में आयोजित किए जाएंगे क्योंकि शिक्षण कार्य की पूर्ति छात्रों को उपलब्ध कराई गई अधिगम सामग्री से हो जाएगी।

(घ) **कार्यशालाएंः** कार्यशालाओं में छात्र, एक अध्यापक अथवा अध्यापक प्रशिक्षक के लिए अपेक्षित क्षमताएं और कौशल अर्जित करेंगे। इसलिए उन्हें व्यक्तियों या समूहों के रूप में कतिपय क्रियाकलापों में प्रवृत्त किया जाएगा। साथ ही अध्ययन केन्द्र क्लासरूमों और अनुरूपित स्थितियों में अभ्यास अध्यापन की व्यवस्था करेंगे। साथ ही छात्रों को, शिक्षण सहायक सामग्री, अनुसंधान साधनों, कार्यशीटों, स्क्रैपबुक्स आदि तौयर करने के काम में शामिल करके उन्हें आईसीटी के निर्माण और प्रयोग में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों ने जो कुछ सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों से सीखा है और उनसे क्लासरूमों में जो कुछ करने की अपेक्षा की जाती है, उसका अभ्यास करने के भी काफी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 12-12 दिन की अवधि की दो कार्यशालाएं (प्रति वर्ष एक) होंगी। इस प्रकार दो वर्ष के कार्यक्रम में कुल मिलाकर 24 दिन (इंटरवल, लंच आदि के समय को छोड़कर 6 घंटे का अध्ययन समय) कम से कम 144 अध्ययन घंटे कायशालाओं में लगाए जाएंगे।

1055

(ड.) **स्कूल-आधारित क्रियाकलापः** ओडीएल प्रणाली के माध्यम से अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को ऐसे क्रियाकलापों में प्रवृत्त किया जाएगा, जिनकी एक अध्यापक से स्कूल/कालेज में निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है। स्कूल-आधारित क्रियाकलापों पर कार्य करने के लिए छात्र एक संकाय सदस्य (जिस स्कूल/कालेज में छात्र काम कर रहा है वहां का कोई वरिष्ठ तथा अनुभवी अध्यापक/प्रिंसीपल/संकाय) के साथ वैचारिक आदान-प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक परामर्शदाता द्वारा एक छात्र को कम से कम पंद्रह अध्ययन घंटों तक पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन किया जाएगा।

(च) **अध्यापन अभ्यासः** डीएलएड कार्यक्रम में दाखिल किए गए छात्र चालीस दिनों की अवधि के भीतर चालीस पाठों की योजना बनाएंगे और पढ़ाएंगे (बीएड के मामले में प्रत्येक विषय में बीस तथा अन्य कार्यक्रमों के मामले में जरूरत के अनुसार)। दूसरे शब्दों में छात्र एक दिन में एक से अधिक पाठ नहीं पढाएंगे। प्रत्येक पाठ के बाद पर्यवेक्षकों/अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा छात्र को उसके निष्पादन (शक्तियां और दुर्बलताएं) की बाबत एक रचनात्मक फीडबैक उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार छात्र, पाठ योजनाएं तैयार करने, पाठ पढ़ाने तथा पढ़ाए गए पाठों के संबंध में फीडबैक पर पर्यवेक्षक/अध्यापक प्रशिक्षक के साथ चर्चा करेगा। इस प्रकार प्रत्येक छात्र, कार्यक्रम की समूची अवधि के भीतर अध्यापन अभ्यास पर कम से कम अस्सी अध्ययन घंटों (प्रति पाठ दो घंटे) के लिए वैयक्तिक पर्यवेक्षण प्राप्त करेगा।

13 मूल्यांकन

(क) **मूल्यांकन और फीडबैक**

संस्थान द्वारा दो स्तर के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगाः सतत और व्यापक मूल्यांकन तथा सत्र के अंत में परीक्षाएं/कार्यशाला में सहभागिता और निष्पादन सहित सतत और व्यापक मूल्यांकन को समुचित भारिता प्रदान की जाएगी। छात्रों द्वारा प्रस्तुत एसाइनमेंटो/परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन एक समय-सीमा के भीतर किया जाएगा और उन्हें रचनात्मक टिप्पणियों तथा सुझावों सहित वापिस लौटा दिया जाएगा ताकि वे अपने निष्पादन में सुधार ला सकें। ऐसाइनमेंटों/परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन का प्रमुख कार्य छात्रों को सामयिक फीडबैक प्रदान करना है जिससे कि उनकी प्रेरणा को बनाए रखा जा सके। ऐसाइनमेंटों, कार्यशाला-आधारित क्रियाकलापों, स्कूल-आधारित क्रियाकलापों और अध्यापन अभ्यास का मूल्यांकन सतत आधार पर किया जाना चाहिए। बाह्य मूल्यांकन के तहत पाठ्यक्रम के सभी यूनिटों से संबंधित प्रश्न आएंगे और ऐसा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रकृति के/लघु उत्तर प्रकृति के/दीर्घ उत्तर प्रकृति के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इन प्रश्नों के बारे में परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया/अंतिम रूप दिया जाएगा। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन को 30:70 के अनुपात में भारिता प्रदान की जाएगी।

1056

(ख) **मानीटरन तथा पर्यवेक्षण**

एक दूरस्थ अध्यापक शिक्षा संस्थान में एक व्यवस्थित मानीटरन तंत्र होना जरूरी है। मानीटरन के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का प्रयोग किया जाएगा जैसेकि संकाय द्वारा नियतकालिक क्षेत्रीय दौरे, छात्रों तथा अध्ययन केन्द्र समन्वयकर्ताओं--दोनों से नियमित फीडबैक प्राप्त करना, आईसीटी आदि के माध्यम से छात्रों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान तथा संस्थानों द्वारा विशिष्ट रिकार्ड रखना। अध्ययन केन्द्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा एक उपयुक्त क्रियाविधि नियमित आधार पर तैयार की जाएगी।

14 **फीस का ढांचा**

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी छात्र से विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार फीस वसूली जाएगी।

15 **पाठ्य विवरण तथा स्व-अधिगम सामग्री**

(क) **पाठ्य विवरणः** नियमित कक्षाओं के लिए डीएलएड का पाठ्य विवरण ब्लाकों/यूनिटों के रूप में दूरस्थ पद्धति में रूपांतरित कर दिया जाएगा। संस्थान द्वारा तैयार की गई स्व-अधिगम सामग्री डीईसी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(ख) **श्रृव्य-दृश्य कार्यक्रमः** राज्य संसाधन केन्द्रों और इग्नू की उपलब्ध अपलिंकिंग सुविधा का प्रयोग किया जाएगा।

16 **पाठ्यचर्या क्षेत्रों में अभ्यास शिक्षण**

मुख्यालय का स्टाफ अध्ययन केन्द्रों के लिए पाठ्यचर्या, स्व-अधिगम सामग्री, आदर्श पाठ योजनाएं तथा एवी सामग्री तैयार करेगा। पहले और दूसरे वर्ष के अंत में परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में स्थित अध्ययन केन्द्र, आंतरिक और बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करके अभ्यास शिक्षण और कार्य अनुभव घटकों की परीक्षा का आयोजन करेंगे।

17 **कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की पूर्वापेक्षा**

(i) अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए राअशिप को आवेदन करने से पूर्व ओडीएल संस्थान निम्न कार्य सुनिश्चित करेगाः

(ii) कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र, फीस के ढांचे, नामांकन, अध्ययन केन्द्रों की संकाय की जरूरत, कार्यक्रम के निर्माण और कार्यान्वयन पर अनुमोदित खर्च, कार्यक्रम के निमाण और कार्यान्वयन के लिए भुगतान के मानदंडों, अध्ययन केन्द्रों तथा संसाधन व्यक्तियों को भुगतान के मानदंडों, अध्ययन केन्द्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त संकाय, संसाधनों आदि से संबंधित ब्यौरों सहित परियोजना दस्तावेज की तैयारी।

(iii) कार्यक्रम शुरू करने के लिए समुचित विश्वविद्यालय निकायों की मंजूरी।

1057

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित मूल्यांकन/परीक्षा की स्कीम तथा सहयोगात्मक सेवाओं सहित पाठ्यचर्या (पाठयक्रम-वार तथा यूनिट-वार संरचना) की तैयारी।

(v) डीईसी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित मुद्रित तथा गैर-मुद्रित रूप में स्व-अधिगम सामग्री की तैयारी।

(vi) अभिज्ञात अध्ययन केन्द्रों से एक निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का आश्वासन कि अध्ययन केन्द्रों के लिए मानदंडों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(vii) स्टाफ के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए जैसेकि विज्ञापन देना, छंटाई करना, इंटरव्यू आयोजित करना तथा चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजना।

IndiaCode

1058

परिशिष्ट - 10

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से बी.एड. कार्यक्रम का उद्देश्य सेवारत अध्यापकों को व्यावसायिक विकास के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम करने का अवसर प्रदान करना है।

2 पाठ्यक्रम की पेशकश करने की शर्त

ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विशेष रूप से स्थापित संस्थान अथवा शैक्षणिक यूनिट जैसेकि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा केंद्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के निदेशालय/स्कूल अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के पात्र होंगे (समविश्वविद्यालय, कृषि अथवा तकनीकी विश्वविद्यालय जोकि अध्यापक शिक्षा से इतर किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कराते हैं तथा अन्य विषय क्षेत्र विशिष्ट विश्वविद्यालय/संस्थान जैसेकि भाषा विश्वविद्यालय/संस्थान आदि ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के पात्र नहीं हैं।)

3 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधिनियम में यथापरिभाषित अधिकारक्षेत्र होगा।

विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र भी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में स्थित होंगे।

4 अवधि

कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र/वर्ष (चार सेमस्टर) होगी। कार्यक्रम की शुरुआत और समापन इस प्रकार विनियमित किए जाएंगे कि छात्रों को मार्गदर्शित/पर्यवेक्षित शिक्षण तथा आमने-सामने के संपर्क सत्रों के लिए छुट्टियों (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/विभाजित) की दो दीर्घ अवधियां उपलब्ध हो सकें। कार्यक्रम को गर्मियों की दो छुट्टियों के बीच में रखना एक आदर्श व्यवस्था होगी।

5 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

(1) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

बी.एड. (ओडीएल) कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की बुनियादी इकाई इस शर्त के अध्यधीन पांच सौ छात्रों की होगी कि किसी एक सत्र में एक अध्ययन केंद्र अधिक से अधिक सौ छात्र दाखिल करेगा। किसी कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट से संबंधित आवेदन-पत्र पर, राअशिप द्वारा अध्ययन केंद्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में संबंधित सहयोग की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

1059

(2) **पात्रता**

(क)

(i) पचपन प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री

(ii) सरकारी अथवा सरकारी मान्यताप्राप्त स्कूल में पढ़ाने का दो वर्ष का अनुभव

(ख) राज्य विश्वविद्यालय केवल ऐसे अभ्यर्थियों को दाखिल करेगा जोकि विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा उसे आबंटित क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में स्थित स्कूलों में कार्यरत हों।

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

(क) अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य सरकार एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करेगी।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में पांच प्रतिशत की ढील दी जाएगी।

6 **मुख्यालय स्तर**

(1) **मुख्यालय में शैक्षणिक स्टाफ**

ओडीएल प्रणाली के माध्यम से इस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय के पास शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे सभी संगत विषयक्षेत्रों में तथा दो भाषाओं - अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषा में विशेषज्ञताप्राप्त नितांततः छह सदस्यों का एक कोर संकाय होगा।

(क) संकाय के ब्यौरे निम्नानुसार होंगेः

प्रोफेसर	- एक
रीडर/सह-प्रोफ़ेसर	- एक
लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर	- चार

(ख) संकाय पाठ्यक्रम डिजाइनिंग, सामग्री निर्माण, एसाइनमेंट्स के मूल्यांकन, अध्ययन केन्द्रों के शैक्षणिक स्टाफ के दिशा-अनुकूलन तथा अध्ययन केन्द्रों के मानीटरन और पर्यवेक्षण और पाठ्यक्रमों के अनुरक्षण/नवीकरण तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होगा।

(ग) इस कार्यक्रम के पांच सो या उससे कम छात्रों के प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए संकाय क्षमता बढ़ाई जाएगी।

1060

(घ) संकाय के एक सदस्य को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम-समन्वयकर्ता के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(2) शैक्षणिक स्टाफ़ की अर्हता

शैक्षणिक स्टाफ की शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अर्हताएं वैसी ही होंगी जैसीकि आमने-सामने पद्धति से चलाए जा रहे तदनुरूपी कार्यक्रमों के मामले में निर्धारित हैं। इसके अलावा ओडीएल प्रणाली में अर्हता/अनुभवप्राप्त संकाय को वरीयता दी जाएगी।

(3) मुख्यालय के लिए गैर-शिक्षण/सहयोगी स्टाफ/प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ नीचे वर्णित मानदंडों के अनुसार उपलब्ध कराया जा सकता है।

साफ्टवेयर विशेषज्ञ/व्यावसायिक	एक
प्रभारी, आकलन और मूल्यांकन	एक
डाटाबेस बनाए रखने क लिए कंप्यूटर प्रचालक	एक
कार्यालय सहायक	एक
अध्ययन सामग्री भेजने के लिए सहायक	एक

7 **कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और उपबंध**

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा सरकार के तदनुरूपी पद के लिए यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

8 **क्षेत्रीय/संकुल स्तर**

(क) मानीटरन के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ताओं की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जाएगी। एक क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ता दस अध्ययन केन्द्रों का प्रभारी होगा। क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ता की अर्हताएं वही होनी चाहिए जोकि प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर के लिए निर्धारित हैं। ऐसा व्यक्ति एक सेवानिवृत्त व्यक्ति हो सकता है। क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ताओं के रूप में उच्च माध्यमिक/माध्यमिक स्कूलों के सेवानिवृत्त प्रिंसीपलों की नियुक्ति की जा सकती है।

(ख) **अध्ययन केन्द्र के लिए पात्रता और शर्तें**

(I) केवल निम्न श्रेणी के संस्थान अध्ययन केन्द्र बनने के योग्य होंगे:

ऐसे संस्थान जिन्हें आमने-सामने पद्धति से उसी कार्यक्रम को चलाने के लिए राअशिप की मान्यताप्राप्त है और जिनके पास राअशिप के मानदंडों के अनुसार संभी अपेक्षित आधारिक-तंत्र और स्टाफ मौजूद हैं। ऐसे संस्थान जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए संगत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाया हो।

विश्वविद्यालय द्वारा एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में घोषित संस्थान, उसी या किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी अन्य कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र नहीं होगा।

(II) (i) एक अध्ययन केन्द्र को आबंटित छात्रों की संख्या एक सौ से अधिक नहीं होगी।

(ii) अध्ययन केन्द्र, उसे आबंटित किए गए दूरस्थ छात्रों को अपने पुस्तकालय तथा अन्य भौतिक सुविधाएं सुलभ कराएगा।

(iii) ओडीएल संस्थान का मुख्यालय भी कम से कम एक सौ छात्रों के लिए एक अध्ययन केन्द्र के रूप में काम कर सकता है।

(iv) अध्ययन केन्द्र टेलीफोन, फैक्स, फोटोकापी मशीन, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, श्रृव्य-दृश्य प्लेयर, अन्योन्यक्रियापूर्ण मल्टीमीडिया सीडी, एड्यूसेट प्राप्त अथवा अंन्योन्यक्रियापूर्ण टर्मिनल, एलसीडी आदि जैसी अपेक्षित सुविधाओं से सुसज्जित होगा।

(III) अध्ययन केन्द्र में विभिन्न क्रियाकलापों में प्रवृत्त अध्यापक प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक राअशिप मानदंडों के अनुसार पूरी तरह अर्हताप्राप्त होंगे।

(IV) मुक्त विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अध्ययन केन्द्रों के क्रियाकलापों से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों को समय-समय पर ओडीएल प्रणाली के व्यवहार में दिशा-अनुकूलित किया जाना चाहिए।

(V) किसी कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट के दाखिल किए जाने से संबंधित अनुरोध पर राअशिप द्वारा अध्ययन केन्द्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं की

1062

उपलब्धता तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में संबंधित सहयोग के आधार पर विचार कियाजाएगा। दाखिल किए गए अतिरिक्त छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त करने के निमित्त निर्धारित क्रियाविधि का पालन किया जाएगा।

9 भौतिक आधारिक-तंत्र

(क) **मुख्यालय स्तर पर:** पर्याप्त संख्या में क्लासरूम तथा संकाय सदस्यों के लिए क्यूबिकल, फोटोकापियरों सहित एक कार्यालय कक्ष, छात्रों का डाटाबेस बनाए रखने के वास्ते कंप्यूटर प्रचालकों के लिए एक बड़ा कमरा, अधिगम सामग्री के उत्पादन/प्रसंस्करण के लिए एक अन्य कमरा, अधिगम सामग्री के भंडारण और प्रेषण के लिए एक स्टोर और जो पाठों को रिकार्ड करने तथा सीडी तैयार करने के लिए श्रृव्य-दृश्य स्टुडियो से सुसज्जित हो तथा बैठकें/टेलीकांफ्रेंसिंग के लिए एक बड़ा सम्मेलन कक्ष।

(ख) **अध्ययन केन्द्र के स्तर पर:** विज्ञान और मनोविज्ञान कार्यशालाएं, व्यावहारिक कार्य के लिए कार्यशाला, प्रविधि विषयों में प्रशिक्षणार्थियों के वैयक्तिक मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे, एक प्रारंभिक अभ्यास स्कूल की उपलब्धता, संपर्क कक्षाएं आयोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे। टेलीफोन, फैक्स, फोटोकापी मशीन, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, श्रृव्य-दृश्य प्लेयरों, अन्योन्यक्रियापूर्ण मल्टीमीडिया सीडी, एड्यूसेट केवल प्राप्ति (रौट) उपग्रह अथवा अन्योन्यक्रियापूर्ण (एसआईटी), एलसीडी आदि।

10 पुस्तकालय

(क) मुख्यालय का पुस्तकालय: राअशिप द्वारा प्रकाशित और अनुशंसित पत्रिकाओं और पुस्तकों सहित समुचित संख्या में स्कूल तथा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा से संबंधित पाठ्यपुस्तकों तथा संदर्भ पुस्तकों से सुसज्जित एक पुस्तकालय होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी पुस्तकालय, आईसीटी पुस्तकालय, मनोवैज्ञानिक उपकरण, सीडी, विश्वकोष, प्रारंभिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की पत्रिकाएं। इसके अलावा अंग्रेजी/हिंदी/प्रादेशिक भाषा में समुचित मात्रा में स्व-शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी।

(ख) अध्ययन केन्द्र का पुस्तकालय: जिन संस्थानों में अध्ययन केन्द्र स्थित है प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संपर्क सत्रों के दौरान उनके पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का प्रयोग किया जाएगा।

11 शैक्षणिक इन्पुट

(क) स्व-अधिगम सामग्री: यह कार्यक्रम पूर्ण व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ आयोजित किया जाएगा। मुद्रित तथा गैर-मुद्रित--दोनों प्रकार की स्व-अधिगम सामग्री अनिवार्यतः स्व-अधिगम के शिक्षाशास्त्र पर आधारित होनी चाहिए और डीईसी द्वारा उसे विधिवत रूप से अनुमोदित किया होना चाहिए। मिश्रित अधिगम पद्धति (विधियों और मीडिया का मिश्रण) का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों को अध्ययन सामग्री

1063

सत्र के आरंभ में ही कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार या तो एक ही बार में अथवा चरणबद्ध रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) संपर्क कार्यक्रमः दो वर्ष की अवधि के कार्यक्रम में छात्रों की सुविधा के अनुसार मुख्यालय/अध्ययन केन्द्रों में कम से कम 300 घंटों का संपर्क कार्यक्रम अवश्य आयोजित किया जाना चाहिए। वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम निम्न रूपों में आयोजित किए जाने चाहिए।

(ग) शैक्षणिक परामर्शः शैक्षणिक परामर्श सत्र कार्यक्रम की समूची अवधि में प्रसारित किए जाएंगे तथा ऐसे सत्र छात्रों की जरूरत और सुविधा के आधार पर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। परामर्शी सत्रों के दौरान पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षणिक और वैयक्तिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। परामर्शी सत्रों का प्रयोग छात्रों को क्षेत्रीय कार्य, अध्यापन अभ्यास, परियोजनाओं, एसाइनमेंटों, शोध प्रबंधों, समय प्रबंध, अध्ययन कौशलों आदि के संबंध में वैयक्तिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। परामर्शी सत्रों के लिए दो वर्ष में प्रसारित कम से कम 144 अध्ययन घंटे आबंटित किए जाएंगे। परामर्शी सत्र शिक्षण सत्रों के रूप में नहीं बल्कि ट्यूटोरियलों के रूप में आयोजित किए जाएंगे क्योंकि शिक्षण कार्य की पूर्ति छात्रों को उपलब्ध कराई गई अधिगम सामग्री से हो जाएगी।

(घ) कार्यशालाएंः कार्यशालाओं में छात्र, एक अध्यापक अथवा अध्यापक प्रशिक्षक के लिए अपेक्षित क्षमताएं और कौशल अर्जित करेंगे। इसलिए उन्हें व्यक्तियों या समूहों के रूप में कतिपय क्रियाकलापों में प्रवृत्त किया जाएगा। साथ ही अध्ययन केन्द्र क्लासरूमों और अनुरूपित स्थितियों में अभ्यास अध्यापन की व्यवस्था करेंगे। साथ ही छात्रों को, शिक्षण सहायक सामग्री, अनुसंधान साधनों, कार्यशीटों, स्क्रैपबुक्स आदि तौयर करने के काम में शामिल करके उन्हें आईसीटी के निर्माण और प्रयोग में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों ने जो कुछ सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों से सीखा है और उनसे क्लासरूमों में जो कुछ करने की अपेक्षा की ती है, उसका अभ्यास करने के भी काफी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 12-12 दिन की अवधि की दो कार्यशालाएं (प्रति वर्ष एक) होंगी। इस प्रकार दो वर्ष के कार्यक्रम में कुल मिलाकर 24 दिन (इंटरवल, लंच आदि के समय को छोड़कर 6 घंटे का अध्ययन समय) कम से कम 144 अध्ययन घंटे कायशालाओं में लगाए जाएंगे।

(ड.) स्कूल-आधारित क्रियाकलापः ओडीएल प्रणाली के माध्यम से अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को ऐसे क्रियाकलापों में प्रवृत्त किया जाएगा, जिनकी एक अध्यापक से स्कूल/कालेज में निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है। स्कूल-आधारित क्रियाकलापों पर कार्य करने के लिए छात्र एक संकाय सदस्य (जिस स्कूल/कालेज में छात्र काम कर रहा हैं वहां का कोई वरिष्ठ तथा अनुभवी अध्यापक/प्रिंसीपल/संकाय) के साथ वैचारिक आदान-प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक परामर्शदाता द्वारा एक छात्र को कम से कम 15 अध्ययन धंटों तक पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन किया जाएगा।

1064

(च) अध्यापन अभ्यासः डीएलएड कार्यक्रम में दाखिल किए गए छात्र 40 दिनों की अवधि के भीतर 40 पाठों की योजना बनाएंगे और पढ़ाएंगे (बीएड के मामले में प्रत्येक विषय में 20 तथा अन्य कार्यक्रमों के मामले में जरूरत के अनुसार)। दूसरे शब्दों में छात्र एक दिन में एक से अधिक पाठ नहीं पढ़ाएंगे। प्रत्येक पाठ के बाद पर्यवेक्षकों/अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा छात्र को उसके निष्पादन (शक्तियां और दुर्बलताएं) की बाबत एक रचनात्मक फीडबैक उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार छात्र, पाठ योजनाएं तैयार करने, पाठ पढ़ाने तथा पढ़ाए गए पाठों के संबंध में फीडबैक पर पर्यवेक्षक/अध्यापक प्रशिक्षक के साथ चर्चा करेगा। इस प्रकार प्रत्येक छात्र, कार्यक्रम की सूची अवधि के भीतर अध्यापन अभ्यास पर कम से कम 80 अध्ययन घंटों (प्रति पाठ दो घंटे) के लिए वैयक्तिक पर्यवेक्षण प्राप्त करेगा।

मुख्यालय का स्टाफ अध्ययन केन्द्रों में प्रयोग के लिए पाठ्यचर्या, स्व-अधिगम सामग्री, आदर्श पाठ योजनाएं तथा एवी सामग्री तैयार करेगा। पहले और दूसरे वर्ष के अंत में परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में स्थित अध्ययन केन्द्र अभ्यास शिक्षण और कार्य अनुभव घटकों की परीक्षा आंतरिक और बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करके करेगी।

(छ) मूल्यांकन और फीडबैकः संस्थान द्वारा दो स्तर के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगाः सतत और व्यापक मूल्यांकन तथा सत्र के अंत में परीक्षाएं। कार्यशाला में सहभागिता और निष्पादन सहित सतत और व्यापक मूल्यांकन को समुचित भारिता प्रदान की जाएगी। छात्रों द्वारा प्रस्तुत एसाइनमेंटो/परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन एक समय-सीमा के भीतर किया जाएगा और उन्हें रचनात्मक टिप्पणियों तथा सुझावों सहित वापिस लौटा दिया जाएगा ताकि वे अपने निष्पादन में सुधार ला सके। ऐसाइनमेंटों/परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन का प्रमुख कार्य छात्रों के सामयिक फीडबैक प्रदान करना है जिससे कि उनकी प्रेरणा को बनाए रखा जा सके। ऐसाइनमेंटों, कार्यशाला-आधारित क्रियाकलापों, स्कूल-आधारित क्रियाकलापों और अध्यापन अभ्यास का मूल्यांकन सतत आधार पर किया जाना चाहिए। बाह्य मूल्यांकन के तहत पाठ्यक्रम के सभी यूनिटों से संबंधित प्रश्न आएंगे और ऐसा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रकृति के/लघु उत्तर प्रकृति के/दीर्घ उत्तर प्रकृति के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इन प्रश्नों के बारे में परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया। अंतिम रूप दिया जाएगा। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन को 30:70 के अनुपात में भारिता प्रदान की जाएगी।

12 पाठ्यचर्या क्षेत्रों में अभ्यास शिक्षण

मुख्यालय का स्टाफ अध्ययन केन्द्रों के लिए पाठ्यचर्या, स्व-अधिगम सामग्री, आदर्श पाठ योजनाएं तथा एवी सामग्री तैयार करेगा। पहले और दूसरे वर्ष के अंत में परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अध्यापक शिक्षा

संस्थानों (टीईआई) में स्थित अध्ययन केन्द्र, आंतरिक और बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करके अभ्यास शिक्षण और कार्य अनुभव घटकों की परीक्षा का आयोजन करेंगे।

13 छात्र सहयोग प्रणाली

पाठ्यक्रम के छात्रों को विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय/संकुल/संस्थानगत अध्ययन केन्द्र के पुस्तकालय के पूरे प्रयोग की सुविधा उसी प्रकार उपलब्ध कराई जाएगी जैसेकि सभी नियमित आमने-सामने पद्धति वाले छात्रों को उपलब्ध रहती है।

अध्ययन केन्द्रों में इंटरनेट/टेलीविजन/वीसीआर/ओएचपी आदि जैसी गैर-मुद्रित अधिगम सामग्री प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

अध्ययन केन्द्रों में छात्रों को परामर्शी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

श्रृव्य-दृश्य कार्यक्रमः राज्य संसाधन केन्द्रों और इग्नू की उपलब्ध अपलिंकिंग सुविधा का प्रयोग किया जाएगा।

14 मानीटरिंग तथा पर्यवेक्षण

एक दूरस्थ अध्यापक शिक्षा संस्थान में एक व्यवस्थित मानीटरन तंत्र होना जरूरी है। मानीटरन के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का प्रयोग किया जाएगा जैसेकि संकाय द्वारा नियतकालिक क्षेत्रीय दौरे, छात्रों तथा अध्ययन केन्द्र समन्वयकर्ताओं--दों से नियमित फीडबैक प्राप्त करना, आईसीटी आदि के माध्यम से छात्रों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान तथा संस्थानों द्वारा विशिष्ट रिकार्ड रखना। अध्ययन केन्द्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा एक उपयुक्त क्रियाविधि नियमित आधार पर तैयार की जाएगी।

15 फीस का ढांचा

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी छात्र से विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार फीस वसूली जाएगी।

16 कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की पूर्वापेक्षा

(i) अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए राअशिप को आवेदन करने से पूर्व ओडीएल संस्थान निम्न कार्य सुनिश्चित करेगाः

(ii) कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र, फीस के ढांचे, नामांकन, अध्ययन केन्द्रों की संकाय की जरूरत, कार्यक्रम के निर्माण और कार्यान्वयन पर अनुमोदित खर्च, कार्यक्रम के निमाण और कार्यान्वयन के लिए भुगतान के मानदंडों, अध्ययन केन्द्रों तथा संसाधन व्यक्तियों को भुगतान के मानदंडों, अध्ययन केन्द्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त संकाय, संसाधनों आदि से संबंधित ब्यौरों सहित परियोजना दस्तावेज की तैयारी।

(iii) कार्यक्रम शुरू करने के लिए समुचित विश्वविद्यालय निकायों की मंजूरी।

1066

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित मूल्यांकन/परीक्षा की स्कीम तथा सहयोगात्मक सेवाओं सहित पाठ्यचर्या (पाठयक्रम-वार तथा यूनिट-वार संरचना) की तैयारी।

(v) डीईसी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित मुद्रित तथा गैर-मुद्रित रूप में स्व-अधिगम सामग्री की तैयारी।

(vi) अभिज्ञात अध्ययन केन्द्रों से एक निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का आश्वासन कि अध्ययन केनद्रों के लिए मानदंडों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(vii) स्टाफ के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए जैसेकि विज्ञापन देना, छंटाई करना, इंटरव्यू आयोजित करना तथा चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजना।

IndiaCode

परिशिष्ट - 11

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम.एड. कार्यक्रम का उद्देश्य सेवारत अध्यापकों, अध्यापक प्रशिक्षकों, नीतिनिर्माताओं, शैक्षिक प्रशासकों, शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं, पाठ्यचर्या और सामग्री निर्माताओं तथा शैक्षिक प्रणाली में अन्य को व्यावसायिक विकास के लिए एम.एड. पाठ्यक्रम करने का अवसर प्रदान करना है।

2 पाठ्यक्रम का नाम

शिक्षा में मास्टर (एम.एड.)

3 पाठ्यक्रम की पेशकश करने की शर्त

(1) संस्थान

ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विशेष रूप से स्थापित संस्थान अथवा शैक्षणिक यूनिट ओडीएल प्रणाली से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और केंद्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा के निदेशालय/स्कूल अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों पेश करने के पात्र होंगे। समविश्वविद्यालय दूरस्थ पद्धति से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय तथा विषय/विषय क्षेत्र विशिष्ट/संस्थान जैसेकि हिंदी, तेलुगु, संस्कृत आदि ओडीएल प्रणाली के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के पात्र नहीं होंगे।

(2) अधिकार क्षेत्र

राज्य विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधायिका अधिनियम के माध्यम से और केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया जाता है। राज्य विश्वविद्यालय को अधिनियम द्वारा उसे आबंटित क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र के भीतर छात्रों को दाखिला देने की अनुमति होती है। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अधिकारक्षेत्र एक से अधिक राज्यों में हो सकता है बशर्ते कि इसके अधिनियम में इसके क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र के बारे में विशिष्ट प्रावधान हों। विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में भी स्थित हो सकते हैं।

4 अवधि

कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र/वर्ष (चार सेमस्टर) होगी। कार्यक्रम की शुरुआत और समापन इस प्रकार विनियमित किए जाएंगे कि छात्रों को मार्गदर्शित/पर्यवेक्षित शिक्षण तथा

IndiaCode

आमने-सामने के संपर्क सत्रों के लिए छुट्टियों (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/विभाजित) की दो दीर्घ अवधियां उपलब्ध हो सकें। कार्यक्रम को गर्मियों की दो छुट्टियों के बीच में रखना एक आदर्श व्यवस्था होगी।

5 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

कार्यक्रम के लिए बुनियादी यूनिट इस शर्त के अध्यधीन दो सौ पचास होगा कि अध्ययन केन्द्र किसी एक वर्ष में पच्चीस से अधिक छात्रों का दाखिला नहीं करेगा। एम.एड., ओडीएल के लिए एक शोध प्रबंध की पूर्ति एक अनिवार्य अपेक्षा है क्योंकि आमने-सामने वाले एम.एड. पाठ्यक्रम में भी ऐसा ही प्रावधान है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट के लिए आवेदन-पत्र पर राअशिप द्वारा अध्ययन केन्द्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में संबंधित सहयोग की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों का यूनिट केवल पच्चीस छात्रों का होगा।

(2) **पात्रता**

पचपन प्रतिशत अंकों सहित बी.एड.

बी.एड. कार्यक्रम पूरा कर लेने के बाद किसी सरकारी/सरकारी मान्यताप्राप्त स्कूल/राअशिप मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा/शिक्षा में अनुसंधान संस्थान में दो वर्ष का शिक्षण/व्यावसायिक अनुभव।

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

(i) अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य सरकार एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करेगी।

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में पांच प्रतिशत की ढील दी जाएगी।

6 मुख्यालय में सुविधाएं

(1) दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम.एड. कार्यक्रम में पाठ्यक्रम डिजाइनिंग, परामर्श, शोध प्रबंध मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम निर्माण, छात्रों की एसाइनमेंटों की जांच, स्व-सुधारात्मक अधिगम सामग्री का मानीटरन, संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन, अध्ययन केन्द्रों के स्टाफ का दिशा-अनुकूलन आदि जैसे अनेक क्रियाकलाप शामिल रहते हैं। मुख्यालय/नोडल केन्द्रों का संकाय इन सभी के संबंध में समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। यह जरूरी है कि विश्वविद्यालय मुख्यालय और अध्ययन केन्द्रों--दोनों में सुविधाएं और विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाए।

1069

मुख्यालय/नोडल केन्द्र केवल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में ही काम नहीं करेगा बल्कि एक सक्रिय संसाधन केन्द्र के रूप में भी काम करेगा। यह जरूरी है कि मुख्यालय/नोडल केन्द्र में पूर्णकालिक और उच्च अर्हताप्राप्त स्टाफ की नियुक्ति की जाए। छात्रों की जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त अंशकालिक संकाय भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(2) **स्टाफ**

(i) ओडीएल पद्धति के माध्यम से इस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय के पास नितांततः 6 सदस्यों का पूर्णकालिक कोर संकाय होना चाहिए।

(ii) संकाय के ब्यौरे निम्नानुसार होंगेः

प्रोफ़ेसर	- एक
रीडर/सह-प्रोफेसर	- एक
लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर	- चार

(iii) संकाय पाठ्यक्रम डिजाइनिंग, सामग्री निर्माण, एसाइनमेंट्स के मूल्यांकन, अध्ययन केन्द्रों के शैक्षणिक स्टाफ के दिशा-अनुकूलन तथा अध्ययन केन्द्रों के मानीटरन और पर्यवेक्षण और पाठ्यक्रमों के अनुरक्षण/नवीकरण तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होगा।

(iv) इस कार्यक्रम के 25 छात्रों के प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए संकाय क्षमता में एक प्रोफेसर/रीडर की वृद्धि की जाएगी।

(v) संकाय के एक सदस्य को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम-समन्वयकर्ता के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(3) **शैक्षणिक स्टाफ की अर्हता**

शैक्षणिक स्टाफ की शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अर्हताएं वैसी ही होंगी जैसीकि आमने-सामने पद्धति से चलाए जा रहे तदनुरूपी कार्यक्रमों के मामले में निर्धारित हैं। इसके अलावा ओडीएल प्रणाली में अर्हता/अनुभवप्राप्त संकाय को वरीयता दी जाएगी।

(4) **भौतिक आधारिक-तंत्र**

संकाय सदस्यों के लिए कमरे/केबिन, कंप्यूटर कक्ष, सामग्री उत्पादन केन्द्र, स्टोर, कार्यालय कक्ष, सम्मेलन कक्ष, हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर और कोर्सवेयर विकास के लिए श्रृव्य-दृश्य स्टुडियो जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(5) **शिक्षणात्मक आधारिक-तंत्र**

(i) पुस्तकालय

अध्यापक शिक्षा से संबंधित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोशों, अब्दकोशों, इलेक्ट्रानिक प्रकाशनों, सीडी रोमों तथा अध्यापक शिक्षा, दूरस्थ

1070

शिक्षा आदि के संबंध में अनुसंधान पत्रिकाओं से सुसज्जित एक पुस्तकालय होगा।

7 सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा सरकार के तदनुरूपी पद के लिए यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

8 अध्ययन केन्द्र के लिए पात्रता और शर्तें

(1) केवल निम्न श्रेणी के संस्थान अध्ययन केन्द्र बनने के योग्य होंगे:

ऐसे संस्थान जिन्हें आमने-सामने पद्धति से उसी कार्यक्रम को चलाने के लिए राअशिप की मान्यताप्राप्त है और जिनके पास राअशिप के मानदंडों के अनुसार सभी अपेक्षित आधारिक-तंत्र और स्टाफ मौजूद हैं। ऐसे संस्थान जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए संगत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाया हो।

विश्वविद्यालय द्वारा एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में घोषित संस्थान, उसी या किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी अन्य कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र नहीं होगा।

(2) (i) एक अध्ययन केन्द्र को आबंटित छात्रों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी।

(ii) अध्ययन केन्द्र, उसे आबंटित किए गए दूरस्थ छात्रों को अपना पुस्तकालय तथा अन्य भौतिक सुविधाएं सुलभ कराएगा।

(iii) ओडीएल संस्थान का मुख्यालय भी कम से कम 25 छात्रों के लिए एक अध्ययन केन्द्र के रूप में काम कर सकता है।

1071

(3) अध्ययन केन्द्र में विभिन्न क्रियाकलापों में प्रवृत्त अध्यापक प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक राअशिप मानदंडों के अनुसार पूरी तरह अर्हताप्राप्त होंगे।

(4) मुक्त विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अध्ययन केन्द्रों के क्रियाकलापों से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों को समय-समय पर ओडीएल प्रणाली के व्यवहार में दिशा-अनुकूलित किया जाना चाहिए।

(5) किसी कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट के दाखिल किए जाने से संबंधित अनुरोध पर राअशिप द्वारा अध्ययन केन्द्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में संबंधित सहयोग के आधार पर विचार किया जाएगा। दाखिल किए गए अतिरिक्त छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त करने के निमित्त निर्धारित क्रियाविधि का पालन किया जाएगा।

9 शैक्षणिक इन्पुट

(1) स्व-अधिगम सामग्रीः यह कार्यक्रम पूर्ण व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ आयोजित किया जाएगा। मुद्रित तथा गैर-मुद्रित--दोनों प्रकार की स्व-अधिगम सामग्री अनिवार्यतः स्व-अधिगम के शिक्षाशास्त्र पर आधारित होनी चाहिए और डीईसी द्वारा उसे विधिवत रूप से अनुमोदित किया होना चाहिए। मिश्रित अधिगम पद्धति (विधियों और मीडिया का मिश्रण) का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों को अध्ययन सामग्री सत्र के आरंभ में ही कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार या तो एक ही बार में अथवा चरणबद्ध रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) संपर्क कार्यक्रमः दो वर्ष की अवधि के कार्यक्रम में छात्रों की सुविधा के अनुसार मुख्यालय/अध्ययन केन्द्रों में कम से कम तीन सौ घंटों का संपर्क कार्यक्रम अवश्य आयोजित किया जाना चाहिए। वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम निम्न रूपों में आयोजित किए जाने चाहिए।

(i) शैक्षणिक परामर्शः शैक्षणिक परामर्श सत्र कार्यक्रम की समूची अवधि में प्रसारित किए जाएंगे तथा ऐसे सत्र छात्रों की जरूरत और सुविधा के आधार पर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। परामर्शी सत्रों के दौरान पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षणिक और वैयक्तिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। परामर्शी सत्रों का प्रयोग छात्रों को क्षेत्रीय कार्य, अध्यापन अभ्यास, परियोजनाओं, एसाइनमेंटों, शोध प्रबंधों, समय प्रबंध, अध्ययन कौशलों आदि के संबंध में वैयक्तिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। परामर्शी सत्रों के लिए दो वर्ष में प्रसारित कम से कम एक सौ चवालीस अध्ययन घंटे आबंटित किए जाएंगे। परामर्शी सत्र शिक्षण सत्रों के रूप में नहीं बल्कि ट्यूटोरियलों के रूप में आयोजित किए जाएंगे क्योंकि शिक्षण कार्य की पूर्ति छात्रों को उपलब्ध कराई गई अधिगम सामग्री से हो जाएगी।

(ii) कार्यशालाएंः कार्यशालाओं में छात्र, एक अध्यापक अथवा अध्यापक प्रशिक्षक के लिए अपेक्षित क्षमताएं और कौशल अर्जित करेंगे। इसलिए उन्हें व्यक्तियों या समूहों के रूप में कतिपय क्रियाकलापों में प्रवृत्त किया

जाएगा। साथ ही अध्ययन केन्द्र क्लासरूमों और अनुरूपित स्थितियों में अभ्यास अध्यापन की व्यवस्था करेंगे। साथ ही छात्रों को, शिक्षण सहायक सामग्री, अनुसंधान साधनों, कार्यशीटों, स्क्रैपबुक्स आदि तौयर करने के काम में शामिल करके उन्हें आईसीटी के निर्माण और प्रयोग में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों ने जो कुछ सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों से सीखा है और उनसे क्लासरूमों में जो कुछ करने की अपेक्षा की ती है, उसका अभ्यास करने के भी काफी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 12-12 दिन की अवधि की दो कार्यशालाएं (प्रति वर्ष एक) होंगी। इस प्रकार दो वर्ष के कार्यक्रम में कुल मिलाकर 24 दिन (इंटरवल, लंच आदि के समय को छोड़कर 6 घंटे का अध्ययन समय) कम से कम 144 अध्ययन घंटे कायशालाओं में लगाए जाएंगे।

(iii) स्कूल-आधारित क्रियाकलाप: ओडीएल प्रणाली के माध्यम से अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को ऐसे क्रियाकलापों में प्रवृत्त किया जाएगा, जिन्हें एक अध्यापक से स्कूल/कालेज में निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है। स्कूल-आधारित क्रियाकलापों पर कार्य करने के लिए छात्र एक संकाय सदस्य (जिस स्कूल/कालेज में छात्र काम कर रहा है वहां का कोई वरिष्ठ तथा अनुभवी अध्यापक/प्रिंसीपल/संकाय) के साथ वैचारिक आदान-प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक परामर्शदाता द्वारा एक छात्र को कम से कम पंद्रह अध्ययन घंटों तक पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन किया जाएगा।

(iv) अध्यापन अभ्यास: डीएलएड कार्यक्रम में दाखिल किए गए छात्र चालीस दिनों की अवधि के भीतर चालीस पाठों की योजना बनाएंगे और पढ़ाएंगे (बीएड के मामले में प्रत्येक विषय में बीस तथा अन्य कार्यक्रमों के मामले में जरूरत के अनुसार)। दूसरे शब्दों में छात्र एक दिन में एक से अधिक पाठ नहीं पढाएंगे। प्रत्येक पाठ के बाद पर्यवेक्षकों/अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा छात्र को उसके निष्पादन (शक्तियां और दुर्बलताएं) की बाबत एक रचनात्मक फीडबैक उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार छात्र, पाठ योजनाएं तैयार करने, पाठ पढ़ाने तथा पढ़ाए गए पाठों के संबंध में फीडबैक पर पर्यवेक्षक/अध्यापक प्रशिक्षक के साथ चर्चा करेगा। इस प्रकार प्रत्येक छात्र, कार्यक्रम की सूची अवधि के भीतर अध्यापन अभ्यास पर कम से कम अस्सी अध्ययन घंटों (प्रति पाठ दो घंटे) के लिए वैयक्तिक पर्यवेक्षण प्राप्त करेगा।

10

(क) **मूल्यांकन और फीडबैक:** संस्थान द्वारा दो स्तर के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगा: सतत और व्यापक मूल्यांकन तथा सत्र के अंत में परीक्षाएं। कार्यशाला में सहभागिता और निष्पादन सहित सतत और व्यापक मूल्यांकन को समुचित भारिता प्रदान की जाएगी। छात्रों द्वारा प्रस्तुत एसाइनमेंटो/परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन एक समय-सीमा के भीतर किया जाएगा और उन्हें रचनात्मक टिप्पणियों तथा

1073

सुझावों सहित वापिस लौटा दिया जाएगा ताकि वे अपने निष्पादन में सुधार ला सकें। ऐसाइनमेंटों/परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन का प्रमुख कार्य छात्रों के सामयिक फीडबैक प्रदान करना है जिससे कि उनकी प्रेरणा को बनाए रखा जा सके। ऐसाइनमेंटों, कार्यशाला-आधारित क्रियाकलापों, स्कूल-आधारित क्रियाकलापों और अध्यापन अभ्यास का मूल्यांकन सतत आधार पर किया जाना चाहिए। बाह्य मूल्यांकन के तहत पाठ्यक्रम के सभी यूनिटों से संबंधित प्रश्न आएंगे और ऐसा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रकृति के/लघु उत्तर प्रकृति के/दीर्घ उत्तर प्रकृति के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इन प्रश्नों के बारे में परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया। अंतिम रूप दिया जाएगा। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन को 30:70 के अनुपात में भारिता प्रदान की जाएगी।

(ख) छात्र सहयोग सेवाएं

(i) पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय और इसका संबंधनप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में स्थित पुस्तकालय के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) अध्ययन केन्द्रों में इंटरनेट/टेलीविजन/वीसीआर/ओएचपी आदि जैसी गैर-मुद्रित अधिगम सामग्री प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(iii) अध्ययन केन्द्रों में छात्रों को परामर्शी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(ग) मानीटरिंग तथा पर्यवेक्षण

एक दूरस्थ अध्यापक शिक्षा संस्थान में एक व्यवस्थित मानीटरन तंत्र होना जरूरी है। मानीटरन के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का प्रयोग किया जाएगा जैसेकि संकाय द्वारा नियतकालिक क्षेत्रीय दौरे, छात्रों तथा अध्ययन केन्द्र समन्वयकर्ताओं--दों से नियमित फीडबैक प्राप्त करना, आईसीटी आदि के माध्यम से छात्रों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान तथा संस्थानों द्वारा विशिष्ट रिकार्ड रखना। अध्ययन केन्द्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा एक उपयुक्त क्रियाविधि नियमित आधार पर तैयार की जाएगी।

11 फीस का ढांचा

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी छात्र से विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार फीस वसूली जाएगी।

12 कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की पूर्वापेक्षा

(i) अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए राअशिप को आवेदन करने से पूर्व ओडीएल संस्थान निम्न कार्य सुनिश्चित करेगा।

(ii) कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र, फीस के ढांचे, नामांकन, अध्ययन केन्द्रों की संकाय की जरूरत, कार्यक्रम के निर्माण और कार्यान्वयन पर अनुमोदित खर्च, कार्यक्रम के निमाण और कार्यान्वयन के लिए भुगतान के मानदंडों, अध्ययन केन्द्रों तथा संसाधन

1074

व्यक्तियों को भुगतान के मानदंडों, अध्ययन केन्द्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त संकाय, संसाधनों आदि से संबंधित ब्यौरों सहित परियोजना दस्तावेज की तैयारी।

(iii) कार्यक्रम शुरू करने के लिए समुचित विश्वविद्यालय निकायों की मंजूरी।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित मूल्यांकन/परीक्षा की स्कीम तथा सहयोगात्मक सेवाओं सहित पाठ्यचर्या (पाठयक्रम-वार तथा यूनिट-वार संरचना) की तैयारी।

(v) डीईसी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित मुद्रित तथा गैर-मुद्रित रूप में स्व-अधिगम सामग्री की तैयारी।

(vi) अभिज्ञात अध्ययन केन्द्रों से एक निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का आश्वासन कि अध्ययन केनद्रों के लिए मानदंडों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(vii) स्टाफ के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए जैसेकि विज्ञापन देना, छंटाई करना, इंटरव्यू आयोजित करना तथा चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजना।

IndiaCode

परिशिष्ट - 12

कला शिक्षा (दृश्य कलाएं) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले कला शिक्षा (दृश्य कलाएं)मे डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 प्रस्तावना

सभी अन्य प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की तर्ज पर कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कलाएं अथवा निष्पादन कलाएं) की पेशकश उच्च माध्यमिक के बाद की जानी चाहिए और इसकी अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। कार्यक्रम पूरा करने वाले व्यक्ति प्रारंभिक स्तर के अंत तक अर्थात कक्षा VII अथवा VIII तक दृश्य कलाएं अथवा निष्पादन कलाएं पढ़ाने के योग्य होने चाहिए।

2 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

(1) अवधि

इस कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष होगी।

(2) कार्यकारी दिवस

(क) परीक्षा और दाखिलों की अवधि को छोड़कर प्रति वर्ष कम से कम दो सौ कार्यदिवस होंगे जिनमें कम से कम चालीस दिन प्रारंभिक स्कूलों में अभ्यास अध्यापन/कौशल विकास के लिए होंगे।

(ख) संस्थान एक सप्ताह में (पांच अथवा छह दिन) कम से कम छत्तीस घंटे काम करेगा।

3 कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए पात्र संस्थान

(i) कला शिक्षा संस्थान

(ii) कला और शिल्प अध्यापक शिक्षा संस्थान

(iii) एक स्कूल शिक्षण विषय के रूप में कला शिक्षा की पेशकश करने वाले माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान (बी.एड.)।

4 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

(1) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

प्रति वर्ष पचास छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा (चित्रकला/चित्रांकन आदि) जिसमें पच्चीस-पच्चीस छात्रों के दो सेक्शन होंगे।

(2) पात्रता

जिन अभ्यर्थियों ने कम से कम पचास प्रतिशत अंकों सहित उच्च माध्यमिक परीक्षा (+ 2) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा पास की है और जिन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर

IndiaCode

पर एक वैकल्पिक विषय (विषयों) के रूप में दृश्य कला (चित्रकला/चित्रांकन आदि) का अध्ययन किया है, दाखिले के लिए पात्र हैं।

जिन छात्रों ने उच्च माध्यमिक स्तर पर दृश्य कलाओं का अध्ययन नहीं किया है, संस्थान/परीक्षण निकाय द्वारा आयोजित अभिवृत्ति-एवं-कौशल परीक्षण में उनके निष्पादन के आधार पर उनके दाखिले पर भी विचार किया जा सकता है।

आरक्षित श्रेणियों के संबंध में सीटों के आरक्षण तथा अर्हक अंकों में ढील का प्रावधान संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(3) दाखिले की क्रियाविधि

दाखिले अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार अथवा राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएंगे।

(4) फीस

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

5 स्टाफ

(I) शैक्षणिक संकाय

(i) संख्या

पचास छात्रों अथवा उससे कम के बुनियादी यूनिट अथवा दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए सौ या इससे कम की संयुक्त क्षमता के वास्ते

प्रिंसीपल	- एक
लेक्चरर	- छह

(II) अर्हताएं

प्रिंसीपल

शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं; तथा

कला अध्यापक शिक्षा अथवा प्रारंभिक/अध्यापक शिक्षा संस्थान में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव

लेक्चरर	**- पांच**
शिक्षा में लेक्चरर	**- एक**

IndiaCode

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित एम.एड./एम.एड. (प्रारंभिक)

अथवा

(i) पचपन प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में एम.ए.

(ii) पचपन प्रतिशत अंकों सहित कला शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री

वांछनीय

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

(ii) **कला विषय** - **तीन**

(क) चित्रांकन तथा चित्रकला - एक

(ख) मूर्तिकला - एक

(ग) अनुप्रयुक्त कलाएं - एक

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित ललित कलाओं (दृश्य कलाएं) में मास्टर डिग्री तथा उपर्युक्त में से संबंधित विषय में विशेषज्ञता

वांछनीय

पचास प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा तथा शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.)

वांछनीय

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

साहित्य में लेक्चरर

(i) पचपन प्रतिशत अंकों सहित अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा में स्नातकोत्तर

(ii) पचास प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा

(iii) कला और शिल्प अनुदेशक - **एक**

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित ललित कला में स्नातक

1078

अथवा

पचपन प्रतिशत अंकों सहित कला शिक्षा में दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा

वांछनीय

कला शिक्षा प्रयोजन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

(iii) **कला तथा हस्तकला अनुदेशक**

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित ललित कला में स्नातक

अथवा

पचपन प्रतिशत अंकों सहित कला शिक्षा में दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा

वांछनीय

कला शिक्षा प्रयोजन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

(iv) **पुस्तकालयाध्यक्ष** - एक

पचास प्रतिशत अंकों सहित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री

(III) **प्रशासनिक स्टाफ**

(क) संख्या

(i) यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक - एक

(ii) कंप्यूटर प्रचालक - एक

(ख) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

टिप्पणी:

पचास छात्रों के अतिरिक्त दाखिले की स्थिति में अतिरिक्त स्टाफ में पांच पूर्णकालिक लेक्चरर, एक पुस्तकालय सहायक और एक कार्यालय सहायक की व्यवस्था की जाएगी

(IV) **सेवा की शर्तें और उपबंध**

नियुक्ति सम्बन्धित राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

3143 GI/09—8B

IndiaCode

1079

अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा राज्य शिक्षा प्रणाली में समतुल्य पदों के लिए निर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार की नीति द्वारा तय की जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

6 सुविधाएं

(I) आधारिक तंत्र

(क) सौ छात्रों के प्रारंभिक दाखिले के लिए संस्थानों के कब्जे में ढाई हजार वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से एक हजार पांच सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र और बाकी स्थान लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। सौ या इससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थानों के कब्जे में पांच सौ वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए जिसमें से तीन सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए। दो सौ से अधिक और तीन सौ तक के वार्षिक दाखिले की स्थिति में संस्थान के कब्जे में तीन हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से दो हजार एक सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए।

(ख) संस्थानों के पास निम्न आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिएः

(i) दो क्लासरूम

(ii) एक डायस सहित दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता सहित एक बहुद्देशीय हाल

(iii) पुस्तकालय-एवं-वाचनालय

(iv) ईटी/आईसीटी/मनोविज्ञान के लिए संसाधन केन्द्र

(v) पचास छात्रों के लिए चित्रकला की सुविधाओं के निमित्त एक कला स्टुडियो

(vi) पचास छात्रों के लिए सुविधाओं सहित अनुप्रयुक्त कला स्टुडियो

(vii) पचास छात्रों के लिए सुविधाओं सहित मूर्तिकला स्टुडियो

(viii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्र

(ix) प्रिंसीपल का कार्यालय

(x) स्टाफ रूम

(xi) प्रशासनिक कार्यालय

1080

(xii) कला सामग्री के भंडारण के लिए स्टोर रूम (दो)

(xiii) बालिकाओं का कामन रूम

(xiv) कैंटीन

(xv) अतिथि कक्ष

(xvi) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग टायलेट सुविधा

(xvii) वाहन खड़ा करने के लिए स्थान

(xviii) लानों, बागवानी क्रियाकलापों आदि के लिए खुला स्थान

(xix) स्टोर रूम

(xx) बहुद्देशीय खेल मैदान

(ग) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होने चाहिए।

(II) **शिक्षणात्मक**

(i) प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के वास्ते संस्थान के पास पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल सहज सुलभ होने चाहिए। बेहतर हो कि उसके पास अपना स्वयं का एक संबद्ध प्राथमिक स्कूल हो। संस्थान अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक स्कूलों की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक स्कूल के साथ अधिक से अधिक दस प्रशिक्षणार्थी अध्यापक संबद्ध किए जाएंगे।

(ii) संस्थान 6(I) में बताए अनुसार स्टुडियो और संसाधन केन्द्र स्थापित करेगा जिसमें अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया के समर्थन और संवर्द्धन के वास्ते अध्यापकों तथा छात्रों को बहुविध सामग्री और संसाधन सुलभ होंगे। इनमें निम्न शामिल होंगे:

कलाओं और शिल्पों पर पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन

बच्चों की पुस्तकें

श्रृव्य-दृश्य उपकरण-टीवी, ओएचपी, डीवीडी प्लेयर

श्रृव्य-दृश्य सहायक सामग्री, श्रृव्य-दृश्य टेप, स्लाइडें, फिल्में

शिक्षण सहायक सामग्री-चार्ट, तस्वीरें

बच्चों के कलाकृतियों, विख्यात कलाकारों की कृतियों और मास्टर शिल्पकारों की कृतियों जैसी प्रेरणात्मक सामग्री

विकासात्मक आकलन पड़ताल सूचियां तथा मापन साधन

फोटोकापी मशीन

टिप्पणी:

आईसीटी/मनोविज्ञान/स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्रों की स्थापना करते समय संस्थानों को राअशिप द्वारा प्रकाशित "अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए नियमपुस्तिका" की सहायता लेने की सलाह दी जाती है।

(III) **विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्री**

चित्रफलक, ड्राइंग बोर्ड, कैनवास, कागज, रंग, ब्रश, मूर्तिकला विशिष्ट टूलकिट, शिल्प विशिष्ट टूलकिट, अनुप्रयुक्त कलाकिट तथा पचास छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री।

(IV) **अध्यापन तथा अधिगम सामग्री/सहायक सामग्री**

इस कार्यक्रम मे नियोजित बहुविध क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता और मात्रा--दोनों दृष्टियों से उपकरण तथा सामग्री उपयुक्त और पर्याप्त होनी चाहिए। इसमें निम्न शामिल होने चाहिएः

कला के विभिन्न क्षेत्रों में विधियों में सीडी तथा डीवीडी का संग्रह, क्रियाविधियों और विधियों पर वृत्तचित्र, कला शिक्षा किट, माडल, खेल सामग्री, कला विषयों पर पुस्तकें, कठपुतलियां, फोटोग्राफ, ब्लोअप, चार्ट, फ्लैश कार्ड, हैंडबुक, तस्वीरें, बच्चों की सचित्र प्रस्तुति।

(V) **श्रृव्य-दृश्य उपकरण**

प्रक्षेपण और अनुलिपीकरण के लिए हार्डवेयर तथा शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं जिनमें टीवी, डीवीडी प्लेयर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रृव्य-दृश्य कैसेट, दृश्य-श्रृव्य टेप, स्लाइडें, फिल्में, चार्ट, तस्वीरें, राट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अंतर्संबंध टर्मिनल) वांछनीय होंगे।

(VI) **संगीत वाद्ययंत्र**

हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मृदंगम, वीणा, मंजीरा तथा अन्य क्षेत्रीय स्वदेशी संगीतात्मक वाद्ययंत्रों जैसे साधारण संगीतात्मक वाद्ययंत्र।

(VII) **पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन**

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और उसके बाद प्रति वर्ष सौ उत्तम पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में ये शामिल होने चाहिएः बच्चों के विश्वकोश, कोश और संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, अध्यापकों की हैंडबुक, कामिको, कथाओं, सचित्र पुस्तकों/एल्बमों सहित बच्चों पर और उनके लिए पुस्तकें तथा कविताएं। संस्थान कम से कम तीन पत्रिकाएं मंगाएगा जिनमें कम से कम एक पत्रिका कला शिक्षा पर होगी।

(VIII) **खेल और खेलकूद**

सामान्य इंडोर तथा आउटडोर खेलों के लिए खेलकूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

7 (क) **प्रबंधन समिति**

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन

1082

सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(ख) सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है। समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए एक अध्यक्ष होगा।

IndiaCode

परिशिष्ट - 13

कला शिक्षा (निष्पादन कलाएं) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले कला शिक्षा (निष्पादन कलाएं)मे डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 **प्रस्तावना**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के प्रारंभिक स्तर अर्थात कक्षा I से VIII तक के लिए निष्पादन कला अध्यापक तैयार करना है।

2 **अवधि और कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

कला अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी

(2) **कार्यकारी दिवस**

(क) दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोड़कर प्रति वर्ष कम से कम 200 कार्यकारी दिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन प्रारंभिक स्कूलों में अभ्यास शिक्षण/कौशल विकास के लिए होंगे।

(ख) संस्थान प्रति सप्ताह (5 अथवा 6 दिन) कम से कम 36 घंटे के लिए काम करेगा।

3 **कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए पात्र संस्थान**

(i) निष्पादन और दृश्य कला अध्यापक शिक्षा संस्थान।

(ii) ऐसे माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान (बी.एड.) जो एक स्कूल शिक्षण विषय के रूप में निष्पादन कला शिक्षा की पेशकश करते हों।

(iii) प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थान।

4 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

प्रत्येक वर्ष के लिए 50 छात्रों का बुनियादी यूनिट होगा जिसमें 25-25 छात्रों के दो सेक्शन होंगे।

(2) **पात्रता**

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय/विषयों के रूप में संगीत/नृत्य सहित उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) का निशान कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास की हो अथवा जिनके पास

India Code

मान्यताप्राप्त व्यावसायिक निकायों से संगीत, नृत्य/रंगमंच में समतुल्य अर्हताएं हों।

आरक्षित श्रेणियों के पक्ष में सीटों में आरक्षण तथा अर्हक अंकों में ढील का प्रावधान संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(3) दाखिले की क्रियाविधि

दाखिला, प्रवेश-परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर (खेलकूद, दक्षता, परीक्षण, शारीरिक योग्यता परीक्षण तथा अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों) अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(4) फीस

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

5 स्टाफ

(I) शैक्षणिक संकाय

(i) संख्या

पचास छात्रों अथवा उससे कम के बुनियादी यूनिट अथवा दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए सौ या इससे कम की संयुक्त क्षमता के वास्ते

प्रिंसीपल	- एक
लेक्चरर	- छः

(ii) अर्हताएं

(क) प्रिंसीपल

शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं; तथा

कला अध्यापक शिक्षा अथवा प्रारंभिक/अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा निष्पादन कलाओं में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव

लेक्चरर	- पांच
(ख) शिक्षा में लेक्चरर	- एक

1085

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित एम.एड./एम.एड. (प्रारंभिक) अथवा

(i) पचपन प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में एम.ए.

(ii)पचास प्रतिशत अंकों सहित कला शिक्षा विषयों/प्रांरभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री

वांछनीय

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

(ग) **निष्पादन कलाएं** - **तीन**

(क) कंठसंगीत - एक

(ख) वाद्य संगीत - एक

(ग) नृत्य/रंगमंच कलाएं - एक

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित संगीत/नृत्य/रंगमंच में मास्टर डिग्री तथा उपर्युक्त में से संबंधित विषय में विशेषज्ञता

वांछनीय

शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा तथा शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

टिप्पणीः

अतिथि संकाय के रूप में समय-समय पर स्थानीय कलाकारों तथा/अथवा विख्यात कलाकारों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

(घ) **स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक - एक**

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.)

वांछनीय

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

(ड.) **साहित्य में लेक्चरर**

(क) पचपन प्रतिशत अंकों सहित अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री

(ख) पचास प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा

(iii) **तबला संगतकार** - **एक**

IndiaCode

अनिवार्य

पचास प्रतिशत अंकों सहित्य वाद्य संगीत में (तबला) में स्नातक

अथवा

पचास प्रतिशत अंकों सहित निष्पादन कला शिक्षा में डिप्लोमा सहित स्नातक डिग्री

वांछनीय

शैक्षिक शिक्षा प्रयोजन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

(iv) **पुस्तकालयाध्यक्ष** - एक

पचास प्रतिशत अंकों सहित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री

(II) प्रशासनिक स्टाफ़

(i) संख्या

(क) यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक - एक

(ख) कंप्यूटर प्रचालक - एक

(ii) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

टिप्पणी:

पचास छात्रों के अतिरिक्त दाखिले की स्थिति में अतिरिक्त स्टाफ़ में पांच पूर्णकालिक लेक्चरर, एक पुस्तकालय सहायक और एक कार्यालय सहायक की व्यवस्था की जाएगी

(III) सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) नियुक्ति सम्बन्धित राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहायक स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा राज्य शिक्षा प्रणाली में समतुल्य पदों के लिए निर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

Indiacode

1087

(ङ) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

6 सुविधाएं

(1) आधारिक तंत्र

(क) सौ छात्रों के प्रारंभिक दाखिले के लिए संस्थानों के कब्जे में ढाई हजार वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से एक हजार पांच सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र और बाकी स्थान लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। सौ या इससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थानों के कब्जे में पांच सौ वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए जिसमें से तीन सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए। दो सौ से अधिक और तीन सौ तक के वार्षिक दाखिले की स्थिति में संस्थान के कब्जे में तीन हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से दो हजार एक सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए।

(ख) संस्थानों के पास निम्न आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिएः

(i) दो क्लासरूम
(ii) एक डायस सहित 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता सहित एक बहुद्देशीय हाल
(iii) पुस्तकालय-एवं-वाचनालय
(iv) ईटी/आईसीटी/मनोविज्ञान के लिए संसाधन केन्द्र
(v) शीशों सहित निष्पादन कला संसाधन केन्द्र
(vi) शीशों सहित वाद्य संगीत कक्ष
(vii) शीशों सहित कंठ संगीत कक्ष
(viii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्र
(ix) प्रिंसीपल का कार्यालय
(x) स्टाफ रूम
(xi) प्रशासनिक कार्यालय
(xii) कला सामग्री के भंडारण के लिए स्टोर रूम (दो)
(xiii) बालिकाओं का कामन रूम
(xiv) कैंटीन
(xv) अतिथि कक्ष

1089

(xvi) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग टायलेट सुविधा
(xvii) वाहन खड़ा करने के लिए स्थान
(xviii) लानों, बागवानी क्रियाकलापों आदि के लिए खुला स्थान
(xix) स्टोर रूम
(xx) बहुद्देशीय खेल मैदान

टिप्पणी: स्टेज-शो के दौरान संगीत कक्षों का प्रयोग ड्रेसिंग रूमों के रूप में किया जा सकता है।

(ग) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होने चाहिए।

(2) **शिक्षणात्मक**

(क) प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के वास्ते संस्थान के पास पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल सहज सुलभ होने चाहिए। बेहतर हो कि उसके पास अपना स्वयं का एक संबद्ध प्राथमिक स्कूल हो। संस्थान अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक स्कूलों की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक स्कूल के साथ अधिक से अधिक 10 प्रशिक्षणार्थी अध्यापक संबद्ध किए जाएंगे।

(ख) संस्थान 6 (1) में बताए अनुसार संगीत कक्ष और संसाधन केन्द्रों की स्थापना करेगा जिनमें अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया के समर्थन और संवर्द्धन के वास्ते अध्यापकों तथा छात्रों को बहुविध सामग्री और संसाधन सुलभ होंगे। इनमें निम्न शामिल होंगे:

संगीत/नृत्य/रंगमंच कलाओं पर पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा मैगजीन
बच्चों की पुस्तकें
श्रृव्य-दृश्य उपकरण-टीवी, ओएचपी, डीवीडी प्लेयर
श्रृव्य दृश्य सहायक सामग्री, श्रृव्य-दृश्य टेप, स्लाइडें, फिल्में
शिक्षण सहायक सामग्री-चार्ट, तस्वीरें
निष्पादन और दृश्य कलाओं---दोनों पर सीडी
विकासात्मक आकलन पड़ताल सूचियां तथा मापन साधन
इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर
फोटोकापी मशीन

टिप्पणी:

आईसीटी/मनोविज्ञान/स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्रों की स्थापना करते समय संस्थानों को राअशिप द्वारा प्रकाशित "अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए नियमपुस्तिका" की सहायता लेने की सलाह दी जाती है।

(3) विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्री

(क)

(i) मूल बुनियादी वाद्ययंत्र-हारमोनियम, की-बोर्ड तबला, ढोलक/नाल, तानपुरा, हैमर

(ii) विभिन्न नृत्य रूपों और रंगमचीय रूपों में प्रयुक्त वस्त्रसज्जा, आभूषण

(iii) हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त वाद्ययंत्र जैसेकि सितार, वीणा, मृदंगम/पखावज

(iv) क्षेत्रीय संगीत वाद्य यंत्र

(v) श्रृंगार सामग्री

(vi) वस्त्रसज्जा वार्ड

(vii) संगीत वाद्ययंत्रों के भंडारण के लिए शोकेस

(viii) गलीचे, दरियां

(ख) अध्यापन तथा अधिगम सामग्री/सहायक सामग्री

इस कार्यक्रम मे नियोजित बहुविध क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता और मात्रा--दोनों दृष्टियों से उपकरण तथा सामग्री उपयुक्त और पर्याप्त होनी चाहिए। इसमें निम्न शामिल होने चाहिएः

कला के विभिन्न क्षेत्रों में विधियों में सीडी तथा डीवीडी का संग्रह, क्रियाविधियों और विधियों पर वृत्तचित्र, कला शिक्षा किट, माडल, खेल सामग्री, कला विषयों पर पुस्तकें, कठपुतलियां, फोटोग्राफ, ब्लोअप, चार्ट, फ्लैश कार्ड, हैंडबुक, तस्वीरें, बच्चों की सचित्र प्रस्तुति।

(ग) श्रृव्य-दृश्य उपकरण

प्रक्षेपण और अनुलिपीकरण के लिए हार्डवेयर तथा शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं जिनमें टीवी, डीवीडी प्लेयर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रृव्य-दृश्य कैसेट, दृश्य-श्रृव्य टेप, स्लाइडें, फिल्में, चार्ट, तस्वीरें, राट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अंतर्संबंध टर्मिनल) वांछनीय होंगे, माइक्रोफोन, हेडफोन।

(घ) पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और उसके बाद प्रति वर्ष सौ उत्तम पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में ये शामिल होने चाहिएः बच्चों के विश्वकोश, कोश और संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, अध्यापकों की हैंडबुक, कामिको, कथाओं, सचित्र पुस्तकों/एल्बमों सहित बच्चों पर और उनके लिए पुस्तकें तथा कविताएं। संस्थान कम से

कम तीन पत्रिकाएं मंगाएंगा जिनमें कम से कम एक पत्रिका कला शिक्षा पर होगी।

(ड.) खेल और खेलकूद

सामान्य इंडोर तथा आउटडोर खेलों के लिए खेलकूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

7 **(क) प्रबंधन समिति**

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(ख) सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है। समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए एक अध्यक्ष होगा।

1091

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2009

No. F. 51-1/2009-NCTE (N&S).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993, the National Council for Teacher Education in supersession of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2007 hereby makes the following regulations, namely: –

1. **Short Title, Application and Commencement.-**

(1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**

In these regulations, unless the context otherwise requires, all the words and expressions used herein and defined in the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) shall have the same meaning respectively as assigned to them in the said Act.

3. **Applicability.-**

These Regulations shall be applicable to all matters relating to teacher education programmes covering norms and standards and procedures for recognition of institutions, commencement of new programmes and addition to sanctioned intake in existing programmes and other matters incidental thereto.

IndiaCode

1092

4. **Eligibility.-**

The following categories of institutions are eligible for consideration of their applications under these Regulations:-

(1) Institutions established by or under the authority of Central or State Government or Union Territory Administration;

(2) Institutions financed by Central or State Government or Union Territory Administration.

(3) All universities, including institutions deemed to be universities, so recognised or declared, as the case may be, under the University Grants Commission Act, 1956.

(4) Self financed educational institutions established and operated by 'not for profit' Societies and Trusts registered under the appropriate laws.

5. **Manner of making application and Time Limit.-**

(1) An institution eligible under Regulation 4, desirous of running a teacher education programme may apply to the concerned Regional Committee of National Council for Teacher Education for recognition in the prescribed form in triplicate along with processing fee and requisite documents.

(2) The prescribed form may be downloaded from the website of the National Council for Teacher Education namely www.ncte-india.org.

(3) The application may be essentially submitted electronically through on-line mode available on the website of National Council for Teacher Education along with the processing fee. However, while submitting the application through on-line mode, the application and requisite documents in triplicate shall have to be submitted or send by registered post separately to the office of the Regional Committee concerned, immediately after on-line submission of the application.

(4) Duly completed applications in all respect may be submitted to the Regional Committee concerned during the period from the 1st day of September

till 31st day of October of the preceding year to the academic session for which recognition has been sought.

Provided further that the condition of last date for submission of application shall not apply to any innovative programme of teacher education, for which separate guidelines have been issued by National Council for Teacher Education.

(5) All applications received on-line on or before the 31st day of October of the year shall be processed for the next academic session and final decision, either recognition granted or refused, shall be communicated to the applicant on or before the 15th day of May of the succeeding year.

6. **Processing Fees.-**

For processing of an application for grant of recognition to an institution to conduct a teacher education programme or addition to programme or intake in the existing programme, the processing fee as prescribed under the Rule 9 of the National Council for Teacher Education Rules, 1997 as amended from time to time, shall be paid by the applicant, payable in the form of a demand draft of any Nationalised Bank drawn in favour of the Member Secretary, National Council for Teacher Education payable at the city where the office of the Regional Committee concerned is situated. The applicants may also deposit the processing fee online to the designated banks to be notified by National Council for Teacher Education.

7. **Processing of Applications.-**

(1) The applicant institutions shall ensure on-line submission of applications complete in all respects alongwith hard copy of the application and other documents specified below. However, in case of any inadvertent omissions or deficiencies in the documents submitted, the office of the Regional Committee shall point out the deficiencies within 45 days of the receipt of the applications, which the applicants shall remove within 60 days from the date of receipt of

1094

communication of deficiencies, if any. The on-line application with separate submission of the following documents only, shall be considered as complete application

i. Application in triplicate on the prescribed format.

ii. Processing Fees as provided under Rule 9 of the National Council for Teacher Education Rules, 1997 as amended from time to time

iii. Fixed Deposit Receipt for Rs. 5.00 lacs and 3.00 lacs of a Nationalised Bank towards Endowment and Reserve Funds, respectively.

iv. Certified copy of the registered land documents issued by the competent authority

v. Approved building plan by the competent civil authority.

vi. Notarized copy of Change of Land Use Certificate issued by the competent authority.

vii. Affidavit in the prescribed form on Rs. 100/- stamp paper duly attested by Oath Commissioner or Notary Public, stating the precise location of the land (village, district, state etc), the total area in possession, the permission of the competent authority to use the land for educational purposes and mode of possession i.e. ownership or lease.

(1-A) The application submitted on-line but not followed by dispatch, through registered post or by hand with the documents mentioned at (i) to (vii) above within 7 days shall be considered as incomplete and shall be summarily rejected with the reasons recorded in writing and returned to the applicant alongwith the processing fees within 30 days of the receipt of application.

(1-B) Furnishing any wrong information or concealment of facts in the application, which may have bearing on the decision making process or the decision pertaining to grant of recognition, shall result in withdrawal of recognition of the institution besides other legal action against its management; order of withdrawal of recognition shall be passed after affording reasonable opportunity of hearing through a show cause notice to the institution.

IndiaCode

(2) A written communication alongwith a copy of the application form submitted by the institution(s) shall be sent by the office of Regional Committees to the State Government or Union Territory Administration concerned within 30 days from the receipt of application, in chronological order of the receipt of the original application in the Regional Committee.

(3) On receipt of the communication, the State Government or Union Territory Administration concerned shall furnish its recommendations or comments on the applications to the office of the Regional Committee concerned within 45 days from the date of issue of the letter to the State Government or Union Territory. In case, the State Government or Union Territory Administration is not in favour of recognition, it shall provide detailed reasons or grounds thereof with necessary statistics, which shall be taken into consideration by the Regional Committee concerned while disposing of the application.

(4) If the recommendation of the State Government is not received within a period of 45 days from the date of the issue of letter to the State Government, the Regional Committee concerned shall send a reminder to the State Government providing further time of another 30 days from the date of issue of the reminder letter to furnish their comments on the proposal. Thereafter, on expiry of this period, the matter shall be placed before the Regional Committee alongwith the recommendation of the State Government, if received. Placing the application before the Regional Committee shall not be deferred on account of non-receipt of comments or recommendation of the State Government. After consideration of the recommendation of the State Government or on its own merits, the Regional Committee concerned shall decide that institution shall be inspected by a team of experts called visiting team with a view to assess the level of preparedness of the institution to commence the course. Inspection shall not be subject to the consent of the institution, rather the decision of the Regional Committee to cause the inspection shall be communicated to the institution with the direction that the inspection shall be caused on any day after 10 days from the date of communication by the Regional Office. The Regional Committee shall ensure that inspection is conducted ordinarily within 30 days from the date of this

IndiaCode

communication to the institution. The institution shall be required to provide details about the infrastructure etc. on the duly filled up proforma available on National Council for Teacher Education web-site to the visiting team, at the time of inspection along with building completion certificate issued by the competent civil authority, if not submitted earlier.

The Regional Committee shall organise such inspections strictly in chronological order of the receipt of application for the cases approved by the Regional Committee for Inspection.

The members of the visiting team for inspection shall be decided by the Regional Committee, out of the panel of experts approved by it, and in accordance with the visiting team policy of National Council for Teacher Education.

(5) At the time of the visit of the team of experts to an institution, the institution concerned shall arrange for the inspection to be videographed in a manner that all important infrastructural and instructional facilities are videographed along with interaction with the management and the faculty, if available at the time of such visit. The visiting teams, as far as possible, shall finalise and courier their reports alongwith the video tapes on the same day:-

Provided that the videography should clearly establish the outer view of the building, its surroundings, access road and important infrastructure including classrooms, labs, resource rooms, multipurpose hall, library etc. The visiting team shall ensure that the videography is done in a continuous manner, the final unedited copy of the videography is handed over to them immediately after its recording and its conversion to a CD should be done in the presence of visiting team members:-

Provided further that at the time of inspection for new courses or enhancement of intake of the existing course, the visiting team shall verify the facilities for existing teacher education courses accorded recognition by National Council for Teacher Education and would ascertain the fulfillment

India Code

and maintenance of Regulations and Norms and Standards for the existing courses as well.

(6) The application and the report alongwith the video tapes or CDs etc of the visiting team shall be placed before the Regional Committee concerned for consideration and appropriate decision.

(7) The Regional Committee shall decide grant of recognition or permission to an institution only after satisfying itself that the institution fulfills all the conditions prescribed by the National Council for Teacher Education under the National Council for Teacher Education Act, Rules or Regulations, including, the norms and standards laid down for the relevant teacher education programme or course.

(8) In the matter of grant of recognition, the Regional Committees shall strictly act within the ambit of the National Council for Teacher Education Act, 1993, the National Council for Teacher Education Rules, 1997 as amended from time to time and the Regulations made under the National Council for Teacher Education Act, 1993 including the norms and standards for various teacher education programmes and shall not make any relaxation thereto. The Regional Director, who is the convener of the Regional Committee, while putting up the proposals to the Regional Committee, shall ensure that the correct provisions in the National Council for Teacher Education Act, Rules and Regulations including Norms and Standards for various Teacher Education Programmes are brought to the notice of the Regional Committee to enable the Regional Committee to take appropriate decisions.

(9) The institution concerned shall be informed, through a letter of intent, regarding the decision for grant of recognition or permission subject to appointment of qualified faculty members before the commencement of the academic session. The letter of intent issued under this clause shall not be notified in the Gazette but would be sent to the institution and the affiliating body with the request that the process of appointment of qualified staff as per policy of State Government or University Grants Commission or University may be initiated

IndiaCode

and the institution be provided all assistance to ensure that the staff or faculty is appointed as per National Council for Teacher Education norms within two months. The institution shall submit the list of the faculty, as approved by the affiliating body, to the Regional Committee.

(10) (i) All the applicant institutions shall launch their own website with hyperlink to National Council for Teacher Education and corresponding Regional Office website soon after the receipt of the letter of intent from the Regional Committee, as provided under sub-regulation (9) covering, inter alia, the details of the institution, its location, name of the course applied for with intake, availability of physical infrastructure such as land, building, office, classrooms, and other facilities or amenities, instructional facilities such as laboratory, library etc. and the particulars of their proposed teaching faculty with photograph and non-teaching staff etc. with photographs, permanent account number or unique identity number of the teacher educators, whenever issued by National Council for Teacher Education, for information of all concerned. The information with regard to the following shall also be made available on the website :-

(a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution;

(b) Name of faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph;

(c) Name of faculty members who left or joined during the last quarter;

(d) Names of students admitted during the current session along with qualification, percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.;

(e) Fee charged from students;

(f) Available infrastructural facilities;

(g) Facilities added during the last quarter;

(h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter;

(i) The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires

indiacode

(ii) Any wrong or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition

(11) The institution concerned, after appointing the requisite faculty or staff as per the provisions of sub-regulation (9) and after fulfilling the conditions under sub-regulation (10), shall formally inform the Regional Committee concerned that the faculty has been appointed as per National Council for Teacher Education norms and has been approved by the affiliating body. The letter granting approval for the Selection or appointment of faculty shall also be provided by the institution to the Regional Committee with the document establishing that the Fixed Deposit Receipt of Endowment Fund and Reserve Fund have been converted into a joint account. The Regional Committee concerned shall then issue a formal order of recognition which shall be notified as per provision of the National Council for Teacher Education Act.

(12) In cases, where the Regional Committee, after consideration of the report of the visiting team and other facts on record, is of the opinion that the institution does not fulfill the requirements for starting or conducting the course or for enhancement of intake, such an institution shall not be allowed any further opportunity for removal of deficiencies or inspection and the decision of the Regional Committee thereon shall be final, against which the institution may prefer an appeal under section 18 of the National Council for Teacher Education Act.

(13) The reports of inspection of the institutions along with the names of the visiting team experts shall be made available on the Official website of the Regional Committee concerned after the same have been considered by the Regional Committee.

8. **Conditions for grant of recognition.-**

(1) An institution must fulfill all the prescribed conditions pertaining to norms and standards as prescribed by the National Council for Teacher Education for conducting the course or training in teacher education. These

1100

norms, inter alia, cover conditions relating to financial resources, accommodation, library, laboratory, other physical infrastructure, qualified staff including teaching and non-teaching personnel, etc.

(2) In the first instance, an institution shall be considered for grant of recognition of only one course for the basic unit as prescribed in the norms and standards for the particular teacher education programme.

(3) An institution can apply for one basic unit only of an additional course or for an additional unit of the existing recognised course after completion of three academic sessions of the respective course, for which the institution shall submit application before the cut off date prescribed for submission of applications in the year succeeding the completion of three academic sessions. Maximum intake capacity of an institution taking into consideration of all courses, alongwith additional intake, in any case, shall not exceed 300.

(4) An institution shall be permitted to apply for new course of Master of Education and Master of Physical Education and enhancement of intake in – Bachelor of Education, Bachelor of Physical Education, Master of Education and Master of Physical Education Programme, after it has been accredited by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) with at least a letter Grade B developed by NAAC.

(5) An institution that has been granted additional intake in Bachelor of Education and Bachelor of Physical Education teacher training courses after promulgation of the Regulations, 2005 i.e. the 13th day of January 2006 shall have to get itself accredited by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), with a Letter Grade B under the new grading system developed by NAAC, on or before the 1st day of April, 2010 failing which the additional intake granted shall stand withdrawn with effect from the academic session 2010-2011. Similarly, all institutions having a Master of Education and Master of Physical Education courses shall have to get NAAC Accreditation with at least a Letter Grade B on or before the 1st day of April, 2012, failing which Master of Education or Master of Physical Education recognition

IndiaCode

1101

granted to the institutions shall stand withdrawn with effect from the academic session 2012-2013.

(6) All the applications for Master of Education or Master of Physical Education courses and additional intake in Master of Education or Master of Physical Education received on or before the date of coming into force of these Regulations, shall be considered as per the provisions of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2007 dated 10th December, 2007. However, the provisions of sub-regulation (5) shall also be applicable to them.

(7) (i) No institution shall be granted recognition under these Regulations unless the institution or society sponsoring the institution is in possession of required land on the date of application. The land free from all encumbrances could be either on ownership basis or on lease from Government or Government institutions for a period of not less than 30 years. In cases where under relevant State or Union Territory laws the maximum permissible lease period is less than 30 years, the State Government or Union Territory Administration law shall prevail. However, no building shall be taken on lease for running any teacher training course.

(ii) The society sponsoring the institution shall have to ensure that proposed teacher education institution has a well demarcated land area as specified by the norms. The teacher education institution shall not be allowed to have any other institution within its demarcated area or building and shall not have any other course(s) in its building.

(iii) The physical education institution shall similarly be required to have a separate demarcated area or building and shall not house any other course including other teacher education courses.

1102

(iv) The society sponsoring the institution shall be required to transfer and vest the title of the land and building in the name of the institution within a period of six months from the date of issue of formal recognition order under sub-regulation (11) of Regulation 7. However, in case, the society fails to do so due to local laws or rules or bye-laws, it shall intimate in writing with documentary evidence, of its inability to do so. The Regional Office shall keep this information on record and place it before the Regional Committee for its approval.

(8) The institution or society shall furnish an affidavit on Rs. 100 stamp paper duly attested by Oath Commissioner or Notary Public stating the precise location of the land (khasra number, village, district, state, etc.), the total area in possession and the permission of the competent authority to use the land for educational purposes and mode of possession i.e. ownership or lease. In case of Government institutions, the said affidavit shall be furnished by the Principal or the Head of the Institution or any other higher authority. The affidavit shall be accompanied with the certified copy of land ownership or lease documents issued by the registering authority or civil authority, permission of the competent authority to use the land for educational purposes and approved building plan as per provision contained in Regulation 7 clause (vi) of sub-regulation (1) of these Regulations.

(9) The copy of the affidavit shall be displayed by the institution on its Official website. In case, the contents of the affidavit are found to be incorrect or false, the society or trust or the institution concerned shall be liable for civil and criminal action under the relevant provisions of the Indian Penal Code and other relevant laws, and shall also be liable for withdrawal of recognition by the Regional Committee concerned.

(10) At the time of inspection, the building of the institution shall be complete in the form of a permanent structure on the land possessed by the institution in terms of sub-regulation (7) of Regulation 8, equipped with all

Indiacode

necessary amenities and fulfilling all such requirements as prescribed in the norms and standards. The applicant institution shall produce the original completion certificate issued by the competent Government Authority or local body authority, approved building plan in proof of the completion of building and built up area and other documents to the visiting team for verification. No temporary structure or asbestos roofing shall be allowed in the institution, even if it is in addition to the prescribed built up area.

Further, at the time of inspection for new course or enhancement of intake, visiting team shall also verify the facilities for existing teacher education courses already accorded recognition by National Council for Teacher Education and would ascertain the fulfillment and maintenance of Regulations and Norms and Standards for the existing courses as well.

(11) In case of change of premises, prior approval of the Regional Committee concerned shall be necessary, which could be accorded after due inspection of the institution at the new site. Application for change of premises, in triplicate, in the specified format along with other relevant documents shall be submitted by the Institution to the Regional Office for prior approval of change of premises. The change can be permitted to a site which, if applied initially, could have qualified for establishment of an institution as per specified norms of National Council for Teacher Education. The change shall be displayed on website thereafter. The application for change of premises shall be accompanied by a demand draft of Rs. 40,000 (or as revised from time to time) of a Nationalised Bank drawn in favour of the Member Secretary, National Council for Teacher Education and payable at the city where the Regional Committee is located. The fee may also be paid online at the bank designated by National Council for Teacher Education.

(12) The University or Examining body shall grant affiliation only after issue of the formal recognition order under sub-regulation (11) of Regulation 7 of these Regulations. Further, admissions by the institution shall be made only after affiliation by the University or Affiliating body and as per the State policy.

1106

(13) Whenever there are changes in the norms and standards for a course or training programme in teacher education, the institution shall comply with the requirements laid down in the revised norms and standards immediately but not later than one year from the date of effect of the revised norms. However, the revised land area related norms shall not be applicable to the existing institutions if the same is not possible. But the required built up area shall have to be increased by them to conform to the revised norms. However, such institutions not having land area as per the revised norms, shall not be allowed to expand by way of additional courses or additional intake.

(14) The institution shall make the information or documents available to the National Council for Teacher Education or its authorised representatives as and when required by them. Failure to produce or show any of the required documents, shall be treated as a breach of the conditions of recognition.

(15) The institution shall maintain records or registers and other documents etc., which are essential for running of an educational institution especially those prescribed in the relevant norms and standards and guidelines or instructions or rules etc. of the Central or State or Union Territory Governments, affiliating or examining bodies.

(16) The institution shall adhere to the mandatory disclosure in the prescribed format and display up-to-date information on its Official website.

9. The Norms and Standards for various teacher education courses, as specified in Appendices 1 to 13, as indicated hereinafter, shall have to be complied with by an institution offering the said courses as following, namely:-

(i)	Norms and Standards for Diploma in early childhood education programme leading to Diploma in Early Childhood Education (D.E.C.Ed.)	Appendix – 1
(ii)	Norms and Standards for elementary teacher education programme leading to Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.).	Appendix – 2

1105

(iii)	Norms and Standards for Bachelor of Elementary Teacher education programme leading to Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) degree.	Appendix – 3
(iv)	Norms and Standards for Bachelor of education programme leading to Bachelor of Education (B.Ed.) degree.	Appendix - 4
(v)	Norms and Standards for Master of education programme leading to Master of Education (M.Ed.) degree.	Appendix - 5
(vi)	Norms and Standards for Diploma in Physical education programme leading to Diploma in Physical Education (D.P.Ed.)	Appendix - 6
(vii)	Norms and Standards for Bachelor of Physical education programme leading to Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) degree	Appendix - 7
(viii)	Norms and Standards for Masters of Physical education programme leading to Master of Physical Education (M.P.Ed.) degree	Appendix - 8
(ix)	Norms and Standards for Diploma in elementary education programme through Open and Distance Learning System leading to Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.)	Appendix - 9
(x)	Norms and Standards for Bachelor of teacher education programme through Open and Distance Learning System leading to Bachelor of Education (B.Ed.) degree.	Appendix – 10
(xi)	Norms and Standards for Master of education programme through Open and Distance Learning System leading to Master of Education (M.Ed.) degree.	Appendix - 11
(xii)	Norms and Standards for Diploma in arts education (Visual Arts) programme leading to Diploma in Arts Education (Visual Arts)	Appendix – 12
(xiii)	Norms and Standards for Diploma in arts education (Performing Arts) programme leading to Diploma in Arts Education (Performing Arts)	Appendix - 13

indiacode

1106

10. **Financial Management.-**

(1) In the case of self financed institutions including Government or Government aided institutions running a course on self-financing basis, there shall be an endowment fund of Rs. 5.00 lakh per course per unit and a reserve fund of Rs. 3.00 lakh per course per unit of approved intake, in the form of a Fixed Deposit of a duration of one year in a Scheduled bank, which shall be converted into a Fixed Deposit Receipt in the joint name of an authorised representative of the management and the Regional Director concerned, in case the letter of intent under sub-clause 9 of Regulation 7 is issued to the institution and the same shall be maintained perpetually by way of renewal of fixed deposit thereafter at the intervals of every five years.

(2) The academic and other staff of the institution shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government or Board or affiliating body by account payee cheque or as per advice into the bank account of employee specially opened for the purpose. The institution shall maintain complete record of payment of salary to the employees, Employees Provident Fund, details of which may be given in the Self Appraisal Report and which may be verified at any time by National Council for Teacher Education or State Government or affiliating Body.

(3) Following statements of Accounts, duly certified by a Chartered Accountant, shall be maintained and displayed on its Official website by every institution every financial year by the 30th day of September of the year:-

1. Balance Sheet as on the last date of the financial year.
2. Income and Expenditure Account for the financial year.
3. Receipt and Payment Account for the financial year.

11. **Academic Calendar.-**

(i) It shall be incumbent upon the affiliating body to regulate the process of admission in teacher education institutions by prescribing the schedule or academic calendar in respect of each of the courses listed in Appendix 1 to 13

of these Regulations by providing the following details, at least three months in advance of the commencement of each academic session and to give due publicity:-

(a) date for the publication of Notice inviting applications for admissions;

(b) last date of receipt of applications for admissions for each course;

(c) date of selection test or interview;

(d) date of publication of 1st, 2nd and 3rd list of candidates and last date of close of admissions.

(ii) The entire process shall be completed within a period of sixty days from the date of publication of the admission notice. The affiliating body shall strictly adhere to the schedule or academic calendar notified by it. After closure of the admission, each teacher training institution shall submit the list of students admitted in each course within two days from the last date of closure of admission to the respective affiliating or examining bodies and shall be made available on the web-site of the institution.

12. **Power to relax.-**

On the recommendations of State Government or Union Territory Administration concerned, or in cases for removal of any hardship caused in adhering to the provisions in these Regulations, keeping in view the circumstances peculiar to the said State or Union Territory it shall be open to the Chairperson, National Council for Teacher Education, for reasons to be recorded in writing, to relax any of the provisions of these Regulations, in respect of any class or category of institutions, in the concerned state or Union Territory, to such an extent and subject to such conditions, as may be specified in the order allowing relaxation. However, in exceptional cases and for reasons to be recorded in writing, the Chairperson, National Council for Teacher Education shall be competent to relax provisions of these Regulations and the related Norms and Standards subject to its ratification by the Council.

1108

13. **Repeal of Regulations.-**

(1) The National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations 2007 notified vide Notification No. F.51-1/2007/NCTE/ dated 27th November, 2007, published in the Gazette of India Extraordinary Part III – Section 4 as No. 231 on the 10th day of December, 2007 is hereby repealed.

(2) The National Council for Teacher Education (the criteria for relaxation in qualifications required for appointment to teaching posts in degree level teacher training courses) Regulations, 2005 notified vide Notification No. F.49-29/2005/NCTE(N&S) dated 28th December, 2005, published in the Gazette of India Extraordinary Part III – Section 4 as No. 12 on the 25th day of January, 2006 is hereby repealed.

(3) The repeal of the aforesaid Regulations shall not affect previous operation of any Regulations so repealed or anything duly done thereunder.

IndiaCode

HASIB AHMAD, Member Secy.

[ADVT III/4/131/09-Exty.]

1109

APPENDIX – 1

Norms and standards for Diploma in early childhood education programme leading to Diploma in Early Childhood Education (D.E.C.Ed)

1 Preamble

(1) Early childhood Education ECE including Class 1 and 2 of the Primary Education is of crucial importance especially from the point of view of the development of child's language, intelligence and personality. It also provides a strong support to the child's elementary education during later years. ECE aims at total child development in a learning environment that is joyful, child-centered, play and activity based. It must be ensured at this stage that the 3 R's are not forced upon the children and that there are no textbooks, tests, interviews, homework, competitive sports and such other routine school-like activities.

(2) **Applicability**

The norms and standards that follow apply to institutions offering teacher education programmes exclusively for pre-primary or pre-school or nursery (as it is generally defined) levels.

2 Duration and Working Days

(1) **Duration**

The Pre-school/Nursery teacher-education programme shall be of duration of two academic years.

(2) **Working Days**

(a) There shall be at least two hundred working days each year, exclusive of period of examination and admission etc, out of which, at least forty days shall be internship in pre-schools.

(b) The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week for five or six days, during which

Indiacode

physical presence in the institution of teachers and student-teachers is necessary to ensure their availability for individual advice, guidance, dialogues and consultation as and when needed. The institution shall not run in shifts (morning or afternoon)

3 Intake, Eligibility and Admission Procedure

(1) Intake

(i) There shall be a basic unit of fifty students, for each year.

(2) Eligibility

(i) Candidates with at least fifty percent marks in the senior secondary (+2) or its equivalent examination are eligible for admission.

(ii) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government whichever is applicable. There shall be relaxation of five percent marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

(3) Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government /UT Administration.

(4) Fees

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body / State Govt concerned in accordance with provisions of NCTE (Guidelines for Regulations of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, as amended from time to time and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

4 Staff

(I) Academic

(a) **Number**
(For a basic unit of fifty students i.e. one hundred students in two years)

Principal - One
Lecturers - Five

(b) For additional intake of fifty students, the additional staff shall comprise of five lecturers, one Assistant Librarian and one Office Assistant.

(II) Qualifications

(i) Principal:-

(a) Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of lecturer as given below; and
(b) Five years' experience of teaching in Early Childhood teacher education institution.

(ii) Lecturer in ECE = Three Posts

A <u>Essential</u>

Post graduation in Child Development or Home Science with specialization in Child Development with at least fifty five percent marks.

OR

(i) Post-graduation in Education or in any School subject with at least fifty five percent marks.

And

(ii) Diploma/Degree in Early Childhood/ Nursery /Elementary Education, with at least fifty five percent marks

IndiaCode

1112

Desirable

Proficiency in the use of ICT for educational purposes.

(iii) Lecturer in Art (Fine Arts & Performing Arts) - One

Essential

Post graduation in Fine Arts or Music/dance or its equivalent qualification from a recognized institution with fifty five percent marks.

Desirable

Degree/Diploma in ECE/ Education

Health & Physical Education Instructor - One

Essential

Bachelors Degree in Physical Education (B.P.Ed) with fifty five percent marks.

Desirable

Degree/Diploma in ECE/ Education

Note : At least one lecturer should possess formal qualification in computer application.

(III) Technical Support Staff

(a) Number

Librarian - One (Full time)

(b) Qualifications

Bachelor degree in Library Science with fifty percent marks

IndiaCode

(IV) Administrative staff

(a) Number

(i) UDC/Office Superintendent - One (Regular)
(ii) Computer Operator-cum Store keeper - One (Regular)
(iii) Helpers - Two (Regular)

(b) Qualifications

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

(V) Terms and conditions of service

a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Board whichever is applicable.

b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.

c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government.

d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government for equivalent posts in the state education system by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

indiacode

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government whichever is applicable.

5 Facilities

(1) Infrastructure

(a) The institutions shall possess 1500 sq. mtrs (one thousand five hundred square meters) of exclusive well demarcated land for the initial intake of fifty students out of which 1000 sq mts (one thousand square meters) shall be the built up area and the remaining space for lawns, playfields etc. For an additional intake of fifty students or part there of, it shall possess additional land of 500 sqm. (five hundred square meters). For the institutions established prior to this Regulation, for an additional intake of fifty, the built up area is to be increased by 500 sqm (five hundred square meters) and requirement of additional land may not apply to them. Total intake capacity of an institution taking into account all the teacher education courses together must not exceed three hundred.

(b) Built up Area for running other courses in combination with D.E.C.Ed programme shall be as under:-

	Built Up Area (in sqm)	**Land Area (in Sqm)**
D.E.C.Ed.	1000 Sq mts.	1500
D.E.C.Ed plus D.El.Ed	2500 sq. mts	3000
D.E.C.Ed plus B.Ed	2500 sq. mts	3000
D.E.C.Ed plus B.Ed plus M.Ed	3000 sq. mts	3500
D.El.Ed plus D.E.C.Ed Plus B.Ed plus M.Ed	4000 sq. mts	4000

Additional intake of one unit of D.E.C.Ed will require additional built up area of 500 sqm (five hundred square meters) each.

1115

(c) The institution must have the following infrastructure:

(i) Two classrooms of minimum of 500 sq.ft (five hundred square feet) each
(ii) Multipurpose Hall with seating capacity of two hundred and a dias with total area of 2000 sq. ft. (two thousand square feet).
(iii) Library –cum-Reading Room
(iv) Resource Centre for ET/ICT
(v) Psychology Resource Centre.
(vi) Arts and Work Experience/Resource Centre (S)
(vii) Educational Toys Room
(viii) Health and Physical Education Room
(ix) Principal's office
(x) Staff Room
(xi) Administrative Office
(xii) Girl's Common Room
(xiii) Canteen
(xiv) Store Rooms (Two)
(xv) Separate Toilet facility for Boys and Girls
(xvi) Visitors rooms
(xvii) Parking space
(xviii) Open Space for lawns, gardening activities, etc.
(xix) Store Room and Multipurpose playfield

The size of instructional space shall not be less than 10 sq.ft. (ten square feet) per student. Each classroom should be of such size as to comfortably accommodate fifty student-teachers.

(d) Reasonable outdoor space and also facilities for indoor games shall be provided for physical education, sports and athletics. There shall be games facilities with playground.

(e) Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

(f) The institutional campus, building, furniture etc. should be barrier free.

(g) Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

IndiaCode

(h) The institutional campus, building furniture etc should be disabled friendly.

(2) Instructional

(a) The institution shall have access to a cluster of nearby pre-school/ECE centers for field work and practice teaching related activities of student teachers. It is desirable that the institution has its own attached Nursery school. The institution shall furnish undertaking from the schools willing to provide facilities for Practice Teaching.

(b) The institution shall establish Learning Resource Centres as given in 5(1)(c) wherein teachers and students have access to a variety of materials and resources to support and enhance the teaching-learning process. These should include:

(i) Books, journals and magazines,
(ii) Children's books,
(iii) Audio-visual equipment – TV, DVD Player, OHP
(iv) Audio-visual aids, video – audio tapes, slides, films,
(v) Teaching aids – charts, pictures, models,
(vi) Developmental assessments check lists and measurement tools,
(vii) Photocopying machine,
(viii) Ten PCs along with UPS and Printer with internet connectivity,

NOTE : While developing the resource centres, the institutions are advised to consult the 'Manual for Teacher Education Institutions' brought out by NCTE.

(c) Equipment and materials for different activities

(i) Teaching-Learning materials and Aids

The equipment and materials should be suitable and sufficient in quality and quantity for the

IndiaCode

variety of activities planned in the programme. These include the following :

Educational kits, models, play materials, simple books on different topics (songs, games, activities, work pages), puppets, picture books, photographs, blow-ups, charts, maps, flash cards, handbooks, pictures, pictorial representations of developmental characteristics of children.

(ii) Equipment, Tools, Raw material for aids, Play material and arts and crafts activities.

One set of wood working tools, one set of gardener's tools, raw materials and equipment required for toy making, doll making, tailoring, dress designing, puppetry, material for preparation of charts, models and other practical activities to be done by the student teacher – art material, waste material, stationery (chart paper, mount board etc.), tools like scissors, scales etc., cloth.

(iii) Audio Visual Equipment

As mentioned in 5.0(2)(b), Hardware for projection and duplication and educational software facilities including TV, VCR, Audio Cassette Recorder, slide projector, blank audio video cassettes, video-audio tapes, slides, films, charts, pictures. ROT (Received Only Terminal) and SIT (Satellite Interlinking Terminal) would be desirable.

(iv) Musical Instruments

Simple musical instruments such as Harmonium, Tabla, Flute, Manjira and other indigenous instruments.

1118

(v) Books, Journals and Magazines

A minimum of one thousand books including the books published and recommended by NCTE on relevant subjects should be available during the first year of establishment of the institution and one hundred standard books be added every year. The collection of books should include children's encyclopedias, dictionaries, reference books, books on professional education, teachers' handbooks, books on and for children (including comics, stories, picture books/albums, poems). The institution should subscribe to the journals published by NCTE and at least three other journals in the field of education.

(vi) Games and Sports

Adequate games and sports equipment for common indoor and outdoor games should be available.

(3) Amenities

(i) Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

(ii) The institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

(iii) Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

(iv) Arrangement may be made for parking of vehicles.

(v) Safe drinking water be provided in the institution.

(vi) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipments.

(vii) The institution's campus, building, facilities etc should be disabled friendly

IndiaCode

6 Curriculum Transaction

Curricular transaction should emphasize approaches and methods like role playing, games, quiz, material preparation, project work, bal mela etc., by which prospective teachers can be trained to create joyful environment so that children of the Pre-School age may feel attracted towards school education.

7 Sharing of facilities and total intake

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same campus, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space, can be shared. There shall be one Principal for the entire institution and Heads for different Teacher Education Programmes, offered in the institution. Maximum intake capacity taking all the courses together must not exceed three hundred students.

8 Managing Committee

The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules of the concerned State Government, if any. In the absence of any such rule, the sponsoring society shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise representatives of the Managing Society/Trust, Educationists, Early Childhood Education Experts and Staff Representatives.

IndiaCode

1120

APPENDIX – 2

Norms and standards for diploma in elementary teacher education programme leading to Diploma in elementary education (D.El.Ed)

1 Preamble

(1) The aim of elementary education is to fulfill the basic learning needs of all children in an inclusive school environment bridging social and gender gaps with the active participation of the community The programme aims at preparing teachers for elementary stage of education that is Classes I to VII/VIII.

(2) The elementary teacher education programme carries different nomenclatures like BTC, Diploma in Education, TTC and so on. Both the duration of training and entry qualifications of the course are same, hence, nomenclature of the course shall be same (D.El.Ed) across all states.

2 Duration and working days

(1) Duration

The elementary teacher education programme shall be of duration of two academic years.

(2) Working Days

a) There shall be at least two hundred working days each year exclusive of the period of examination and admission, out of which at least forty days shall be for practice teaching/skill development in nearby primary schools.

(b) The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days), during which physical presence in the institution of all the teachers and student teachers is necessary to ensure their availability for individual advice, guidance, dialogues and consultation as and when needed.

3 Intake, Eligibility and Admission Procedure

IndiaCode.nic.in

1121

(1) Intake

There shall be a basic unit of fifty students, for each year. However, the District Institute of Education & Training (DIETs)/ District Resource Centres (DRCs) sanctioned under the Centrally Sponsored Scheme on Teaching Education could be sanctioned a maximum intake of two hundred subject to fulfillment of other requirements.

(2) Eligibility

(a) Candidates with at least 50% marks in the senior secondary (+2) or its equivalent examination are eligible for admission.

(b) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

(3) Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government /UT Administration.

(4) Fees

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body / state government concerned in accordance with provisions of NCTE (Guidelines for Regulations of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, as amended from time to time and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

4 Staff

(I) Academic

1122

(i) **Number** (For a basic unit of fifty students or less with combined strength of one hundred or less for the two year course)

Principal	-	One
Lecturers	-	Six

(ii) For additional intake of fifty students, the additional staff shall comprise five full time lecturers, one Library Assistant and one Office Assistant. However on each occasion additional intake of one basic unit shall be considered and the total number of students combined for all teacher education courses shall not exceed three hundred.

(iii) Appointment of teachers shall be such as to ensure the availability of expertise for all methodology courses and foundation courses.

(II) Qualifications

(i) Principal

(a) Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of lecturer; and

(b) Five years' experience of teaching in primary or elementary teacher education institution.

(ii) Lecturer

(a) Foundation Courses — One

A Essential

M.Ed. /M.Ed (Elementary) with fifty five percent marks

OR

M.Ed./M.Ed.(Elementary) with fifty five percent marks

OR

IndiaCode

1123

M.A. in Education with fifty five percent marks and

Diploma/Degree in primary / Elementary Education with 55% marks

B Desirable

Proficiency in the use of ICT for educational purpose

(b) Methodology Courses Three

A Essential

Master's degree in any school teaching subject with Fifty five percent marks and Diploma/Degree in Education/Primary Education with fifty five percent marks.

B Desirable

(i) Diploma/Degree in Elementary Education shall be preferred.

(ii) Proficiency in the use of ICT for educational purpose

(c) Lecturer in Fine Arts/ Performing Arts One

A Essential

Post graduation in Fine Arts/ Music/Dance with fifty five percent marks.

B Desirable

Degree/Diploma in Education

(d) Health & Physical Education Instructor- One

indiacode.nic.in

1121

Essential

Masters degree in Physical Education (M.P.Ed) with fifty five percent marks.

Desirable

Degree in ECE/Education

At least one lecturer should possess formal qualification in computer science / Applications besides the prescribed academic and professional qualifications.

(e) Librarian - One (Full time)

Bachelor degree in Library and Information Science with fifty five percentage marks.

(III) Administrative staff

(a) Number

(i)	UDC/Office Superintendent -	One (Regular)
(ii)	Computer Operator-cum Store keeper -	One (Regular)

(b) Qualifications

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

(IV) Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Board whichever is applicable.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.

IndiaCode

(c) Appointment of staff shall be made as per norms of the concerned Government.

(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government for equivalent posts in the state education system by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee, specially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

5 Facilities

(1) Infrastructure

(a) The institution shall possess 2500 sq mts (two thousand five hundred square meters) of exclusive well demarcated land for the initial intake of fifty students out of which 1500 sq mts (one thousand five hundred square meters) shall be the built up area and the remaining space for lawns, playfields etc. For an additional intake of fifty students or part thereof it shall possess additional land of 500 sqm. (five hundred square meters) For an annual intake beyond two hundred and upto three hundred, it shall possess land of 3000 sqm. (three thousand square meters). For the institutions established prior to this Regulation, for an additional intake of fifty, the built up area is to be increased by 500 sqm (five hundred square meters) and requirement of additional land may not apply to them. Total intake capacity of an institution taking into account all the teacher education courses together must not exceed three hundred. However, Physical

IndiaCode

teacher education courses are to be offered in a separate campus.

(b) Built up Area for running other courses in combination with D.El.Ed programme shall be as under:-

	Built Up Area (in sqm)	Land Area (in Sqm)
D.El.Ed	1500 Sq.mts.	2500
D.El.Ed plus B.Ed	3000 sq. mts	3000
D.E.C.Ed plus D.El.Ed	2500 sq. mts	3000
D.El.Ed plus B.Ed plus M.Ed	3500 sq. mts	3500
D.El.Ed plus D.E.C.Ed Plus B.Ed plus M.Ed	4000 sq. mts	4000

Additional intake of one unit of D.El.Ed will require additional built up area of 500 sqm. (five hundred square meters).

(c) The institution must have the following infrastructure:

(i) Two classrooms.
(ii) Multipurpose Hall with seating capacity of two hundred with a dias with total area of 2000 sq. ft (two thousand square feet).
(iii) Library –cum-Reading Room
(iv) Resource Centre for ET/ICT
(v) Psychology Resource Centre.
(vi) Arts and Craft Resource centre
(vii) Health and Physical Education Resource Centre
(viii) Science and Mathematics Resource Centre
(ix) Principal's Office
(x) Staff Room
(xi) Administrative Office
(xii) Store Rooms (Two)
(xiii) Girls Common Room
(xiv) Canteen
(xv) Visitors Room
(xvi) Separate Toilet Facility for Boys and Girls
(xvii) Parking Space
(xviii) Open space for lawns, gardening activities, etc.
(xix) Store Room
(xx) Multi purpose playfield

1127

(d) There shall be games facilities with a playground. Alternatively, the playground available with the attached school or local body may be utilized exclusively for fixed periods. Where there is scarcity of space as in metropolitan towns/hilly regions, facilities for small court games, yoga and indoor games may be provided.

(e) Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

(f) The institutional campus, building, furniture etc. should be barrier free.

(g) Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

(h) The institutional campus, building furniture etc should be disabled friendly.

(2) Instructional

(a) The institution shall have easy access to sufficient number of recognized elementary schools for field work and practice teaching related activities of student teachers. It is desirable that it has an attached primary school of its own. The institution shall furnish undertaking from the schools willing to provide facilities for practice teaching.

(b) The institution shall establish Learning Resource Centres as given in 5.0(1)(b) wherein teachers and students have access to a variety of materials and resources to support and enhance the teaching-learning process. These should include:

(i) Books, journals and magazines,
(ii) Children's books,
(iii) Audio-visual equipment – TV, OHP, DVD Player,
(iv) Audio-visual aids, video – audio tapes, slides, films,
(v) Teaching aids – charts, pictures,

IndiaCode

1128

(vi) Developmental assessments check lists and measurement tools,

(vii) Photocopying machine.

NOTE : While developing the resource centres, the institutions are advised to consult the 'Manual for Teacher Education Institutions' brought out by NCTE.

(c) Equipment and Materials for different Activities

(i) Teaching-Learning Material and Aids

The equipment and materials should be suitable and sufficient in quality and quantity for the variety of activities planned in the programme. These include the following :

Educational kits, models, play materials, simple books on different topics (songs, games, activities, and worksheet), puppets, picture books, photographs, blow-ups, charts, maps, flash cards, handbooks, pictures, pictorial representations of developmental characteristics of children.

(d) Equipment, Tools, Raw Material for Teaching aids, Play Material and Arts and Crafts Activities.

One set of wood working tools, one set of gardener's tools, raw materials and equipment required for toy making, doll making, tailoring, dress designing, puppetry, material for preparation of charts, models and other practical activities to be done by the student teacher – art material, waste material, stationery (chart paper, mount board etc.), tools like scissors, scales etc., cloth.

(e) Audio Visual Equipment

As mentioned in 5.0(1)(f), Hardware for projection and duplication and educational software facilities including TV, DVD Player, slide projector, blank audio video

Legal Code

1129

cassettes, video-audio tapes, slides, films, charts, pictures. ROT (Receive Only Terminal) and SIT (Satellite Interlinking Terminal) would be desirable.

(f) Musical Instruments

Simple musical instruments such as Harmonium, Tabla, Flute, Manjira and other indigenous instruments.

(g) Books, Journals and Magazines

A minimum of one thousand books on relevant subjects should be available during the first year of establishment of the institution and one hundred standard books be added every year. The collection of books should include children's encyclopedias, dictionaries, reference books, books on professional education, teachers' handbooks, books on and for children (including comics, stories, picture books/albums, and poems) and the books published and recommended by NCTE. The institution should subscribe to the journals published by NCTE at least three other journals in the field of Education.

(h) Games and Sports

Adequate games and sports equipment for common indoor and outdoor games should be available.

(3) Amenities

(i) Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

(ii) The institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

(iii) Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

(iv) Arrangement may be made for parking of vehicles.

1130

(v) Safe drinking water be provided in the institution.

(vi) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipment.

(vii) The institution's campus, building, facility etc should be disabled friendly.

6 Curriculum Transaction

Apart from teaching of foundation subjects, there shall be provision for teaching of methods subjects relating to primary and upper primary curriculum, namely Regional Language/Mother Tongue, English, Mathematics, Science and Social Studies and environmental education etc.

7 (a) General

If more than one courses in teacher education are run by the same institution in the same campus, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space can be shared. The institution shall have one Principal for the entire institution and Heads for different teacher education programmes offered in the institution.

(b) Managing Committee

The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules, if any of the concerned State Government. In the absence of any such rule, the sponsoring society shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise representatives of the Managing Society/Trust, Educationists, Primary/Elementary Education Experts and Staff Representatives.

IndiaCode

Appendix- 3

Norms and standards for Bachelor of elementary teacher education programme leading to Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) degree

1 Preface

(1) The National Council for Teacher Education has now been vested with statutory authority to take all such steps as it may think fit for ensuring planned and coordinated development of teacher education and for the determination and maintenance of standards of teacher education including preparation for pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages of school education. The formulation of norms and standards for teacher education institutions preparing teachers and teacher educators for different levels of school education is essential for a variety of reasons. Norms will help existing institutions offering teacher education programmes, to compare the provisions in their institutions with norms of the NCTE and take necessary action to correct deficiencies, if any. Norms will also help in proper planning of new institutions, programmes and courses of teacher education.

(2) **Here, the norms and standards specify the 'Conditions' required for recognition, permission, and additional intake of seats.**

This document specifies norms and standards approved by the NCTE for Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) Programme by the institutions offering four- year full-time integrated face to face instruction.

It is expected that this document will be used by planners and administrators of teacher education, and by government, autonomous and private managements of teacher education in planning, organizing and recognizing programmes of Bachelor of Elementary Teacher Education (B.El.Ed.) Programme. The NCTE will be using these norms for professional recognition of institutions organising Bachelor of Elementary Teacher Education (B.El.Ed.) Programmes. These norms will also be used for advising

1132

government, autonomous and private managements for taking suitable action for improving existing programmes and institutions.

2 **Duration of the Course**

(a) The integrated Elementary Teacher Education Degree Programme, henceforth, called the Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.), shall be of a minimum duration of four academic years, including an Internship of a minimum of 16 working weeks in the fourth/final year of study.

(b) Candidates admitted in this Programme shall complete the final year examination within 6 years from the year of admission.

3 **Admission Criteria**

(a) Candidates seeking admission to the four-year degree programme in Elementary Teacher Education shall have to qualify in the prescribed Centralised Entrance Test (CET), especially designed to assess the candidate's potential.

The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government whichever is applicable. There shall be relaxation of five percent marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

(b) Qualification for admission

(i) The minimum qualification for admission to the B.El.Ed. shall be a pass in the 10+2 Senior Secondary Examination or any other examination recognised as equivalent thereto with a minimum aggregate of fifty percent marks.

(ii) Candidate seeking admission to this programme must have completed the age of seventeen years on or before the commencement of admission as per University Calendar.

Indian Code

4 Intake and Migration

(a) The intake of candidates in one unit shall not exceed thirty five in a class.

(b) The institutions may permit migration of students from one institution to another only once at the end of 1st year subject to the number of students not exceeding the permitted maximum intake with prior permission of the NCTE.

5 Course and Periods of Study

The institutions seeking recognition shall impart instructions in courses of Elementary Teacher Education. As an integral part of the teaching programme, each institution shall arrange for field tours and visits to centres of innovative activity in elementary school education. The institutions imparting instructions shall follow the Scheme of courses given below:

(a) Scheme of Courses for the Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

The B.El.Ed. programme should be designed to integrate the study of subject knowledge, human development, pedagogy and communication skills. The programme should offer both compulsory and optional theory courses; compulsory practicum courses and a compulsory comprehensive school internship experience. Theory and Practicum courses should essentially cover the following:

Theory Courses

- Foundation Courses
- Core Courses
- Pedagogy Courses
- Liberal Courses
- Other options in Education

IndiaCode

Practicum

- Performing and Fine Arts, Crafts and Physical Education
- Participatory Work
- Observing Children
- Self Development Workshop
- School Contact Programme
- School Internship
- Project Work
- Tutorials and Colloquia
- Academic Enrichment Activities

(b) The theory and practicum courses may be classified in terms of knowledge areas as suggested in Table 1a and 1b.

Table 1(a) : Foundational Basis for Professional Education

Area of Study	B.El.Ed. Course
Subject Knowledge Base	**Core Courses :** C1.1 Nature of Language C1.2 Core Mathematics C1.3 Core Natural Science C1.4 Core Social Science **Two-level liberal discipline specific optional courses :** O2.X and O3.X in any one chosen discipline. **Foundation Course (multi-disciplinary) :** F1.2 Contemporary India.
Education	**Foundation Courses :** F3.6 Basic Concepts in Education F3.7 School Planning and Management F4.8 Curriculum Studies F4.9 Gender and Schooling

IndiaCode

Child Study	**Foundation Courses :** F1.1 Child Development F2.3 Cognition and Learning F2.4 Language Acquisition

Table 1 (b) : Applied Courses in Professional Training

Area of Study	B.El.Ed. Courses
Child Study	**Practicum courses :** PR1.2 (a) School Contact Programme (b) Craft **PR2.3 Observing Children** P2.1 Language Across the Curriculum P3.2 Logico-Mathematics Education P 3.3 Pedagogy of Environmental Studies **One of the Optional PedagogyCourses :** OP4.1 Language OP4.2 Mathematics OP4.3 Natural Sciences OP4.4 Social Sciences **OR** **One of the Optional Liberal Courses Related to Education :** OL4.1 Computer Education OL4.2 Special Education **School Contact Programme :** SC 3.1 Classroom Management SC 3.2 Material Development and Evaluation
Development of Teachers and Skill Training	**Foundation Course :** F2.5 Human Relations and Communication **Practicum Courses :** PR1.1 Theatre PR1.2 Craft

	PR2.4 Self-development PR2.5 Physical Education Colloquia / Tutorials Academic Enrichment Field- based projects / assignments
School Experience	SI School Internship Project

Note: Suggestive/illustrative details are given in Annexure A.

(c) Student Contact Hours

The minimum student contact hours year-wise may be as indicated in Table 2.

Table 2 : Year Wise Minimum Student Contact Hours Year of Study	Student Contact Hours per day	Student Contact Hours per week	Total No. of Contact Hours
I	6.7	33.5	837.5
II	5.3	26.5	662.5
III	5.4	27.0	675.0
IV	5.8	29.0	725.0
Total	23.2	116.0	2900.0

Students Contact Hours to be read as contact periods. A period is usually of 50 min. duration. Average Student Contact Hours computed at 5 working days per week.

Total No. of Contact Hours computed for 25 working weeks in a year.

IndiaCode

1137

6 The Conduct of the B.El.Ed. Programme

The institutions will have to meet the following specific demands of a professional programme of study :

(a) Integrate the B.El.Ed. students with other institutions' academic as well as co-curricular, and for the use of all basic facilities such as computers, playground, library, auditorium, etc.

(b) Promote inter-disciplinary academic activities between various departments within the institutions

(c) Initiate discourse on education by organizing seminars, lectures and discussion groups for students and faculty.

(d) Professional assistance must be sought from within and outside the University/Institutions conducting specific of the programme (eg : theatre, craft, self- development workshops).

(e) The institution must initiate and sustain interaction with a cluster of at least six elementary schools. These schools shall form basic contact point for all practicum activities and related work throughout the programme of study.

(f) The institution must initiate placement services for the graduates in schools.

7 Examination, Standards and Qualification of Examiners

The following shall be integrated into the appropriate Ordinances of the University/Institution concerned which will make provisions through its Statutory Bodies for review as and when appropriate and in consultation with the NCTE.

(a) The University shall conduct the examination at the end of each year.

(b) Practicum courses may be assessed internally.

(c) A Moderation Board constituted by the concerned University/Institution shall monitor issues of quality and parity

between Institutions for all Practicum Courses and the Internship Programme.

(d) The weightage of internal assessment for all theory courses may be thirty percent and for all practicum courses hundred percent.

(e) The minimum marks required to pass the examination may be forty percent in each written paper, forty five percent in the internal assessment, fifty percent in Practicum and fifty percent in the aggregate for each year.

(f) Only those candidates who have passed in the internal assessment shall be permitted to appear in the examination.

(g) Any candidate who has obtained not less than fifty percent in aggregate but has failed in one subject only, obtaining not less than twenty five percent in that subject may be provisionally allowed to proceed to the next year on the condition that she/he will appear for a compartment examination to be held on payment of fees as per University rules. If the candidate fails to pass or fails to present herself/himself at the compartment examination she/he will be reverted to the previous year.

(h) An examiner for any of the subjects of examination shall have a minimum of three years teaching/professional experience in his/her field of study,

8 Staff, Equipment and Training

(a) Academic Faculty

-	Full -Time Faculty Strength	:	Fourteen
-	Faculty -Student Ratio	:	1 : 10
-	Number of Students	:	35 X 4 = 140
-	Part-Time Faculty Strength	:	Three

(b) The institutions shall encourage the faculty members to involve in professional practice including research.

(c) The institutions shall encourage exchange of faculty members for academic programme.

(d) Administrative Staff

- Curriculum Laboratory attendant : One
- Resource Laboratory attendant : Two
- Steno typist : Two

(e) Nature of employment of staff

All staff should be appointed on full time and regular basis. Properly constituted Selection Committee will select the candidates for all positions. The salary structure of teaching staff should be as per UGC / Govt. Norms.

(f) Selection of Faculty

Faculty of the Department of Elementary Teacher Education shall have diverse specialisation (as indicated in Table 3) alongwith a postgraduate professional degree in education* or a research degree in education* or demonstrated experience / research in the field of education*.

*Preferably elementary education.

Table 3: Profiles of Faculty Required for the Department of Elementary Education

Specialisation	No. of Posts	Essential Qualification	Special interest and Demonstrated Experience	Suggested B.El.Ed. Course to be Taught
1	2	3	4	5
Psychology/ Child Development	One	M.A. Psychology/Applied Psychology (with specialisation in Child	Work with children/ Issues of how children	Child Development Cognition

1140

	plus One	Development)/M.Sc. Child Development and Research Degree in Education M.A. Psychology/Applied Psychology (with specialisation in Clinical Psychology/Counselling) /MSW (with specialisation in Personality Development and Counselling) and P.G. Degree/ Research in Education	learn, work undertaken with children Clinical psychology/ Counselling	and Learning Related Practicum Human /Relations and Communications Related Practicum
* Preferably elementary education.				
Mathematics	One	M.A. Maths/M.Sc. Maths and Post-graduate professional degree in Education	Creative teaching methods	Core Mathematics Logico- Math Education School Contact Pedagogy of Maths
Science Biological Sciences and Physical Sciences	One plus	M.Sc. Biological Sciences and Post-graduate Professional degree in Education	Psychology of learning, curricular issues, science teaching	Core Natural Science Pedagogy of Environmental Studies

IndiaCode

1141

	One	M.Sc. Physical Sciences and Post-graduate professional degree in Education	- do -	School Contact Pedagogy of Natural Science
Social Science	One plus One	M.A. Political Science (with specialisation in Developmental Studies/Political Economy/ M.A. Sociology (with specialisation in Developmental Studies/Political and Economic systems)/MA. History (with specialisation in Philosophy of Social Sciences and P.G. Degree/Research in Education M.A. Social Sciences and a Post-graduate professional degree in Education.	Integrated applications of social sciences, environmental education, multi-disciplinary perspectives on contemporary Indian issues Pedagogic studies in social sciences, creative teaching methods	Core Social Science Contemporary India Pedagogy of Environmental Studies Pedagogy of Social Science
Linguistics	One	M.A. Linguistics/M.A. English/hindi with Diploma in	Language development in children,	Nature of Language

1142

		Linguistics and Research in language development in children/P.G. degree in Education/Research in Education.	creative language teaching.	Language Acquisition
Language : Hindi or English	One	M.A. English/ Hindi and a Post-graduate professional degree in Education.	Development of curricula materials; teaching language through innovative methods; language pedagogy	Language Across the Curriculum Related Practicum Pedagogy of Language
Education	One plus One	M.A. Philosophy and Post graduate degree in Education/Professional Degree in Education M.A. Social Science/M.Sc. Science and PG Professional Degree in Education	Educational theory, philosophy and Policy Curriculum issues, Practitioners perspective of school education.	Basic Concepts in Education Child Development Curriculum Studies Curriculum Studies Relevant units of other courses School Planning and Management
Liberal	Three	Post-graduate	Inter-	Liberal

1143

Optional (at least 4)	*	degree in the relevant subject.	disciplinary perspectives	Optional offered
Part-time Faculty :	Three **	Training and Demonstrated experience in the relevant field :		
Theatre		Theatre in Education	Capacity to use theatre for self development and in Education	Performing and Fine Arts
Craft		Craft making/training	Skill in craft making and Capacity to train others	Craft, Participatory work
Self Development		Clinical/Counselling Practice/Training in groups	Ability to conduct workshops in personal growth / counselling	Self Development Workshops
Physical Education		Training and Practice in Physical Education	Capacity to integrate varying forms of physical movement with education	Physical Education

* These would be from cooperating departments of an Institution

** Equivalent of one full-time faculty (these would be specialized resource personnel from outside the Institution)

Indiacode

1164

9 Other Facilities

The institutions shall provide facilities as follows:

Physical Facilities

The physical facilities to be provided in an institution offering the B.El.Ed. can be classified under (i) Academic area, (ii) Administrative area, and (iii) Amenities area.

- Academic area will consist of Class Rooms, Curriculum Laboratory, Resource Laboratory, Conference Room, Workshop, Auditorium, Computer Room and Library.
- Administrative area will include Principals' Room, Faculty Rooms, Central Office, Conference Room, Record Room, Computer Room and Reception Lounge.
- Amenities area will comprise Students' Common Room, Staff Room, Hall, Sports/Recreation Centres, Canteen, Cooperative Stores, Dispensary and Security Services.

10 Norms for Space

Where teacher education is provided through a Department/College as an integral part of a University/Institution having several Faculties and Departments of Studies, all Central facilities/amenities are to be shared between the Department of Elementary Education and other Departments. In the case of laboratories and workshops, necessary additional provisions need be made so that the B.El.Ed. students can make use of them. Apart from the Central Library of the University/College, a Departmental Library may also be developed to cater to the special needs of the B.El.Ed. students. The Resource Laboratory should be equipped with adequate reading material alongwith other equipment needed for Pedagogy-based practicum and other School Contact Programmes. Amenities such as Auditorium, Hall, Conference Rooms, etc. could be shared with other departments.

InfiCore

1145

11 Specific Infrastructural Facilities for Students of B.El.Ed.

(a) Curriculum Laboratory : One

The curriculum laboratory shall be the lab. area for conducting hands-on experience activity. The laboratory would serve this purpose for first year courses such as craft, core mathematics, core science and partly for core social science and for third year courses in logico-mathematics education, pedagogy of environmental studies and practicum on material development.

The lab. would contain science and mathematics related material such as apparatus, chemicals, kits, maps, globes, instruments and tools like hammer, pliers, scissors and wires. There should be work tables for small group activities. The furniture should be movable to allow for work area on the floor as well. The lab should also have provision for use of an overhead projector, notice boards and blackboard for holding classes.

(b) Resources Laboratory : One

The resources lab. shall serve the purpose of a laboratory-cum-departmental library. It should have a store and access to books, curriculum materials, children's literature, textbooks, reports and documents. These materials are essentially for use for the B.El.Ed. courses of study. Materials should be available in sufficient numbers for use by students in schools as well. The Resource Laboratory may also have computer facility for use by the faculty and students. The laboratory should have sufficient space for student meetings, classes and group discussions and reading as well.

(c) Workshop Space : Two

The institution should provide separate space for conducting specific practicum activities such as theatre workshops, self-development workshops and physical education workshops. Such

IndiaCode

1146

space should allow for free physical movement for a batch of 35-40 students.

12 Fee Structure and Scholarship

Essential

The fee structure should be as decided by the State Govt./University from time to time. In any case, the total fees and other charges collected from students should not exceed the per pupil recurring expenditure of the institution.

Desirable

Adequate free studentships may be provided for meritorious poor students. Provision for some scholarships on the basis of merit may also be made.

Nature of Employment of Staff

All staff should be appointed on full time and regular basis. Properly constituted Selection Committee will select the candidates for all positions. The salary structure of teaching staff should be as per UGC/Govt. Norms.

SCHEME FOR FOUR YEAR BACHELOR OF ELEMENTARY EDUCATION PROGRAMME (B.El.Ed.)

Annexure A

Students will be admitted to this Programme after +2

Theory				Practium				
Colloquia/Project		Encrichment						
Examination Duration	Total Marks	Contact Hours	Total Marks	Contact hours	Total Marks		Contact hours	Grand Total

IndiaCode

				per week			per week			per week	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Year I											
F1.1 Child Development	3	100	PR 1.1 per-formating & Fine Art	4	75						
F1.2 Contemporary India	3	100									
C1.1 Nature of Language	2	50	PR 1.2 Craft, Participatory Work	3	25	Colloquia Tutorial	1	50	Academic Encrichment Activities	1	
C1.2 Core Mathematics	2	50									
C1.3 Core Natural Science	2	50									
C1.4 Core Social Sciences	2	50									
		400		7	100		1	50		1	550
Year II											
F2.3 Cognitio	3	100	PR2.3 Observ	2	75						

India Code

n & Learning			ing Children								
F2.4 Language Acquisition	2	50									
F2.5 Human Relations & Communication	2	50									
P2.1 Language Across the Curriculum	2	50	PR 2.4 Self Development workshops	3	50	Colloquia Tutorial	1	50	Academic Encrichment Activities	1	
			PR 2.5 Physical Education	2	25						
Liberal Course (Optional-I)	3	100									
02.1 English I											
02.2 Hindi I											
02.3 Maths I											
02.4 Phy. I											
02.5											

IndiaCode

Chem. I												
02.6 Bio. I												
02.7 Hist. I												
02.8 Pol. Sc. I												
02.9 Geog. I												
02.10 Eco. I		350		7	150		1	50			550	

F: Foundation Course; C: Core Course: P: Pedagogy Courese; O: Optional Liberal Course; OP: Optional Pedagogy Course; OL: Optional Courses; PR: Practium; SC: School Contact Programme; SI: School Intership.

In the course nomenclature, the numeral immediately following letters (F, C, P etc.) denotes the year of the programme in which the course is to be taught. The second numeral denotes the serial number in a particular course type. For instance, F2-5 signifies that Human Relations and Communication is the 5th Foundation Course to be taught in the 2nd year of the Programme of study.

1150

APPENDIX – 4

Norms and Standards for Bachelor of education programme leading to Bachelor of Education (B.Ed) degree

1 Preamble

The Bachelor of Education programme, generally known as B.Ed., is a professional course that prepares teachers for upper primary or middle level (classes VI-VIII), secondary (classes IX-X) and senior secondary (classes XI-XII) levels.

2 Duration and working days

(1) Duration

B.Ed. programme shall be of duration of at least one academic year or two semesters.

(2) Working Days

(a) There shall be at least two hundred working days each year exclusive of the period of examination and admission, out of which at least forty days shall be for practice teaching or skill development in nearby schools.

(b) The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days), during which physical presence in the institution of all the teachers and student teachers is necessary to ensure their availability for individual advice, guidance, dialogues and consultation as and when needed.

3 Intake, Eligibility and Admission Procedure

(1) Intake

There shall be a basic unit of one hundred students divided into two sections of fifty each for general sessions and not more than twenty five students per teacher for a school subject for methods courses and other practical activities of the programme to facilitate participatory teaching and learning.

IndiaCode

(2) Eligibility

(a) Candidates with at least fifty percent marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's degree or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.

(b) The reservation in seats and relaxation in the qualifying marks in favour of the reserved categories shall be as per the rules of the concerned Government,

(3) Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government/U.T. Administration and the University.

(4) Fees

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body / State Govt. concerned in accordance with provisions of National Council for Teacher Education (Guidelines for Regulations of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, as amended from time to time and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

4 Staff

(I) Academic

(i) Number (For a basic unit of one hundred students)

Principal/Head - One

Lecturers - Seven

(ii) For additional intake will be in the multiple of one hundred and the number of full time teacher educators shall be increased by seven for each increase in the basic unit. However on each occasion additional intake of one basic unit shall be considered. Also, maximum intake capacity of a teacher training institution taking all

1152

teacher education courses together shall not exceed three hundred.

(iii) Appointment of teachers shall be such as to ensure the availability of expertise for teaching all foundation and methodology courses

(II) Qualifications

(i) Principal/Head (in multi-faculty institution) :-

(a) Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of lecturer; and
(b) Ph.D in Education
(c) Ten years teaching experience out of which at least five years teaching experience in a Secondary Teacher Education Institution.

Note:- In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Principal/Head as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Professor/Head in Education on contract basis for a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of age.

(ii) Lecturer

(a) Foundation Courses One

(i) Master's Degree in science/humanities/arts with fifty percent marks
(ii) M.Ed. with at least fifty five percent marks or its equivalent grade and
(iii) Any other stipulation prescribed by the UGC / affiliating body / State Govt. from time to time for the positions of principal and lecturers shall be mandatory

OR

(i) M.A. in Education with fifty five percent marks or its equivalent grade
(ii) B.Ed. with at least fifty five percent marks and

1153

(iii) Any other stipulation prescribed by the UGC / affiliating body / State Govt. from time to time for the positions of principal and lecturers shall be mandatory

(b) Methodology Courses — Six

(i) Master's degree in a school subject with fifty percent marks

(ii) M.Ed. degree with at least fifty five percent marks or its equivalent grade and

(iii) Any other stipulation prescribed by the UGC / affiliating body / State Govt. from time to time for the positions of principal and lecturers shall be mandatory

(c) Lecturers in Art Education - One (Part Time)

(Fine Arts / Performing Art)

Master's degree in Fine Arts / Music fifty five percent marks.

(d) Director of Physical Education (D.P.E) - One (Part Time)

Master's Degree in Physical Education with fifty five percent marks

Note (1) At least one lecturer should have specialization in ICT and another in the special education.

(III) Technical Support Staff

(a) Librarian — One

Bachelor's Degree in Library and Information Science (with fifty five percent marks).

(IV) Supporting Staff

(a) Number

1154

(i)	Office-cum-Account Assistant	-	One
(ii)	Office Assistant-cum computer operator	-	One
(iii)	Store-Keeper	-	One
(iv)	Technical Assistant / computer assistant	-	One
(v)	Lab Attendants/Helpers/Support staff	-	Two

(b) Qualifications

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

(V) Terms and conditions of service

(a) The appointment to these positions shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the UGC/ the Affiliating University / Affiliating Body.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned University/UGC.

(d) The academic staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary in such scale of pay as may be prescribed by the UGC/University from time to time, through account payee cheque or as per advice into the bank account of employee specially opened for the purpose. The supporting staff shall be paid as per the UGC/State Government/Central Government pay scale structure.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

1155

5 Facilities

(1) Infrastructure

(i) The institutions shall possess 2500 sq mts (two thousand five hundred square meters) of exclusive well demarcated land for the initial intake of one hundred students out of which 1500 sq mts (one thousand five hundred square meters) shall be the built up area and the remaining space for lawns, playfields etc. For an additional intake of one hundred students or part there of it shall possess additional land of 500 sqm. (five hundred square meters). For an annual intake beyond two hundred and upto three hundred, it shall possess land of 3500 sqm. (three thousand five hundred square meters). For the institutions established prior to this Regulations, for an additional intake of one hundred students, built up area is to be increased by 500 sqm (five hundred square meters) and the requirement of additional land may not apply to them. Total intake capacity of an institution taking into account all the teacher education courses together must not exceed three hundred students. Separate land and built up area is required for physical teacher education courses.

(ii) Built up Area for running other courses in combination with B.Ed programme shall be as under:-

	Built Up Area (in sqm)	Land Area (in Sqm)
B.Ed	1500 Sq.mts.	2500
D.E.C.Ed plus B.Ed	2500 sq. mts	3000
D.El.Ed plus B.Ed	3000 sq. mts	3000
B.Ed plus M.Ed	2000 sq. mts	3000
D.E.C.Ed plus B.Ed plus M.Ed	3000 sq. mts	3500
D.El.Ed plus B.Ed plus M.Ed	3500 sq. mts	3500
D.El.Ed plus D.E.C.Ed Plus B.Ed plus M.Ed	4000 sq. mts	4000

1156

Additional intake of one unit of B.Ed will require additional built up area of 500 sqm. (five hundred square meters)

(iii) Facilities

The institution must have the following infrastructure:

(a) Two classrooms
(b) Multipurpose Hall with seating capacity of 200 and a dias (2000 sq. ft)
(c) Library –cum-Reading Room
(d) ICT Resource Centre
(e) Psychology Resource Centre
(f) Art and Craft Resource Centre
(g) Health and Physical Education Resource Centre
(h) Science and Mathematics Resource Centre
(i) Principal's Office
(j) Staff Room
(k) Administrative Office
(l) Visitors Room
(m) Girl's Common Room
(n) Seminar Room
(o) Canteen
(p) Separate Toilet facility for Boys and Girls
(q) Parking Space
(r) Store Rooms (Two)
(s) Multipurpose Playfield
(t) Open space for Additional Accommodation

(iv) There shall be games facilities with a playground. Where there is scarcity of space as in the metropolitan towns/hilly regions, facilities for yoga, small court and indoor games may be provided.

(v) Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

(vi) The institution campus, buildings, furniture etc. should be barrier free.

(vii) Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

IndiaCode

1157

(2) Instructional

(a) The institution shall have easy access to sufficient number of recognized secondary schools within reasonable distance for field work and practice teaching related activities of the student teachers. The institution shall furnish undertaking from the schools that they are willing to provide facilities for practice teaching. Not more than ten and twenty students teachers shall be attached with a school having pupil strength up to 1000 (one thousand) and 2000 (two thousand) respectively. It is desirable that the institution has an attached school under its control.

(b) There shall be a library-cum-reading room with seating capacity for at least fifty percent students equipped with minimum 1000 (one thousand) titles and 3000 (three thousand) books including text and reference books relevant to the course of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD- ROMs) and minimum five journals of education and subscription to five others in related disciplines. The library holdings shall be augmented with addition of two hundred titles annually including books and journals published and recommended by NCTE. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the use of faculty and student-teachers. Except in the case of textbooks and reference books there shall not more than there multiple copies of each titles.

(c) There shall be a Teaching Learning Resource Centre for Science and mathematics. It shall have multiple sets of science apparatus required to perform and demonstrate the experiments prescribed in the syllabus for secondary/senior secondary classes. Chemicals, etc. should be provided in the required quantity.

(d) There shall be a Psychology Resource Centre with apparatus for simple experiments related to educational psychology.

1158

(e) There shall be ICT facilities with hardware and software including computers, TV, Camera. The ICT equipment like ROT (Receive Only Terminal), SIT (Satellite Interlinking Terminal) etc.

(f) There shall be a fully furnished Teaching Learning Resource Centre for Arts and Work Experience.

(g) Games and sports equipments for common indoor and out door games should be available.

NOTE : While developing the resource centres, the institutions are advised to consult the 'Manual for Teacher Education Institutions' brought out by NCTE.

(3) Amenities

(a) functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes;

(b) the institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers;

(c) sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students;

(d) arrangement may be made for parking of vehicles;

(e) safe drinking water be provided in the institution;

(f) effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipments.

6 Curriculum Transaction

(a) Practical work to be performed by each student

Item	Essential (Numbers)
a Lesson planning and teaching in real	Thirty lessons - fifteen

1159

	school situation including internship	lessons in each teaching subject
b	Lesson planning and teaching in simulated situation	Ten lessons- five lessons in each teaching subject
c	Observation of lessons taught by fellow students	Ten lessons – five lessons in each teaching subject
d	Action Research Project	1(one)
e	Stand alone experience of school organisation	Two days
f	Field-specific community experience	Five days

(B) Supervision of Practice lesson

Out of prescribed practice teaching lessons atleast fifty percent lessons would be supervised fully by the teacher educators and feedback given to the students orally as well as comments in writing. Record of lesson planning, teaching and supervision would be maintained.

7 (a) **General**

If more than one courses in teacher education are run by the same institution in the same campus, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space can be shared. The institution shall have only one Principal of the entire institution and Heads for different teacher education programmes offered in the institution.

(b) Managing Committee

The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules, if any of the affiliating University/concerned State Government. In the absence of such rules, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise representatives of the sponsoring society/trust, Educationists and Teacher Educators, representatives of the affiliating university and of the staff.

1160

APPENDIX – 5

Norms and Standards for Master in education programme leading to Master of Education (M.Ed) degree

1 Preamble

(1) The Master of Education (M.Ed.) programme is meant for candidates desirous of pursuing post-graduate programme in education. Besides preparing teacher educators, it also aims at preparing educational administrators, supervisors and researchers.

(2) The M.Ed. programme would comprise theoretical courses including specialized courses in the discipline of education and related practical/field work including exposure to and training in a teacher education institution. In addition, research work in the form of a dissertation would form an essential part of the programme. Depending on the actual design and declared objectives, the programme provides opportunities for students to extend as well as deepen their knowledge and understanding of Education, specialize in selected areas including Teacher Education and also acquire related research skills.

(3) Only institutions running B.Ed. programme are eligible to offer M.Ed. course except University Departments which may not be directly running a B.Ed. programme.

2 Duration and working days

(1) Duration

The M.Ed. programme shall be of a duration of one academic year.

(2) Working Days

(a) There shall be at least two hundred working days exclusive of periods of examination and admission etc., for instruction, field work for dissertation and internship in a teacher education institution.

1161

(b) The institution shall function for a minimum thirty six hours in a week (five or six days). The teacher educators are expected to be available for individual attention, guidance and counseling for the student & teacher throughout the working hours.

3 Intake, Eligibility and Admission Procedure

(1) Intake

(a) There shall be a basic unit of twenty five students. Intake upto total fifty students shall be sanctioned to such proven institutions where the quality of infrastructure, both physical and human are of high degree which can be vouched.

(2) Eligibility

(i) Candidates who have obtained at least 55% Marks in the B.Ed. degree are eligible for admission.

(ii) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of five percent marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

(3) Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government/U.T. Administration and the University.

(4) Fees

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body / State Govt concerned in accordance with provisions of NCTE (Guidelines for Regulations of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, as amended from

1162

time to time and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

4 Staff

(I) Academic

(i) **Number** (For a basic unit of 25 students)

Professor / Head	One
Reader / Associate Professor	One
Lecturer / Asst Professor	Three

(ii) For an additional intake of one unit, the faculty position shall be increased proportionately as above.

(II) Qualifications

Professor / Head

(i) Master's Degree in Arts/ Humanities/ Sciences/Commerce and M.Ed. each with a minimum of fifty five percent marks

OR

M.A. (Education) with fifty five percent marks and B.Ed each with a minimum of fifty five percent marks

(ii) Ph.D. in Education and

(iii) At least twelve years of teaching experience in University department of education or College of Education of which a minimum of five years at the M.Ed. level with published work in the area of his specialization.

Note: - In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Professor/HOD/Reader as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Professor/HOD/Reader in Education on contract basis for a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete sixty five years of age.

IndiaCode

Reader / Associate Professor

(i) Master's Degree in Arts/ Humanities/ Sciences/Commerce and M.Ed. each with a minimum of fifty five percent marks or its equivalent grade

OR

M.A. (Education) and B.Ed each with a minimum of fifty five percent marks

(ii) Ph.D. in Education and

(iii) At least eight years of teaching experience in University department of education or College of Education of which a minimum of three years at the M.Ed. level and published work in his area of specialization.

Lecturer / Assistant Professor

(i) Master's Degree in Arts/ Humanities/ Sciences/Commerce and M.Ed. each with a minimum of fifty five percent marks or its equivalent grade.

OR

M.A. (Education) and B.Ed each with a minimum of fifty five percent marks and

(ii) Any other stipulation prescribed by the UGC / Affiliating Body / State Govt from time to time for the positions of Principal and Lecturers shall be mandatory.

Note: - It is desirable that one faculty member possesses Master's Degree in Psychology and another member in Philosophy/Sociology besides M.Ed.

(III) **Technical Support Staff**

(i) **Number:**

As per the norms prescribed by the University/State Government.

IndiaCode

1164

(IV) Administrative staff

(i) Number:

As per the norms prescribed by the University/State Government.

(V) Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the UGC/Affiliating University.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.

(c) Appointment of supporting staff shall be made as per norms of the UGC/ University concerned.

(d) The academic and other staff of the institution (including part time staff) shall be paid such salary in such scale of pay as may be prescribed by the UGC/ University concerned from time to time through account payee cheque or as per advice into the Bank account of employee.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

5 Facilities

(1) Infrastructure

1165

(a) The institution must have at least 3000 sq. mts. (three thousand square meters) of exclusive well demarcated land whereupon built-up area consisting of classrooms etc. shall not be less than 2000 sq. mts (two thousand square meters) inclusive of the space meant for one Unit of B.Ed Classes. Space in each instructional room shall be 10 sq.ft. (ten square feet) per student. In addition to the infrastructure prescribed for the B.Ed programme, for an intake of one hundred or two hundred students the institution must have one classroom, one seminar room and separate rooms/ cabins for the academic faculty.

In case of University Departments of Education, not offering a B.Ed course adequate land with a built up area of 500 sqm (five hundred square meters) exclusively earmarked for the M.Ed course shall be necessary.

(b) Built up Area for running other courses in combination with M.Ed programme shall be as under:-

	Built Up Area (in sqm)	Land Area (in Sqm)
B.Ed plus M.Ed	2000 sq. mts	3000
D.E.C.Ed plus B.Ed plus M.Ed	3000 sq. mts	3500
D.El.Ed plus B.Ed plus M.Ed	3500 sq. mts	3500
D.El.Ed plus D.E.C.Ed Plus B.Ed plus M.Ed	4000 sq. mts	4000

Additional intake of one unit of M.Ed will require additional built up area of 200 sqm. (two hundred square meters).

(c) For an intake of 25 students, there shall be provision for at least one classroom, one hall/seminar room, laboratories for conducting instructional activities, separate rooms for the Professor/Head, for faculty members to accommodate seven to eight students, office for the administrative staff and a store.

(d) Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

1166

(e) The institutional campus, buildings, furniture etc. should be barrier free.

(f) Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

(g) The institutional campus, building furniture etc should be disabled friendly

(2) Instructional

(a) There shall be a library equipped with a minimum two thousand titles (there shall not be more than five copies on any one title) besides text and reference books related to all courses of study, educational encyclopedias, electronic publications (CD ROMs) and minimum five professional research journals of which at least one shall be an international publication and internet connectivity. Library resources will include books and journals published and recommended by NCTE. There shall also be provision of space for reading and reference in the library that can accommodate at least ten persons at a time. At least a hundred quality books will be added in the library every year. The library shall have photocopier and computer with internet facility for the use of faculty and students. It is also desirable that every institution has a website of its own.

(b) There shall be a well-equipped educational technology and media laboratory, with T.V. Camera and LCD for projection and software including DVDs and CDs.

(c) ICT equipments like ROT (Receive Only Terminal), SIT (Satellite Interlinking Terminal) required for using digital resources in teacher education shall be desirable.

(d) There shall be a psychology laboratory with equipments for performing experiments listed in the curriculum.

(3) Amenities

(a) Functional and appropriate furniture in required number shall be provided for instructional and other purposes, including desks, chairs and tables, bookshelves, for students and teachers, in classrooms, halls, laboratories.

(b) The institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

(c) Sufficient number of toilets, separate for men and women, shall be provided for staff and students.

(d) Safe drinking water be provided in the institution.

(e) Arrangement shall be made for a canteen, telephone facility and parking of vehicles.

(f) Effective arrangements shall be made for regular cleaning of the campus, water and toilet facilities, necessary repairs and replenishment of furniture and other equipments.

6 Curriculum Transaction

(i) Submission of a Dissertation on an approved topic shall be compulsory.

(ii) Not more than five M.Ed. students shall be assigned to a teacher educator for dissertation guidance.

(iii) Supervision of lessons delivered by B.Ed. /D.Ed. students.

(iv) Presenting instructional design and delivering at 5 practice lecturers in B.Ed / D.Ed classes.

(v) Preparation of Case study of a teacher education institution.

(vi) Audio scripting and recording video scripting and shooting, digital lesson designing, web designing.

7 General

If more than one course in teacher education are run in the same institution in the same campus, the facilities of playground, multipurpose hall, library, laboratory and instructional space may be shared (with proportionate increase in number or space in terms of books, equipment and necessary infrastructure) by all the courses. There shall be only one Principal for the entire institution

IndiaCode

11 68

and Heads for different teacher education programmes offered in the institution. The Principal of a college offering M.Ed programme shall have to be in the professor's scale and should possess the qualifications prescribed for the post of Professor in this Regulations.

IndiaCode

APPENDIX – 6

Norms and standards for Diploma in physical education programme leading to Diploma in Physical Education (D.P.Ed) degree.

1 Preamble

The Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) is a professional programme meant for preparing physical education teachers for elementary stage of school education i.e. Primary & Upper Primary

2 Duration and working days

(1) Duration

The Diploma in Physical Education programme shall be of a duration of two academic years

(2) Working Days

There shall be at least 200 working days exclusive of period of admission and examination with at least 36 working hours in a week.

3 Intake, Eligibility and Admission Procedure

(1) Intake

There shall be a basic unit of 50 students, for each year.

(2) Eligibility

(a) Senior Secondary School (+2) or its equivalent examination passed with at least fifty percent marks. However, five percent relaxation be given to those who have at least participated in international/ national/SGFI/Sports Competition or Position holders in Inter-Zonal sports competitions.

(b) The relaxation in the percentage of marks in the qualifying examination and in the reservation of seats

IndiaCode

for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable.

(3) Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the entrance examination (sports proficiency test, physical fitness test, and marks obtained in qualifying examination) or any other selection process as per the policy of the State Government.

(4) Fees

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body / State Govt concerned in accordance with provisions of NCTE (Guidelines for Regulations of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, as amended from time to time and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

4 Staff

(I) Academic

(i) Number (For a basic unit of fifty students or less with combined strength of one hundred or less for the two year course)

Principal /Head	–	One
Lecturer	–	Six

(ii) For additional intake which will be in the multiple of fifty students, the number of full time teacher educators shall be increased by six per additional unit. On each occasion additional intake of one basic unit shall be considered. However, maximum intake capacity of a physical teacher education institution taking all physical teacher education courses together will not exceed three hundred. Physical teacher education courses are not to be run with other general teacher education courses.

Indian Law

(iii) Appointment of teachers shall be so distributed as to ensure the required nature and level of expertise for teaching courses/subjects and activities related to physical education.

Apart from permanent Lecturers specialized sports trainers coaches for imparting training in at least four different games/sports shall be appointed.

(II) Qualifications:

Principal: -

(i) Academic and Professional Qualifications will be as prescribed for the post of lecturer.

(ii) At least Five years experience as Lecturer in a physical education training institution.

Head:-

(i) Academic and Professional Qualifications will be as prescribed for the post of lecturer.

(ii) At least five years experience as Lecturer in a physical education training institution

Lecturer :-

M.P.Ed. with at least fifty five percentmarks

OR

B.P.Ed with at least fifty five percent marks and eight years' experience as Physical Instructor or any other nomenclature at school level in recognized elementary school.

Sports Trainers (Part-Time) Bachelor's degree in physical education with a specialization in at least one game/sport.

(III) Technical Support Staff

(a) Number

1172

(i)	Librarian	–	One
(ii)	Physiotherapist	–	One
(iii)	Ground Men/Markers/ Helpers	–	Two
(iv)	Music Teacher/Band master	–	One Part time
(v)	ICT Instructor	–	One Part time.
(vi)	Technical Asst	-	One part-time

(b) Qualifications –

As prescribed by the concerned State Government/UT Administration.

(IV) Administrative Staff

(a) Number

(i)	Office Assistant	–	One with knowledge of working with computers
(ii)	Office Assistant	-	One
(iii)	Store Keeper	–	One
(iv)	Helpers/attendants	–	Two
(v)	Technical Assistant (Computer)	-	One

(b) Qualifications –

As prescribed by concerned State Government/UT Administration.

(V) Terms and Conditions of Service

a. The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/ Board whichever is applicable.

b. All appointments are to be made on full-time and regular excepting those specified as part-time.

1173

c. Appointment of part-time coaches and other supporting staff can be made as per norms of the Government/Board.

d. The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government/Board by account payee cheque or as per Advice into the bank account of employee specially opened for the purpose.

e. The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

f. The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

g. The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

5 Facilities

(1) Infrastructure

(a) To provide these facilities, the Management/Institution shall at the time of making application, have in its possession a minimum of five acre of exclusive well demarcated land either on ownership basis or on lease from Govt. and building constructed thereupon.

(b) There shall be provision of two class rooms per unit intake, one multi-purpose hall, one multi-purpose laboratory, seminar/tutorial rooms, separate rooms for the principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like classrooms, laboratory, library etc. space shall not be less than 10 sq.ft. (ten square feet) per student. Multi-Purpose Hall shall have the seating capacity for two hundred persons with a dias having a total area of 2000 sq.ft. (two thousand square feet).

1174

(c) There shall be a multi-purpose field for outdoor sports, at least two hundred meter track and a hall for gymnastic and indoor games and sports. In hilly regions, where availability of open space is constrained, it can be shared with other institution.

(d) Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

(e) The institutional campus, building, furniture etc. should be disabled-friendly.

(f) Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

(2) Instructional

(a) The institution must have at least five acres of land with proper fencing which shall provide enough space for institutional building and for future expansion and open space for organizing games & sports. Built up area consisting of class rooms etc. shall not be less than 1200 sqm (one thousand two hundred square meter). This must be ensured even in Hilly Regions where the total land may be less than the required 5 acres.

Built up Area for running other courses in combination with D.P.Ed programme shall be as under:-

Only D.P.Ed.	- 1200 Sq mts. (One thousand two humdred square meters).
D.P.Ed. plus B.P.Ed.	- 2700 Sq.mts. (Two thousand seven hundred square meters.)
B.P.Ed plus D.P.Ed plus M.P.Ed	- 3900 Sq.mts. (Three Hundred Nine Hundred Square Meters.)

1175

Additional intake of one unit of D.P.Ed will require additional built up area of 500 sqm (five hundred square meters).

(b) There shall be a library equipped with minimum two thousand titles and reference books related to the prescribed courses of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD-ROMs) and at least five journals on physical education and related subjects including those books and journals published and recommended by NCTE. The library shall have photocopying facility and Computer with Internet facility for the use of faculty and students teachers.

(c) Laboratories

(d) Education Technology lab equipment

Hardware for projection and duplication and educational Software required for imparting ICT literacy including the following:

Public Address System, Tape Recorder, T.V. Set, LCD Projector, One Epidiascope, Display Boards (three), Movie Camera and minimum of ten Pcs with internet connectivity.

ROT (Received only Terminal), SIT (Satellite Interlinking Terminal), Slide Projector, Photocopies machine, CDs/DVDs/ROM (20) (twenty) for various Sports/Games/ Skill teaching.

(e) Anatomy, Physiology and Health Education Laboratory

Human Skeleton(one articulated and two disarticulated
A Lever type weighing machine- one
Anthropometric Kit- one
Growth charts and body
system charts - ten
Desirable weight and

MinCode

1176

height tables - two
Skinfold calipers- two
Spirometer - two
Haemoglobino meter - one
Grip dynamometer - two
Giniometer – two
Pedometer – two
Harvard step test benches – two
Metronome - two
B.P. apparatus, (Sphygmomanometers & Stethoscopes & Stop Watches- two

(3) Sports and Field Equipments

The Sports and Field equipments will be classified in following categories :-

(a) Athletics

Hurdles, Starting Clapper, measuring tape (Steel) fifteen meter, Measuring tape (steel) thirty meter, Measuring tape (steel) fifty meter, Measuring tape (steel) one hundred meter, Wire for marking the track (fifty meter), Stop watches, Starting block, High jump stands (one pair and six cross bars), Vaulting box, Discuss – men & women, Shop-put – Men & Women, Hammers (for men & women), Stop board, Stands, for judges at finish, Flag pole, Javelin – Men & Women (including two aluminium), Take off board, Mattress, Weight Training Set (Mats), Landing for High Jump.

(b) Games

Badminton posts, Badminton net, Badminton Racket, Shuttle Cock, Basketball Stand and Board, Basketball balls, Basketball net, Cricket batting pad, Cricket Batting Gloves, Abdominal Guard, helmet, Wicket Keeping Gloves, Wicket Keepers leg guard, Stumps, Bails, Cricket Ball, Football post, Footballs, Football Goal post Net, Posts with flags, Gymnastics Apparatus (Men), Vaulting Table / Horse, Beat Board, Parallel Bar, Horizontal Bar, Roman Rings, Pummeled Horse, Gymnastics Apparatus (Women), Uneven Bar, Balance

1177

Beam (Adjustable), Gymnastics Apparatus (Women), Uneven Bar, Balance Beam (Adjustable), Gymnastics Mattresses, Handball posts, Handball – Balls, Handball goad post net, hocket posts, Hocket –balls, Hockey Stick, Hockey Goal keeping kit, Kho-Kho Pole, Lawn Tennis Posts, Tennis Balls, Tennis Racket, Table Tennis Balls, Volleyball Posts, Volleyballs, Volleyball Net, Volleyball Antenna, Weight Training Rods, Weight Plates 2.5 Kg, five Kg, ten Kg, fifteen Kg, twenty Kg, Collars, Benches, Weight Stand, One Multi-gym or separate station wise (at least ten station), Weight Belts and Weight Jackets.

(c) Equipment for indigenous activities / mass demonstration

Lezium - Fifty No., Dumbbells- fifty pairs, Indian Clubs- fifty pairs,
Flags, hoops, Wands, Balls, Umbrella, Skipping Ropes etc. Physical Activities/ Demonstration/ Display Equipment for marshal arts,

(d) Gymnastic Equipments

Beat Board, Parallel Bars, Horizontal Bars, Climbing ropes (6), Balance beams (adjustable sets), Vaulting Horse; Mats (1 doz. Coir + 1 doz rubber), Weightlifting sets/ Power – lifting set.

Note : All the sports equipments should meet the specified norms and laid down by its National Sports Federation or International Sports Federations.

(4) Cultural Activities

Suitable and adequate instruments, as and when needed for various activities shall be provided.

(5) Miscellaneous

Other equipment required for major games, minor games, recreational games, relays and combative games.

1178

(6) Amenities

(i) Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

(ii) The institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

(iii) Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

(iv) Arrangement may be made for parking of vehicles.

(v) Safe drinking water be provided in the institution

(vi) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipments.

6 (a) **General**

In case, one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space may be shared. There shall be one Principal for the entire institution and Heads for other programmes.

(b) **Managing Committee**

The institution shall have a Managing committee constituted as per the rules of the concerned State Government, if any. In the absence of such rules, the institution shall constitute the Managing committee on its own. The committee shall comprise representatives of the sponsoring society / Trust, educationists' physical education experts, representatives of the State Governments and of the staff.

IndiaCode

APPENDIX – 7

Norms and standards for Bachelor of physical education programme leading to Bachelor of Physical Education (B.P.Ed) degree.

1 Preamble

The Bachelor of Physical Education (B.P.Ed) programme is a professional course meant for preparing Trained Graduate Teachers in Physical Education mainly for upper primary/ (Class VI-VIII) and secondary (IX-X) Classes.

2 Duration and working days

(1) Duration

The B.P.Ed. Programme shall be of duration of one academic year or of two Semesters.

(2) Working Days

There shall be at least two hundred working days exclusive of period of examination and admission etc. The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days)

3 Intake, Eligibility and Admission Procedure

(1) Intake

There shall be a basic unit of one hundred students with two sections of fifty each.

(2) Eligibility

Bachelor's Degree in Physical Education with fifty percent marks.

Or

Bachelor's Degree with Physical Education as an elective subject with fifty percent marks.

India Code

Or

Bachelor's Degree in Physical education with forty five percent marks or Bachelors Degree with physical education as an elective subject with forty five percent marks and participation in National / All India Inter-university/ Inter-university competitions in sports recognized by AIU or IOA.

Or

For deputed (in-service candidates i.e trained physical education teachers / coaches) Graduate with forty five percent marks, and at least three years of teaching experience.

The reservation in seats and relaxation in the qualifying marks for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable.

(3) Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the entrance test (written test, sports proficiency test, physical fitness test and marks obtained in the qualifying examination) or any other selection process as per the policy of the University/ State Government with due weightage for physical fitness/ proficiency, as per the policy of the University/State Government.

(4) Fees

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body / State Govt concerned in accordance with provisions of NCTE (Guidelines for Regulations of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, as amended from time to time and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

IndiaCode

4 Staff

(I) Academic

(i) Number (for a basic unit of one hundred students)

Principal - One
Lecturers / Asst Professor - Eight (One lecturer should either be with MBBS degree or Master's degree in Anatomy, physiotherapy or Health Education and the remaining seven lecturers should be in Physical education.

Sports Trainers- Three (Part-Time)

Note : 4.0(1)(i) For an additional intake of one hundred students, the number of full time teacher educators shall be increased by eight lecturers in physical education.

(ii) Appointment of teachers in physical education shall be such as to ensures the availability of expertise for teaching all courses / subjects and activities related to physical education.

(iii) At least three part-time specialized persons having undertaken a specialization sport in graduate or post graduate physical education degrees, for training of competitive sports.

(II) Qualifications

Principal/Head

(i) Master's degree in Physical Education with fifty five percent marks or its equivalent grade i.e. B in the seven point scale of letter grades O, A, B, C, D, E, F.

(ii) Ph. D in Physical Education or equivalent published work in Physical education

(iii) Ten years teaching experience out of which five years experience in a college of Physical education.

1182

Note:-

In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Principal/Head as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Principal/Head in Physical Education on contract basis for a period non exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of age.

Lecturer / Assistant Professor

(i) M.P.Ed. degree with at least 55 % marks or its equivalent grade and

(ii) Any other stipulation prescribed by UGC / Affiliating Body / State Govt from time to time for the positions of Principal, Lecturers shall be mandatory.

Sports Trainers:- Essential

Bachelor degree in physical education (B.P.Ed., B.Sc. (PEHES) with specialization in at least in one of the specified sport or game.

Desirable

Diploma in Coaching will be desirable.

(III) Technical Support Staff

(a)

(i)	Librarian	- One
(ii)	Physiotherapist	- One
(iii)	Ground Men/markers/ Helpers	-Two
(iv)	Music Teacher / Band master	- One (Part-Time)
(v)	ICT Instructor	- One (Part -Time)
(vi)	Technical Assistant	- One (Part-Time)

(b) Qualifications

As prescribed by concerned State Government, affiliating University/UGC.

(IV) Administrative Staff

IndiaCode

(i) Accounts Assistant - One
(ii)Office Assistant - One
(iii) Store-Keeper - One
(iv) Helpers/attendants - Two

(V) Qualifications

As prescribed by concerned State Govt./affiliating University/UGC.

(VI) Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committees constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Affiliating University/Board whichever is applicable.

(b) All appointments shall be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time coaches and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government/University/UGC.

(d) The academic and other staff of the institutions including part-time staff shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government/University from time to time by account payee cheque or as per Advice into the Bank account of employee, especially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government/University.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

1184

5 Facilities

(1) Infrastructure

(a) There shall be provision for at least two class rooms, one multi-purpose hall, one seminar room / ten tutorial specialization class rooms, separate rooms for the Principal, faculty members, medical facility room, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like class room, laboratories, and libraries etc. spaces shall not be less than 10 sq. ft. (ten square feet) per student. Multi-purpose Hall shall have the seating capacity for at least two hundred persons with total built up area inclusive of dias as 2000 sq. mts (two thousand square meters).

(b) Built up Area for running other courses in combination with B.P.Ed programme shall be as under:-

Only B.P.Ed.	- 1500 Sq mts.
B.P.Ed. plus M.P.Ed.	- 2700 Sq.mts.
B.P.Ed plus D.P.Ed plus M.P.Ed	- 3900 Sq.mts.

Additional intake of one unit of B.P.Ed will require additional built up area of 500 sqm. (five hundred square meters).

(c) There shall be a multi-purpose play field for outdoor sports, a 400 meter (four hundred meter) athletic track (may be 200 meter (two hundred meter) in metro cities), gymnasium and a hall for indoor games and sports.

(d) The institution campus, building, furniture etc. should be disabled friendly.

(e) Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

(f) Separate hostels for boys and girls for outstation students.

IndiaCode

Note: The existing recognized institutions will have to upgrade the infrastructural requirement as per present norms before 1st April, 2012.

(2) Instructional

(a) The institution must have at least 8 acres of land with proper fencing which shall provide enough space for institutional building and for future expansion and open space for organizing games and sports. Built up area consisting of classrooms etc, shall not be less than 1500 sq.mtr. (one thousand five hundred square meter). This must be ensured even in Hilly Regions where the total land may be at least two acres for administrative building and three acres for sports/game facilities. For additional unit the built up area is to be increased by 3000 sq. ft. (three thousand square feet). The maximum intake capacity of an institution shall remain three hundred students taking all physical education courses together. Physical education courses are not to be run with other teacher education courses. Eight acres of land is sufficient for all physical education courses up to an intake capacity of three hundred students. However, built up area is to be increased for each additional intake by 3000 sq. ft. (three thousand square feet). Labs, Gym, Library, Sports facilities can be shared with other physical education courses being run in same campus.

(b) The institution shall have easy access to sufficient number (five - ten) of recognized secondary schools in the nearby area, for field work and practice teaching related activities of the student teachers. An undertaking in the prescribed format should be obtained from such institutions. It is desirable that the institution has an attached school under its own control.

(c) There shall be a library-cum-reading room, equipped with minimum two thousand titles and reference books related to the prescribed course of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD

Roms) and minimum five journals on physical education and related subjects. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the use of faculty and student- teachers.

(d) The institution shall have equipments & facilities for indoor sports, outdoor sports and physical activities, sports medicine laboratory, Educational Technology laboratory, Sports Psychology laboratory, Anatomy, Physiology and Health Education laboratory, Athletics, Sports and field equipment for athletics and games as prescribed by concerned University and suggested below.

(e) Laboratories

The institution shall have equipments and facilities for various additional laboratories as in the following paragraphs:-

(f) ICT and Educational Technology Lab

Digital Camera, Plasma T.V., DVD Recorder & Player, ROT(Received Only Terminal), SIT(Satellite Interlinking Terminal), Slide Projector, Photo Copier Machine, CDs/DVDs/ ROM for various Sports/Game/Skills Teaching (Preferably one in each sport activity), Media Projector, Video Camera (Handy Cam Digital), Desk Tops (TFT), Colour Printer, Public Address System, Display Boards (3x2), Computer Laboratory with fifteen desktops (TFT) & internet , Lap Tops for Teaching Faculty Member.

(g) Laboratory Equipments

The institution shall have equipments and facilities given below for the following laboratories:-

(i) <u>Anatomy, Physiology and Health Education Laboratory</u>

IndiaCode

Hemoglobin Meter-one
Respirometer (wet) – two
Human Skeleton -one
Weighing Machine - one
Human Body System Charts displaying all systems (at least one separate chart for each body systems) – At least ten.
Human Body organ/ System Models
Food Nutrient Charts
Communicable & Non-Communicable Diseases Charts
Road Safety Devices Charts
First Aid Box (Preliminary & Advanced), Height & Weight charts.

(ii) Human Performance Laboratory

Peak Flow Meters, Dry Spirometers, Pedometers, Hear Rate Monitor, Stop Watches (Electronic measuring time up to 1/100th of a second), Grip Dynamometers, Back and leg Dynamometer, Goniometer, Anthropometer Rods, Sliding Calipers, Skinfold Calipers, Steel Tapes, B.P. Apparatuses (Sphygmomanometers & Stethoscope), Harvard Step Test Benches, Wall Thermometer & Barometer, Metronome, Flexomeasure, Finger Dexterity Test, Reaction Time Apparatus (Visual & Audio), Food & Hand Reaction Time Apparatus, Vibrators.

(iii) Athletic Care & Rehabilitation Laboratory

Infra red Lamp, Diagnostic Table, Sterilizing Unit, First Aid Box (Preliminary & Advanced), B.P. Apparatus (Sphygmomanometer & Stethoscope), Thermometer (Clinical), Ultrasound Therapy Unit, Wheel Chair, Vision Chart, Clutches, Weighing Machine, Ice Box, Stretcher.

(iv) Desirable: Sports Psychology laboratory

1188

At least ten psychological tests and instruments for testing psychological characteristics. (With rating scales and manuals).

(h) Sports and field equipment

(i) Athletics

Hurdles (thirty), Starting Clapper (two), measuring tape (Steel) fifteen meter(one), Measuring tape (steel) thirty meter(two), Measuring tape (steel) fifty meter(one), Measuring tape (steel) one hundred meter(one), Wire for marking the track (fifty meter)(one), Stop watches (with Ten lap memory (six), Starting blocks (twenty), High jump stands (one pair and six cross bars)(one pair), Vaulting box(one), Discuss – men & women (six each), Shot-put – Men & Women (six each), Hammers (for men & women) (three each), Stop boards (two), Stands, for judges at finish (two), Flag poles (six), Javelin – Men & Women (five each including two aluminium), Take off boards (two), Mattress (forty), Weight Lifting Set (Olympic set), Landing for High Jump and Relay Baton (twelve).

(ii) Games

Badminton posts(two set), Badminton net(six), Badminton Racket, Shuttle Cock(ten barrels), Basketball Stand and Board (two set), Basketball balls(one dozen), Basketball net(four pairs), Cricket batting pad (three sets), Cricket Batting Gloves (three sets), Abdominal Guard (three), helmet (three), Wicket Keeping Gloves (two pairs), Wicket Keepers leg guard (two pairs), Stumps (twelve nos.), Bails (ten nos), Cricket Ball, Football post(two set), Footballs, Football Net(four sets), Posts with flags(eight), Handball posts(two set); Handball – Balls(one dozen), Handball – Net(four pairs), Hockey posts(two set), Hockey – balls(ten doz.), Hockey Stick (thirty), Hockey Goal keeping kit (one), Kho-Kho

1189

Pole (two set), Lawn Tennis Posts(two), Tennis Balls, Tennis racket, Table Tennis Balls(ten doz.); Volleyball Posts(two set), Volleyballs(twenty), Volleyball Net(four), Antenna (four), Weight Training Rods(ten), Weight Plates 2.5 Kg, five Kg, ten Kg, fifteen Kg, twenty Kg (ten each), Collars(twenty), Benches (four), Weight Stand (two), Squat Stand, One Multi-gym or separate station wise (at least ten station), Weight Jackets and Weight Belts.

(iii) Equipment for indigenous activities

Leziums(fifty pair) , Dumbles(fifty pair), Indian Clubs (fifty pair), Flags, hoops, and light apparatus for physical activities Demonstration/ Display Equipment for marshal arts as per need.

(iv) Gymnastic Apparatus

Parallel Bars(one set), Uneven parallel bars(one set), Horizontal bar(one set), Two roman rings(one set), Climbing ropes (Manila)(six), Mats(twelve rubber, twelve coir), Balance beam (adjustable sets) (one set), One Pummeled Horse(one set), Multigym (twelve stationed) (one set), Vaulting Table (one set), Beat board (two nos.), Crash mat (one)

(v) Cultural activities

Suitable and adequate instruments should be provided as and when needed for various activities. Other equipment required for minor games, recreational games, relays and combative sport be procured on need and specialization basis.

(3) Amenities

(i) Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

1190

(ii) The institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

(iii) Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

(iv) Arrangement may be made for parking of vehicles.

(v) Safe drinking water be provided in the institution.

(vi) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipment.

6 General

(a) In case, one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building, the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory with proportionate addition of books, equipments and instructional space may be shared.

(b) Managing Committee

The Institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules of the affiliating University/Concerned State Government, if any. In the absence of such rules, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The committee shall comprise representatives of the sponsoring society/trust, Educationists, Physical Education experts, representatives of the affiliating university and of the staff.

IndiaCode

1191

APPENDIX – 8

Norms and standards for Masters of physical education programme leading to Master of Physical Education (M.P.Ed) degree.

1 Preamble

(1) The Master of Physical Education (M.P.Ed.) is a professional physical education teacher education course meant for preparing teacher for senior secondary level as well as lecturers/directors/sports officers in colleges, teacher educators in Colleges of Physical Education and University Departments of Physical Education.

(2) Only University Departments or institutions offering B.P.Ed. programme are eligible to offer this Course.

2 Duration and working days

(1) Duration

The M.P.Ed. programme shall be of a duration of two academic years or Four Semesters.

(2) Working Days

There shall be at least two hundred working days in each academic year / one hundred working days in each Semester exclusive of period of examination and admission etc. The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days).

3 Intake, Eligibility and Admission Procedure

(1) Intake

There shall be a basic unit of forty students for each year.

(2) Eligibility

IndiaCode

(a) Candidates who have obtained at least fifty five percent marks in the B.P.Ed. degree/ or B.Sc. degree in Physical Education, Health Education and sports / are eligible for admission.

(b) The reservation in seats and relaxation in the qualifying marks for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable.

(3) Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the entrance examination (written test, fitness test, interview and percentage in qualifying examination) or any other selection process as per the policy of the State Government/University.

(4) Fees

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body / State Govt concerned in accordance with provisions of NCTE (Guidelines for Regulations of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, as amended from time to time and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

4. Staff

(I) Academic

(a) Number (For a basic unit of forty students with combined strength of eighty for the two year course.)

Professor	- one
Associate Professor /Readers	- three
Lecturers	- five
Sports Trainers	- three (part time)

The qualifications of teachers will be in the areas of study like foundation courses such as Sports psychology, Exercise Physiology, Biomechanics,

Athletics Care & Rehabilitation, Sports management, measurement-evaluation, sports training, professional preparation or any other subject included in the curriculum alongwith any one of the following sports specializations

(i) Athletics
(ii) Gymnastics
(iii) Team Game
(iv) Individual game

(II) Qualifications

(I) Professor

(i) Master's degree in Physical Education with fifty five percent marks or its equivalent grade.
(ii) Ph.D in Physical Education Or equivalent published work.
(iii) At least ten years teaching/research experience in a department / college of physical education out of which at least five years in the post graduate institution/University department.

(II) Associate Professor / Reader

(i) Masters degree in Physical Education or any relevant subject with fifty five percent marks or an equivalent grade

(ii) At least five years teaching/research experience in a department / college of physical education out of which at least three years at the post graduate level.

(iii) Ph.D in Physical Education Or equivalent published work.

Note :-
In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Professor/Reader as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Professor/Readers in Education on contract basis for

a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of post-retirement contract service.

Lecturer / Asst Professor

(i) Master's degree in Physical Education with at least fifty five percent marks or an equivalent grade and

(ii) Any other stipulation prescribed by the UGC / Affiliating Body / State Govt from time to time for the position of lecturers shall be mandatory.

Sports Trainers

(i) Essential

Degree in Physical Education (B.P.Ed.) /B.Sc.(PEHES) with specified games / sports.

Desirable

Diploma in coaching

(III) Technical Support Staff

(a) In addition to the staff required for B.P.Ed., the following staff will be required.

(i) Technical Assistants - Two
(Handle stores and labs other than the computer lab)
(ii) Computer Assistant - One
(iii) Helper / Ground Men / Marker-Two
(iv)Lab Attendants - Two

IndiaCode

(b) Qualifications

As per the norms prescribed by the concerned affiliating University/ State Government/UGC.

(IV) Terms and conditions of service:

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/ concerned State Government/Affiliating University whichever is applicable.

(b) All appointments except those specified as part-time are to be made on full-time and regular basis.

(c) Appointment of Technical & Administrative staff can be made as per norms of the concerned Government/University/UGC.

(d) The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government/University from time to time by account payee cheque or by advice into the Bank account of employees opened specially for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government/University.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

5 Facilities

(1) Infrastructure

(a) There shall be provision for four classrooms (two each for M.P.Ed 1st and 2nd year students) to accommodate twenty students each and one multi-purpose hall to accommodate two hundred persons having total area of 2000 sq.ft (two thousand square feet) inclusive of dias, four small rooms for fifteen students to conduct

1196

specialization classes, seminar/tutorial rooms, separate rooms for the Professor/Head, faculty members, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like class room, laboratory, library etc. spaces shall not be less than 10 sq.ft. (ten square feet) per student.

Built up Area for running other courses in combination with M.P.Ed programme shall be as under:-

B.P.Ed. plus M.P.Ed.	- 2700 Sq.mts.
B.P.Ed plus D.P.Ed plus M.P.Ed	- 3900 Sq.mts.

Additional intake of one unit of M.P.Ed will require additional built up area of 400 sqm (four hundred square meter) respectively.

(b) There shall be a multi-purpose hall/gymnasium for indoor sports and facilities for outdoor sports.

(c) The institution campus, building, furniture etc. should be disabled friendly.

(d) Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

(e) Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

Note: The existing recognized institutions will have to upgrade the infrastructural requirement as per present norms before 1st April, 2012.

(2) Instructional

(a) The institution must have at least 8 acres of land which shall provide enough space for institutional building and for future expansion and open space for organizing games & sports. Built up area consisting of classrooms etc. shall not be less than 1200 sq. mtr. (one thousand two hundred square meter). This must be ensured

IndiaCode

even in Hilly Regions where the total land may be at least (two acres for administrative building & three acres for sports/game facilities)

(b) There shall be a library with reading rooms facility and equipped with minimum two thousand titles and reference books related to all specializations and courses, educational encyclopedias, electronic publications (CD ROMs) and at least five journals and internet connectivity. At least one hundred quality books will be added in the library every year. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the use of faculty and students.

(c) Laboratory Equipments

In addition to the laboratories mentioned under the B.P.Ed programme, the institution offering M.P.Ed Programme shall have equipments & facilities specified for the laboratories mentioned in the succeeding paragraphs :-

(d) Exercise Physiology Laboratory

Lactate Analyzer, Body Composition Analyzer, Metabolic Analyzer, Pedometer, B.P. Apparatus (Manual), B.P. Apparatus (Electronic), Skin fold Caliper, Dry Spiro meter (5), Heart Rate Monitor, Multi Function pedometer (10), Computerized Tread Mill.

(e) Sports Psychology Laboratory

Emg Biofeedback, Questionnaires on Personality, Anxiety, Group Cohesion, Aggression, Motivation, Mental Toughness, Self-esteem, Locus of Control and such other questionnaires as per the requirement of the contents of the syllabus, Depth Perception Apparatus, Anticipation Assessment Apparatus, Finger Dexterity Test

(f) Sports Bio-Mechanics Laboratories

Force Plate, (Latest Module Complete Set), Electronic Gonimeter (Latest Module), Gait Analysis System for any time, any where alternatively pressure plate.

(g) Measurement & Sports Training Laboratory

Digital Back / Legl Dynamometer, Digital Hand Grip Dynamometer (Adult and Children), Skin fold Capilar, Anthropometry Kit (Computer) sliding & spreading, Caliper, Girth Measures – Gonimeter; Steel Taps; Flexomeasure, Hear Rate Monitor, Weighing Machine, Reaction Time Apparatus (Visual & Audio), Food & Hand Reaction Time Apparatus Vibrators.

6 Amenities

(i) Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

(ii) The institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

(iii) Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

(iv) Arrangement may be made for parking of vehicles.

(v) Safe drinking water be provided in the institution

(vi) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipment.

7 General

(a) In case, one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building, the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space may be shared. There shall be one Principal for the entire institution and heads for other departments.

India Code

(b) Managing Committee

The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules of the affiliating university/concerned State Government, if any. In the absence of such rules, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The committee shall comprise representatives of the sponsoring society/Trust, Educationists, Physical Education experts, representatives of the affiliating university and of the staff.

IndiaCode

1200

APPENDIX – 9

Norms and standards for Diploma in elementary education programme through Open and Distance Learning System leading to Diploma in elementary education (D.El.Ed)

1. Preamble

The elementary teacher education programme through Open and Distance Learning System is intended primarily for upgrading the professional competence of working teachers in the elementary schools (primary and upper primary/middle). It also envisages bringing into its fold those teachers who have entered the profession without formal teacher training.

(i) The NCTE accepts open and distance learning (ODL) system as a useful and viable mode for the training of teachers presently serving in the elementary schools. This mode is useful for providing additional education support to the teachers and several other educational functionaries working in the school system.

2 Condition of offering the course

The institutions or academic units specially established for offering ODL programmes like the National Open University, State Open Universities and the Directorates / School of Open and Distance Learning in the Central or State Universities shall be eligible to offer teacher education programmes (The Deemed to be Universities, Agricultural or Technical Universities, which specialize in a field other than teacher education and other discipline specific Universities / Institutions are not eligible to offer teacher education programme through ODL).

3 Territorial Jurisdiction

The University offering teacher education programme through ODL will have territorial jurisdiction as defined in the Act of the University.

The Study Centres of the University shall also be located in the territorial jurisdiction of the University.

4 Duration

The duration of the programme shall be of two academic sessions / years (four semesters). The commencement and completion of the programme shall be so regulated that two long spells of vacation (summer / winter / staggered) are available to the learners for guided / supervised instruction and face to face contact sessions. Sand-witching the programme between two summer vacation will be an ideal proposition.

5 INTAKE, ELIGIBILITY AND ADMISSION PROCEDURE

(1) INTAKE

The basic unit of intake for the D.El.Ed. programme shall be five hundred students subject to the condition that one Study Centre shall enroll not more than one hundred students in a given session. The request for additional unit in any programme shall be examined by the NCTE on the basis of the availability of required facilities in respect of study centres and related support in the territorial jurisdiction of the university.

(2) ELIGIBILITY

(i) Senior Secondary (Clas XII) or equivalent examination passed with fifty percent marks.

(ii) Two years teaching experience in a Government or Government recognized primary / elementary school.

(3) ADMISSION PROCEDURE

(i) The State Government shall develop a suitable procedure for the selection of candidates.

(ii) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be a relaxation of five percent marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

6 FACULTY AT THE HEADQUARTERS AND STUDY CENTRES LEVEL.

(a) Details of Faculty / Staff at the Headquarters of the institution conducting the programme

(i) The institution / University offering this teacher education programme through ODL system shall have an exclusive core full time faculty of six members with expertise in all relevant disciplines like Education, Science, Mathematics, Social Sciences and two languages English and Regional Language.

The break up of the faculty will be as follows:-

Professor	– One
Reader / Associate Professor	- One
Lecturers / Asst Professor	– Four

(ii) The faculty shall be responsible for course designing, material development, assessment of assignments, orientation of academic staff of the Study Centres, monitoring and supervision of the Study Centres, maintenance / renewal of the courses and other activities.

(iii) The faculty strength shall be increased by one for every additional unit of five hundred or part thereof of this programme.

(iv) One faculty member shall be designated as 'Programme Co-ordinator' for each programme.

(v) Teacher Educator / Supervisor engaged for various activities at the Study Centre shall be fully qualified as per NCTE norms.

(b) The details of staff required at a Study Centre shall be as follows:

Coordinator	-	One
Assistant Coordinator	-	One
Part time Academic counselors	–	

Resource persons to be engaged as per need of the programme which may preferably be in the ratio of 1:50

7 QUALIFICATIONS OF TEACHING AND ADMINISTRATIVE STAFF

(a) Teaching Staff

The academic and professional qualifications of the academic staff shall be the same as prescribed in the case of the corresponding programmes offered through the face -to-face mode. In addition, the faculty with qualifications/experience in the ODL system shall be preferred.

(b) Non –Teaching/Support Staff/Administrative Staff for H.Q.

The administrative and other support staff may be provided as per the norms outlined below:

Software Specialist/Professional	-One
Incharge Assessment and Evaluation	-One
Computer Operator for Maintaining Database	-One
Office Assistant	-One
Helper for the dispatch of study material	-One

8 Terms and conditions of service of Employees

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendation of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Board whichever is applicable.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government.

(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government for the corresponding post in Government by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee, specially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

9 Eligibility and Conditions for a Study Centre

(a) Only following category of institutions shall qualify to become the Study Centre :-

Existing Teacher Training institutions recognized by NCTE for offering the same programme in face to face mode and having all the requisite infrastructure and staff as per NCTE norms. Institutions having offered the relevant teacher education course for at least five years durations
Institutions declared as Study Centre for one course / programme by University shall not be the Study Centre for any other programme of the same or any other University / institution.

(b) (i) The number of students allotted to a Study Centre shall not exceed one hundred.

(ii) The Study Centre shall provide to the distance learners allocated to it access to its library and other physical facilities.

(iii) The Headquarters of the ODL institution may also function as a Study Centre at least for one hundred students.

IndiaCode

1205

(c) Teacher educators/ supervisors engaged for various activities of the Study Centre shall be fully qualified as per the NCTE norms.

(d) All the functionaries associated with the activities of the Study Centres must be oriented by the open university / institution in the practice of the ODL system from time to time.

(e) The request for additional unit of intake in any programme shall be examined by the NCTE on the basis of availability of required facilities in respect of study centers and related support in the territorial jurisdiction of the university. Laid down procedure shall be followed for seeking recognition for additional intake.

10 PHYSICAL INFRASTRUCTURE

(a) At Headquarter Level: Adequate number of classrooms and cubical for faculty members, an office room with photocopiers, a large room for computer operators for maintaining database of students, another room for production/processing of learning materials, a store for the storing and dispatch of learning materials and equipped with an audio-video studio for recording of lessons and production of CDs and a large Conference Room for conducting meetings/teleconferencing.

(b) AT Study Center Level: Science and psychology laboratories, workshop for practical work, sufficient number of rooms for individual guidance of trainees in methodology subjects, availability of an elementary practicing school, sufficient number of rooms for organizing contact classes. Other needed facilities like telephone, fax, photocopier machine, internet connection, computers, audio-video players, interactive multi media CD, Edusat receive only (ROT) Satellite, or interactive terminal (SIT), LCD etc.

11 LIBRARY

(a) Headquarter Library: There shall be a well-equipped library with adequate number of textbooks and reference books of

1206

school and elementary teacher education. Educational Technology Library, ICT Library, Psychological Equipment, CDs Encyclopedias, Journals of Elementary Teacher Education and Distance Education. In addition, Self-instructional material in sufficient quantity shall be available in English/Hindi/Regional Language.

(b) Study Centre Library: The libraries, laboratories and workshops of the institutions where study centers are located shall be used by the trainees during contact sessions.

12 ACADEMIC INPUTS

(a) Self-learning materials: The programme shall be conducted with full professional expertise. The self-learning material, both print and non print must be based on the pedagogy of self learning and be duly approved by the DEC. A blended learning approach (integration of methods and media) should be applied. The study materials shall be made available to the learners in the beginning of the session itself either in one go or in a phased manner as per the requirement of the programme.

(b) Contact programme: In a programme of two years' duration, the personal contact programme must be conducted at the Headquarters/ Study Centres convenient to the learners for a minimum of three hundred contact hours. The personal contact programmes should be conducted in the following forms:

(c) Academic counseling: Academic counseling sessions shall be spread over the entire duration of the programme and be conducted on a regular basis depending on the needs and convenience of the learners. The academic and personal problems related to the course shall be discussed in the counseling sessions. The counseling sessions shall be utilized for providing personalized guidance to the learners regarding fieldwork, teaching practice, projects, assignments, dissertation, time management, study skills, etc. A minimum of 144 study hours spread over two years shall be devoted to the counseling sessions. The counseling sessions shall be organized in the form of tutorials and not as teaching sessions as the learning materials provided to the learners shall perform the teaching function.

1207

(d) Workshops: In the workshops the learners shall acquire competencies and skill required by a teacher or teacher educator. Therefore they shall be engaged in certain activities as individuals or in groups. The Study Centres shall also make arrangement for practice teaching in classroom and simulated situations. The learners shall also be provided training in the preparation and use of ICT by involving them in the preparation of teaching aids, research tools, worksheets, scrapbooks, etc. The learners shall be given sufficient opportunities to practice what they have learnt from the theory courses and what they are supposed to do in the classrooms. There shall be two workshops (one each year) of 12 days' duration each. Thus in a two-year programme total 24 days (six study hours a day excluding the time for interval, lunch, etc.) a minimum 144 study hours shall be devoted to the workshops.

(e) School-based activities: The learners pursuing teacher education courses through ODL system shall be involved in activities which a teacher is supposed to perform in the school/college. The learners shall interact with a faculty member (a senior and experienced teacher/principal/faculty of the school/college where the learner is working) to work on school-based activities. Thus a learner shall be supervised/guided by the mentor for a minimum of 15 study hours.

(f) Teaching practice: The learners enrolled in D.El.Ed programmes shall plan and deliver 40 lessons (20 in each subject in case of B.Ed. and as per the requirement of other programmes) over a period of forty days. In other words, the learners shall not deliver more than one lesson in a day. After each lesson, the learner shall be provided constructive feedback on his/her performance (strengths and weakness) by the supervisors/teacher educators. Thus, the learner shall discuss with supervisors/teacher educators the preparation of the lesson plans, delivery of lessons and feedback on the lessons delivered. Thus each learner shall receive personal supervision on teaching practice for a minimum 80 study hours (two hours per lesson) in the entire duration of the programme.

InfoCode

13 EVALUATION

(a) Evaluation and feedback

A two-tier evaluation shall be used by the institution: continuous and comprehensive evaluation and term-end examinations. Due weightage shall be given to continuous and comprehensive evaluation including for participation and performance in the workshop. Assignments/project reports submitted by the learners shall be evaluated in a given time frame and returned to them along with constructive comments and suggestions so that they can improve their performance. The primary function of the evaluation of the assignments/projects should be to provide timely feedback to the learners to sustain their motivation. Evaluation of assignments, workshop-based activities, school-based activities and teaching practice should be conducted on a continuous basis. The external evaluation shall encompass questions on all the Units of syllabus and shall be assessed through Objective Type/Short Answer Type/Long Answer Type question. These questions will be decided/finalized by a Board of Examiners appointed by the examining body. The weightage for internal and external evaluation shall be in the ration of 30.:70.

(b) MONITORING AND SURPERVISION

A systematic monitoring mechanism must be in place in the distance teacher education institution. Various strategies for monitoring, such as periodic field visits by the faculty, collection of regular feedback from both the learners and the Study Centre coordinators, interaction with learners through ICT etc., and maintaining specified record by the institutions shall be applied. A suitable procedure for the appraisal of the Study Centres shall be evolved by the institution on a regular basis.

14 FEE STRUCTURE

The fees to be charged from each trainee student will be as per the decision of the University/State Government.

1209

15 SYLLABUS AND SELF-LEARNING MATERIALS

(a) Syllabus: Syllabus of D.El.Ed for regular classes shall be transformed into distance mode consisting of Blocks/Units. The Self-learning materials developed by the institution shall be approved by the DEC.

(b) Audio Video Programme: Available uplinking facility of the State Resource Centres and IGNOU shall be used.

16 PRACTICE TEACHING IN CURRICULUM ARES

The Headquarter staff shall develop curriculum, self-learning materials, model lesson plans and A.V. materials for use at the Study Centres. At the end of First and Second years, External examinations will be conducted by a Board of Examiners to be appointed by the Examining Body. Study Centres located in the Teacher Education Institutions (TEIs) shall-conduct examination of practice teaching and work experience components by appointing examiners – internal and external.

17 PRE REQUISITE FOR APPLYING FOR GRANT OF RECOGNITION OF THE PROGRAMME.

i. Before applying to the NCTE for recognition of a teacher education programme, an ODL institution shall ensure the following tasks;

ii. Preparation of the project document with details about the scope of the programme, fee structure, enrolment, faculty requirement, of Study Centres, estimated expenditure for development and implementation of the programme, norms of payment to development and implementation of the programme, norms of payment to Study Centres and resources persons, additional faculties, resources to be provided to Study Centres , etc.

iii. Approval of the appropriate university bodies for launching the programme.

iv. Preparation of curriculum (course–wise and unit-wise structure) including scheme of evaluation/examination and support services, duly approved by the University.

v. Preparation of the self-learning material in print and non-print, duly certified by the DEC.

vi. Undertaking from the identified Study Centers in a prescribed format ensuring strict observation of norms for the study centres.

vii. Staff selection process be initiated such as advertising, screening, interviewing and offering appointment to the selected candidates.

IndiaCode

12-11

APPENDIX - 10

Norms and standards for Bachelor of teacher education programme through Open and Distance Learning System leading to Bachelor of education (B.Ed) degree

1 Preamb!

The aim of B.Ed Programme through Open and Distance Learning System is to provide an opportunity to serving teachers to pursue B.Ed course for professional development.

2 Condition of offering the course

The institutions or academic unit specially established for offering ODL programmes like the National Open University, State Open Universities and the Directorates / School of Open and Distance Learning in the Central or State Universities shall be eligible to offer teacher education programmes (The Deemed to be Universities, Agricultural or Technical Universities, which specialize in a field other than teacher education and other discipline specific Universities / Institutions like language Universities / institutions etc are not eligible to offer teacher education programme through ODL).

3 Territorial Jurisdiction

The University offering teacher education programme through ODL will have territorial jurisdiction as defined in the Act of the University.

The Study Centres of the University shall also be located in the territorial jurisdiction of the University.

4 Duration

The duration of the programme should be of two academic sessions / years (four semesters). The commencement and completion of the programme should be so regulated that two long spells of vacation (summer / winter / staggered) are available to the learners for guided / supervised instruction and face to face contact sessions. Sand witching the programme between two summer vacation will be an ideal proposition.

5 Intake, Eligibility and Admission Procedure

(1) Intake

The basic unit of intake for the B.Ed. (ODL) programme shall be 500 students subject to the condition that a Study Centre shall enroll not more than one hundred students in a given session. The application for additional unit in any programme shall be examined by the NCTE on the basis of the availability of required facilities in respect of study centres and related support in the territorial jurisdiction of the university.

(2) Eligibility

(a)

(i) Graduation / Post- Graduation Degree with fifty five percent marks.

(ii) Two years teaching experience in a Government or Government recognized school.

(b) A State University will admit only those candidates who are working in schools located in the territorial jurisdiction assigned to it by the University Act.

(3) Admission Procedure

(a) The University/Institute shall develop a suitable procedure for the selection of candidates.

(b) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of five percent marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

6 Headquarters Level

(1) Academic Staff at Headquarters

The institution / University offering their teacher education programme through ODL system shall have an exclusive core full time faculty of six members with expertise in all relevant disciplines like Education, Science, Mathematics,

Social Sciences and two languages English and Regional Language.

(a) The break up of the faculty shall be as follows :-

Professor	– One
Reader / Associate Prof	- One
Lecturers / Asst Prof	– Four

(b) The faculty shall be responsible for course designing, material development, assessment of assignments, orientation of academic staff of the Study Centres, monitoring and supervision of the Study Centres, maintenance / renewal of the courses and other activities.

(c) The faculty strength shall be increased by one for every additional unit of five hundred or part thereof of the same or another programme.

(d) One faculty member shall be designated as 'Programme Co-ordinator' for each programme.

(2) QUALIFICATION OF THE ACADEMIC STAFF

The academic and professional qualification of the academic staff shall be the same as prescribed in the case of the corresponding programmes offered through the face -to-face mode. In addition, the faculty with qualifications/experience in the ODL system should be preferred.

(3) Non –Teaching/Support Staff/Administrative Staff for H.Q.

The administrative and other support staff may be provided as per the norms outlined below:

Software Specialist/Professional	-One
Incharge Assessment and Evaluation	-One
Computer Operator for Maintaining Database	-One
Office Assistant	-One
Helper for the dispatch of study material.	-One

IndiaCode

1214

7 Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Board whichever is applicable.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government.

(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee, specially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

8 Zonal /Cluster level

(a) For monitoring purposes Zonal/Cluster Coordinators shall be appointed on full time basis. One Zonal/cluster Coordinator would be in-charge of ten study centers. Zonal/Cluster Coordinator should have the qualifications prescribed for Professor/Reader/Lecturer. He or she may be a retired person. Retired Principals of senior secondary/secondary schools could also be appointed as Zonal/cluster Coordinators.

(b) Eligibility and Conditions for a Study Centre

(I) Only following category of institutions shall qualify to become the Study Centre :-

Existing Teacher Training institutions recognized by NCTE for offering the same programme in face to face

1215

mode and having all the requisite infrastructure and staff as per NCTE norms. Institutions having offered the relevant teacher training course for at least five years durations Institutions declared as Study Centre for one course / programme of a University shall not be the Study Centre for any other programme of the same or any other University.

(II) (i) The number of students allotted to a Study Centre shall not exceed one hundred.

(ii) The Study Centre shall provide to the distance learners allocated to it access to its library and other physical facilities.

(iii) The Headquarters of the ODL institution may also function as a Study Centre at least for one hundred learners.

(iv) The Study Centre shall be equipped with needed facilities such as telephone, fax, photocopy machine, internet connection, computers, audio-video players, interactive multimedia CDs, EduSat receive or interactive terminal, LCD etc.

(III) Teacher educators/ supervisors engaged for various activities of the Study Centre shall be fullv qualified as per the NCTE norms.

(IV) All the functionaries associated with the activities of the Study Centres must be oriented by the open university in the practice of the ODL system from time to time.

(V) The request for additional unit in any programmer shall be examined by the NCTE on the basis of availability of required facilities in respect of study centers and related support in the territorial jurisdiction of the university.

9 PHYSICAL INFRASTRUCTURE

(a) <u>At Headquarter Level:</u> Adequate number of classrooms and cubical for faculty members, an office room with photocopiers, a large room for computer operators for maintaining database of students, another room for production/processing of learning materials, a store for the

storing and dispatch of learning materials and equipped with an audio-video studio for recording of lessons and production of CDs and a large Conference Room for conducting meetings/teleconferencing.

(b) AT Study Center Level: Science and psychology laboratories, workshop for practical work, sufficient number of rooms for individual guidance of trainees in methodology subjects, availability of an elementary practicing school, sufficient number of rooms for organizing contact classes. Other needed facilities like telephone, fax, photocopiers machine, internet connection, computers, audio-video players, interactive multi media CD, Edusat receive only (ROT) Satellite, or interactive terminal (SIT), LCD etc.

10 LIBRARY

(a) Headquarter Library: There shall be a well-equipped library with adequate number of textbooks and reference books of school and elementary teacher education including the journals and books published and recommended by NCTE. Educational Technology Library, ICT Library, Psychological Equipment, CDs Encyclopedias, Journals of Elementary Teacher Education and Distance Education. In addition, Self-instructional material in sufficient quantity shall be available in English/Hindi/Regional Language.

(b) Study Centre Library: The libraries, laboratories and workshops of the institutions where study centers are located shall be used by the trainees during contact sessions.

11 ACADEMIC INPUTS

(a) Self-learning materials: The programme needs to be conducted with full professional expertise. The self-learning material, both print and non print shall be based on the pedagogy of self learning and be duly approved by the DEC. A blended learning approach (integration of methods and media) shall be applied. The study materials shall be made available to the learners in the beginning of the session itself either in one go or in a phased manner as per the requirement of the programme.

(b) Contact programme: In a programme of two years' duration, the personal contact programme shall be conducted at the Headquarters/ Study Centres convenient to the learners for a minimum of three hundred contact hours. The personal contact programmes shall be conducted in the following forms:

(c) Academic counseling: Academic counseling sessions shall be spread over the entire duration of the programme and be conducted on a regular basis depending on the needs and convenience of the learners. The academic and personal problems related to the course shall be discussed in the counseling sessions. The counseling sessions shall be utilized for providing personalized guidance to the learners regarding fieldwork, teaching practice, projects, assignments, dissertation, time management, study skills, etc. A minimum of 144 study hours spread over two years shall be devoted to the counseling sessions. The counseling sessions shall be organized in the form of tutorials and not as teaching sessions as the learning materials provided to the learners shall perform the teaching function.

(d) Workshops: In the workshops the learners shall acquire competencies and skill required by a teacher or teacher educator. Therefore they shall be engaged in certain activities as individuals or in groups. The Study Centres shall also make arrangement for practice teaching in classroom and simulated situations. The learners shall also be provided training in the preparation and use of ICT by involving them in the preparation of teaching aids, research tools, worksheets, scrapbooks, etc. The learners shall be given sufficient opportunities to practice what they have learnt from the theory courses and what they are supposed to do in the classrooms. There shall be two workshops (one each year) of 12 days' duration each. Thus in a two-year programme total 24 days (six study hours a day excluding the time for interval, lunch, etc.) a minimum 144 study hours shall be devoted to the workshops.

(e) School-based activities: The learners pursuing teacher education courses through ODL system shall be involved in activities which a teacher is supposed to perform in the school/college. The learners shall interact with a faculty

member (a senior and experienced teacher/principal/faculty of the school/college where the learner is working) to work on school-based activities. Thus a learner shall be supervised/guided by the mentor for a minimum of 15 study hours.

(f) Teaching practice: The learners enrolled in B.Ed. programmes shall plan and deliver forty lessons (twenty in each subject in case of B.Ed. and as per the requirement of other programmes) over a period of forty days. In other words, the learners shall not deliver more than one lesson in a day. After each lesson, the learner shall be provided constructive feedback on his/her performance (strengths and weakness) by the supervisors/teacher educators. Thus, the learner shall discuss with supervisors/teacher educators the preparation of the lesson plans, delivery of lessons and feedback on the lessons delivered. Thus each learner shall receive personal supervision on teaching practice for a minimum 80 study hours (two hours per lesson) in the entire duration of the programme.

The Headquarter staff shall develop curriculum, self-learning materials, model lesson plans and A.V. materials for use at the Study Centres. At the end of First and Second years, External examinations will be conducted by a Board of Examiners to be appointed by the Examining Body. Study Centres located in the Teacher Education Institutions (TEIs) shall-conduct examination of practice teaching and work experience components by appointing examiners – internal and external.

(g) Evaluation and feedback: A two-tier evaluation shall be used by the institution: continuous and comprehensive evaluation and term-end examinations. Due weightage shall be given to continuous and comprehensive evaluation including for participation and performance in the workshop. Assignments/project reports submitted by the learners shall be evaluated in a given time frame and returned to them along with constructive comments and suggestions so that they can improve their performance. The primary function of the evaluation of the assignments/projects should be to provide timely feedback to the learners to sustain their motivation. Evaluation of assignments, workshop-based

1219

activities, school-based activities and teaching practice should be conducted on a continuous basis. The external evaluation shall encompass questions on all the Units of syllabus and shall be assessed through Objective Type/Short Answer Type/Long Answer Type question. These questions will be decided/finalized by a Board of Examiners appointed by the examining body. The weightage for internal and external evaluation shall be in the ration of 30.:70.

12 PRACTICE TEACHING IN CURRICULUM AREAS

The Headquarter staff shall develop curriculum, self-learning materials, model lesson plans and A.V. materials for use at the Study Centres. At the end of First and Second years, External examinations will be conducted by a Board of Examiners to be appointed by the Examining Body. Study Centres located in the Teacher Education Institutions (TEIs) shall conduct examination of practice teaching and work experience components by appointing examiners – internal and external.

13 Student Support System

Full use of library of the University/Zonal/Cluster/institutional Study Centre/ shall be made available to the students of the course, as available to all regular face-to-face students.

Facilities for accessing non-print learning materials such as internet/television/VCR/OHP etc. shall be made available at the Study Centres.

Mentoring support to the students shall be provided at the Study Centres.

Audio Video Programme: Available uplinking facility of the State Resource Centres and IGNOU shall be used.

14 Monitoring And Surpervision

A systematic monitoring mechanism must be in place in the distance teacher education institution. Various strategies for monitoring, such as periodic field visits by the faculty, collection of regular feedback from both the learners and the Study Centre coordinators, interaction with learners through ICT etc., and maintaining specified record by the institutions shall be applied. A

IndiaCode

suitable procedure for the appraisal of the Study Centres shall be evolved by the institution on a regular basis.

15 Fee Structure

The fee shall be charged as prescribed by the University.

16 PRE REQUISITE FOR APPLYING FOR GRANT OF RECOGNITION OF THE PROGRAMME.

i. Before applying to the NCTE for recognition of a teacher education programme an ODL institution shall ensure the following tasks;

ii. Preparation of the project document with details about the scope of the programme, fee structure, enrolment, faculty requirement, of Study Centres, estimated expenditure for development and implementation of the programme, norms of payment to development and implementation of the programme, norms of payment to Study Centres and resources persons, additional faculties, resources to be provided to Study Centres , etc.

iii. Approval of the appropriate university bodies for launching the programme.

iv. Preparation of curriculum (course–wise and unit-wise structure) including scheme of evaluation/examination and support services, duly approved by the University.

v. Preparation of the self-learning material in print and non-print, duly certified by the DEC.

vi. Undertaking from the identified Study Centers in a prescribed format ensuring strict observation of norms for the study centres.

vii. Staff selection processes be initiated such as advertising, screening, interviewing and offering appointment to the selected candidates.

MyLawCode

APPENDIX – 11

Norms and standards for Master of education programme through Open and Distance Learning System leading to Master in Education (M.Ed) degree

1 Preamble

The aim of the M.Ed. programme through Open and Distance Learning System is to provide an opportunity to serving teachers, teacher educators, policy makers, educational administrators, educational researchers, curriculum and material developers and others in educational system to pursue M.Ed. course for professional development.

2 Course Title

Master of Education (M.Ed.)

3 Condition of offering the course

(1) Institution :-

The institutions or academic units specially established for offering ODL programmes should be eligible for offering teacher education programmes through ODL system. Thus, the National Open University and State Open Universities and the Directorates / School of Open and Distance Learning in the Central or State Universities shall be eligible to offer teacher education programmes. The Deemed to be Universities shall not be eligible to offer teacher education programmes through Distance Mode. Likewise, Agricultural or Technical Universities and subject / disciple specific universities / institutions such as Hindi, Telgu, Sanskrit etc shall not be eligible to offer teacher education programmes through ODL system.

(2) Jurisdiction

A State University is established through an Act of the concerned State Legislature, while a Central University is established through an Act of Parliament. A State University

IndiaCode

is permitted to admit students from within the territorial jurisdiction assigned to it by the Act. A Central University may have jurisdiction over more than one States, if its Act has specific provisions regarding its territorial jurisdiction. The Study Centres of the University shall also be located in the territorial jurisdiction of the University.

4 Duration

The duration of the programme shall be of two academic sessions / years (four semesters). The commencement and completion of the programme should be so regulated that two long spells of vacation (summer / winter / staggered) are available to the learners for guided / supervised instruction and face to face contact sessions. Sandwitching the programme between two summer vacation will be an ideal proportion.

5 Intake, Eligibility and Admission Procedure

(1) Intake

The basic unit for the programme shall be two hundred fifty subject to the condition that a Study Centre shall not enroll more than twenty five students in a given year. The completion of dissertation is a compulsory requirement for the M.Ed. ODL, as it is in the case of face-to-face M.Ed. programme. Application for Additional unit in this programme shall be examined by the NCTE on the basis of the availability of required facilities in respect of study centres and related support in the territorial jurisdiction of the university. The unit of additional intake in this programme shall be twenty five students only.

(2) Eligibility

B.Ed with fifty five percent Marks
Two years teaching / professional experience after completion of B.Ed programme in a Government / Government recognized school / NCTE recognized teacher education / research institution in education.

IndiaCode

(3) Admission Procedure

i) The Institution/University shall develop a suitable procedure for selection of the candidates.

ii) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

6 Facilities in the Headquarters

(1) The M.Ed. programme through Distance Education mode includes a number of activities like course designing, counseling, dissertation guidance, course development, checking students' assignments, monitoring self corrective learning materials, organizing contact programmes, orientation of the staff at study centers, etc. The faculty at the Headquarters/Nodal centers will ensure proper implementation in respect of all these. It is essential that facilities and expertise be made available both at the university head-quarters as well as study centres. The Headquarters/Nodal centre would not only act as an administrative body but also act as active resource centre. It is essential to appoint full-time well qualified staff at Headquarters/nodal centre. Additional part-time faculty should also be made available as per the needs of the students.

(2) Staff

(i) The institution / University offering this teacher education programmes through ODL system shall have an exclusive core of full time faculty of six members.

(ii) The break up of the faculty shall be as follows :-

Professor	-	One
Reader / Associate Professor	-	One
Lecturers / Asst Professor	-	Four

1224

(iii) The faculty shall be responsible for course designing, material development, assessment of assignments, orientation of academic staff of the Study Centres, monitoring and supervision of the Study Centres, maintenance / renewal of the courses and other activities.

(iv) The faculty strength shall be increased by one Professor / Reader for every additional unit of twenty five students in this programme.

(v) One faculty member should be designated as 'Programme Co-ordinator' for each programme.

(3) Qualification of the Academic Staff

The academic and professional qualification of the academic staff shall be the same as prescribed in the case of the corresponding programmes offered through the face -to-face mode. In addition, the faculty with qualifications/experience in the ODL system should be preferred.

(4) Physical Infrastructure

Rooms/cabins for faculty members, computer room, material production centre, store, office rooms, conference room, hardware and software and facilities such as audio-video studio for courseware development should be provided.

(5) Instructional Infrastructure

(i) Library

There shall be a library equipped with text and reference books on teacher education, educational encyclopedias, year-books, electronic publications, CD ROMs and research journals on teacher education, distance education etc.

1224

7 Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Board whichever is applicable.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government.

(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee, specially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

8 Eligibility and Conditions for a Study Centre

(1) Only following category of institutions shall qualify to become the Study Centre :-

Existing Teacher Training institutions recognized by NCTE for offering the same programme / course a study on face to face mode and having all the requisite infrastructure and staff as per NCTE norms. Institutions having offered the relevant teacher training course for at least five years durations Institutions declared as Study Centre for one course / programme by University shall not be the Study Centre for any other programme by the same or any other University.

(2) (i) The number of students allotted to a Study Centre shall not exceed twenty five.

1225

(ii) The Study Centre shall provide to the distance learners allocated to it access to its library and other physical facilities.

(iii) The Headquarters of the ODL institution may also function as a Study Centre at least for twenty five learners.

(3) Teacher educators/ supervisors engaged for various activities of the Study Centre shall be fully qualified as per the NCTE norms.

(4) All the functionaries associated with the activities of the Study Centres must be oriented by the open university in the practice of the ODL system from time to time.

(5) The request for additional unit in any programmer shall be examined by the NCTE on the basis of availability of required facilities in respect of study centers and related support in the territorial jurisdiction of the university.

9 Academic Inputs

(1) Self-learning materials: The programme needs to be conducted with full professional expertise. The self-learning material, both print and non print must be based on the pedagogy of self learning and be duly approved by the DEC. A blended learning approach (integration of methods and media) should be applied. The study materials should be made available to the learners in the beginning of the session itself either in one go or in a phased manner as per the requirement of the programme.

(2) Contact programme: In a programme of two years' duration, the personal contact programme must be conducted at the Headquarters/ Study Centres convenient to the learners for a minimum of three hundred contact hours. The personal contact programmes should be conducted in the following forms:

(i) Academic counseling: Academic counseling sessions shall be spread over the entire duration of the programme and be conducted on a regular basis

1226

depending on the needs and convenience of the learners. The academic and personal problems related to the course shall be discussed in the counseling sessions. The counseling sessions shall be utilized for providing personalized guidance to the learners regarding fieldwork, teaching practice, projects, assignments, dissertation, time management, study skills, etc. A minimum of one hundred forty four study hours spread over two years shall be devoted to the counseling sessions. The counseling sessions shall be organized in the form of tutorials and not as teaching sessions as the learning materials provided to the learners shall perform the teaching function.

(ii) Workshops: In the workshops the learners shall acquire competencies and skill required by a teacher or teacher educator. Therefore they shall be engaged in certain activities as individuals or in groups. The Study Centres shall also make arrangement for practice teaching in classroom and simulated situations. The learners shall also be provided training in the preparation and use of ICT by involving them in the preparation of teaching aids, research tools, worksheets, scrapbooks, etc. The learners shall be given sufficient opportunities to practice what they have learnt from the theory courses and what they are supposed to do in the classrooms. There shall be two workshops (one each year) of twelve days' duration each. Thus in a two-year programme total twenty four days (six study hours a day excluding the time for interval, lunch, etc.) a minimum one hundred forty four study hours shall be devoted to the workshops.

(iii) School-based activities: The learners pursuing teacher education courses through ODL system shall be involved in activities which a teacher is supposed to perform in the school/college. The learners shall interact with a member (a senior and experienced teacher/principal/faculty of the school/college where the learner is working) to work on school-based activities. Thus a learner shall be supervised/guided by the mentor for a minimum of fifteen study hours.

1227

(iv) Teaching practice: The learners enrolled in D.El.Ed. programmes shall plan and deliver forty lessons (twenty in each subject in case of B.Ed. and as per the requirement of other programmes) over a period of forty days. In other words, the learners shall not deliver more than one lesson in a day. After each lesson, the learner shall be provided constructive feedback on his/her performance (strengths and weakness) by the supervisors/teacher educators. Thus, the learner shall discuss with supervisors/teacher educators the preparation of the lesson plans, delivery of lessons and feedback on the lessons delivered. Thus each learner shall receive personal supervision on teaching practice for a minimum eighty study hours (two hours per lesson) in the entire duration of the programme.

10

(a) **Evaluation and feedback**:

A two-tier evaluation should be used by the institution: continuous and comprehensive evaluation and term-end examinations. Due weightage shall be given to continuous and comprehensive evaluation including for participation and performance in the workshop. Assignments/project reports submitted by the learners shall be evaluated in a given time frame and returned to them along with constructive comments and suggestions so that they can improve their performance. The primary function of the evaluation of the assignments/projects should be to provide timely feedback to the learners to sustain their motivation. Evaluation of assignments, workshop-based activities, school-based activities and teaching practice should be conducted on a continuous basis. The external evaluation shall encompass questions on all the Units of syllabus and shall be assessed through Objective Type/Short Answer Type/Long Answer Type question. These questions will be decided/finalized by a Board of Examiners appointed by the examining body. The weightage for internal and external evaluation shall be in the ration of 30.:70.

1228

(b) Student Support Services

i) Use of library of the University and its affiliated teacher education institutions will be made available to the students of the course.

ii) Facilities for accessing non-print learning materials such as Internet/television/VCR/CD PLAYER/OHP etc. shall be made available at the Study Centres.

iii) Mentoring support to the students shall be provided at the Study Centres.

(c) Monitoring and Supervision

A systematic monitoring mechanism must be in place in the distance teacher institution. Various strategies for monitoring, such as periodic field visits by the faculty, collection of regular feedback from both the learners and the Study Centre coordinators, interaction with learners through ICT etc., and maintaining specified record by the institutions should be applied. A suitable procedure for the appraisal of the Study Centres should be evolved by the institution on a regular basis.

11 Fee Structure

The fee shall be charged as prescribed by the University.

12 PRE REQUISITE FOR APPLYING FOR GRANT OF RECOGNITION OF THE PROGRAMME.

i. Before applying to the NCTE for recognition of a teacher education programme, An ODL institution shall ensure the following tasks before applying to NCTE for recognition of a teacher education programmes ;

ii. Preparation of the project document with details about the scope of the programme, fee structure, enrolment, faculty requirement, of Study Centres, estimated expenditure for development and implementation of the programme, norms of payment to development and implementation of the programme, norms of payment to Study Centres and

1229

resources persons, additional faculties, resources to be provided to Study Centres , etc.

iii. Approval of the appropriate university bodies for launching the programme.

iv. Preparation of curriculum (course–wise and unit-wise structure) including scheme of evaluation/examination and support services, duly approved by the University.

v. Preparation of the self-learning material in print and non-print, duly certified by the DEC.

vi. Undertaking from the identified Study Centers in a prescribed format ensuring strict observation of norms for the study centres.

vii. Staff selection processes be initiated such as advertising, screening, interviewing and offering appointment to the selected candidates.

IndiaCode

1230

APPENDIX – 12

Norms and Standards for Diploma in arts education (Visual Arts) programme leading to Diploma in Arts Education (Visual Arts)

1 PREAMBLE

On the pattern of all other elementary teacher education programmes, the Diploma in Art Education (Visual Arts or performing Arts) should be offered after senior secondary and should have a duration of two years. The products of the programme should be eligible to teach visual Arts of performing arts upto the end of elementary stage, that is, class VII or VIII.

2 DURATION AND WORKING DAYS

(1) Duration

The duration of the programme shall be two years.

(2) Working Days

(a) There shall be at least two hundred working days each year exclusive of the period of examination and admission, out of which at least forty days shall be for practice teaching/skill development in elementary schools.

(b) The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days).

3 INSTITUTIONS ELIGIBLE FOR OFFERING THE PROGRAMME

(I) Art education institutions
(ii) Arts and crafts teacher education institutions
(iii) Secondary teacher education institutions (B.Ed.) offering arts education as a school teaching subject.

IndiaCode

4 INTAKE, ELIGIBILITY AND ADMISSION PROCEDURE

(1) Intake

There shall be a basic unit of fifty students (painting/drawing, etc), for each year, with two sections of twenty five students each.

(2) Eligibility

Candidates with at least fifty percent marks in the senior secondary examination (+2) or its equivalent and who studied visual arts (painting/drawing, etc), as elective subject(s) at the senior secondary stage are eligible for admission.

The students who did not study visual arts at the senior secondary stage could also be considered for admission on the basis of their performance in the aptitude cum skill teat organized by the institution/examining body.

The reservation in seats and relaxation in the qualifying marks in favour of the reserved categories shall be as per the rules of the concerned State Government.

(3) Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government /UT Administration.

(4) Fee

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body/state government concerned in accordance with provision of NCTE (Guidelines for Regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institution) Regulations, 2002, as amended form time to time and shall not charge donations, capitation fee, etc. from the students.

1232

(5) STAFF

(I) Academic Faculty

(i) Number

For a basic unit of fifty students or less with combined strength of one hundred or less for the two year course.

Principal	-	One
Lecturers	-	Six

(II) Qualifications

Principal

- Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of lecturer; and
- Five years experience of teaching in arts teacher education or elementary/secondary teacher education institution.

Lecturer **Five**

Lecturer in Education **One**

Essential

M.Ed. /M.Ed. (Elementary) with fifty percent marks

OR

(i) M.A. in Education with fifty percent marks
(ii) Diploma/Degree in art education/Elementary Education /secondary education with fifty percent marks.

1233

Desirable

Proficiency in the use of computer for educational purpose.

(ii) Arts subjects **Three**

(a) Drawing and painting One
(b) Sculpture One
(c) Applied Arts One

Essential

Master's degree in fine arts (visual arts) with fifty five percent marks and specialization in the concerned subject as mentioned above.

Desirable

Degree/Diploma in education with 50% marks and proficiency in the use of computer for educational purpose.

Health and Physical Education -Instructor **One**

Essential

Post-graduation in Physical Education (M.P.Ed.) with fifty five percent marks.

Desirable

Proficiency in the use of computer for educational purpose.

Lecturer in Literature

(i) Post graduate in English or Regional language with fifty five percent marks
(ii) Degree/Diploma in education with fifty percent marks

1234

(iii) Art and craft Instructor **One**

Essential

Bachelor in fine arts with fifty percent marks

Or

Diploma in art education of two years duration with fifty five percent marks.

Desirable

Proficiency in the use of computer for art education purpose.

(iv) Librarian **One**

Bachelor degree in Library and Information Science with fifty percent marks.

IndiaCode

(III) ADMINISTRATIVE STAFF

(a) Number

(i)	UDC/Office Superintendent	-	One
(ii)	Computer Operator	-	One

(b) Qualifications

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

Note:
For additional intake of fifty students, the additional staff shall comprise five full time lecturers, one Library Assistant and one Office Assistant.

1235

(IV) Terms and conditions of service

The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the State Government concerned.

All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government.

The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government for equivalent posts in the state education system by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee.

The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of the concerned Government.

The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

6 FACILITIES

(I) Infrastructure

(a) The institutions shall posses 2500 sq. mts. (two thousand five hundred square meters) land for the initial intake of one hundred students out of which 1500 sq mts (one thousand five hundred square meters) shall be the built up area and the remaining space for lawns, playfields etc. For an

1236

additional intake of one hundred students or part thereof it shall posses additional land of 500 sq mts (five hundred square meters) out of which 300 sq mts (three hundred square meters) shall be the built up area. For an annual intake of beyond two hundred and up to three hundred, it shall posses land of 3500 sq. mts (three thousand five hundred square meters) out of which 2100 sq. mts (two thousand one hundred square meters) shall be the built up.

(b) The institution must have the following infrastructure:

(i) Two classrooms.
(ii) Multipurpose Hall with seating capacity of two hundred and a dias
(iii) Library –cum-Reading Room
(iv) Resource Centre for ET/ICT/Psychology
(v) Arts studio for painting with facilities for fifty students.
(vi) Applied arts studio with facilities for fifty students.
(vii) Sculpture studio with facilities for fifty students.
(viii) Health and physical education resourse centre.
(ix) Principal's Office
(x) Staff Room
(xi) Administrative Office
(xii) Store rooms for storing arts materials (Two)
(xiii) Girls' Common Room
(xiv) Canteen
(xv) Visitors Room
(xvi) Separate Toilet Facility for Boys and Girls
(xvii) Parking Space
(xviii) Open space for lawns, gardening activities, etc.
(xix) Store Room
(xx) Multi purpose playfield

(c) The institutional campus, building, furniture etc should be disabled friendly.

1237

(II) Instructional

(i) The institution shall have easy access to sufficient number of recognized elementary schools for field work and practice teaching related activities of student teachers. It is desirable that it has an attached elementary school of its own. The institution shall furnish undertaking from the schools willing to provide facilities for practice teaching. Not more than ten student teachers shall be attached with each school.

(ii) The institution shall establish studios and Resource Centers as given in 6(I) wherein teachers and students have access to a variety of materials and resources to support and enhance the teaching-learning process. These should include:

Books on arts and crafts, journals and magazines
Children's books
Audio-visual equipment – TV, OHP, DVD Player
Audio-visual aids, video – audio tapes, slides, films.
Teaching aids – charts, pictures
Motivational materials such as children's art works, work of well-known artists and master craft persons
Developmental assessments check lists and measurement tools.
Photocopying machine

Note:
While developing ICT/Psychology/Health and Physical education resource centres, the institutions are advised to consult the manual for teacher education institutions brought out by the NCTE.

(III) Equipment and Materials for different Activities

Easels, drawing boards, canvases, paper, colours, brushes, sculpture specific toolkit, craft specific toolkit, applied arts kit and raw materials sufficient for fifty students

(IV) Teaching and Learning Material/Aids

1238

The equipment and materials should be suitable and sufficient in quality and quantity for the variety of activities planned in the programme. These include the following:

Collection of slides on different arts, documentaries on the methods and procedures in different fields of arts, art education kits, models, play materials, books on art subjects, puppets, photographs, blow-ups, charts, flash cards handbooks, pictures, pictorial representation of children.

(V) Audio Visual Equipment

Hardware for projection and duplication and educational software facilities including TV, DVD Player, slide projector, blank audio video cassettes, video-audio tapes, slides, films, charts, pictures. ROT (Receive Only Terminal) and SIT (Satellite Interlinking Terminal) would be desirable.

(VI) Musical Instruments

Simple musical instruments such as Harmonium, Tabla, Flute, mridangam, veena, Manjira and other regional indigenous musical instruments.

(VII) Books, Journals and Magazines

A minimum of one thousand books on relevant subjects should be available during the first year of establishment of the institution and one hundred standard books be added every year. The collection of books should include children's encyclopedias, dictionaries, and reference books, books on professional education, teachers' handbooks, and books on and for children (including comics, stories, picture books/albums, and poems). The institution should subscribe to at least three journals of which at least one should be on art education.

(VIII) Games and Sports

Sports equipment for common indoor and outdoor games should be available.

IndiaCode

1239

7 (a) MANAGING COMMITTEE

The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules, if any, of the concerned State Government. In the absence of any such rule, the sponsoring society shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise representatives of the Managing Society/Trust, Educationists, Primary/Elementary Education Experts and Staff Representatives.

(b) GENERAL

If more than one courses in teacher education are run by the same institution in the same campus, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space can be shared. The institution shall have one Principal for the entire institution and Heads for different teacher education programmes offered in the institution.

ncte

1240

APPENDIX – 13

Norms and Standards for Diploma in arts education (Performing Arts) programme leading to Diploma in Arts Education (Performing Arts)

1 PREAMBLE

The programme aims at preparing performing arts teachers for elementary stage of education, that is, classes I to VIII.

2 DURATION AND WORKING DAYS

(1) Duration

The duration of arts teacher education programme shall be two academic years.

(2) Working Days

(a) There shall be at least two hundred working days each year exclusive of the period of examination and admission, out of which at least forty days shall be for practice teaching/skill development in elementary schools.

(b) The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days).

3 INSTITUTIONS ELIGIBLE FOR OFFERING THE PROGRAMME

(i) Arts and crafts teacher education institutions
(ii) Secondary teacher education institutions (B.Ed.) offering performing arts education as a school teaching subject.
(iii) Elementary teacher education institutions.

4 INTAKE, ELIGIBILITY AND ADMISSION PROCEDURE

(1) Intake

There shall be a basic unit of fifty students for each year, with two sections of twenty five students each.

IndiaCode

(2) Eligibility

Candidates with at least fifty percent marks in the senior secondary examination (+2) with music/dance as elective subject(s) at the senior secondary stage or who possess equivalent qualifications in music dance/theatre arts from recognised professional bodies are eligible for admission.

The reservation in seats and relaxation in the qualifying marks in favour of the reserved categories shall be as per the rules of the concerned State Government.

(3) Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government /UT Administration.

(4) Fee

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body/state government concerned in accordance with provision of NCTE (Guideline for Regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institution) Regulations, 2002, as amended from time to time and shall not charge donations, capitation fee, etc. from the students.

5 STAFF

(I) Academic Faculty

(i) Number

For a basic unit of fifty students or less with combined strength of one hundred or less for the two year course

Principal	-	One
Lecturers	-	Six

IndiaCode

(ii) Qualifications

(a) Principal

Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of lecturer; and

Five years experience of teaching in arts teacher education or elementary/secondary teacher education institution, or institutions of performing arts.

Lecturer	**Five**
(b) Lecturer in Education	**One**

Essential

M.Ed. /M.Ed(Elementary) with fifty percent marks

OR

(i) M.A. in Education with fifty five percent marks
(ii) Diploma/Degree in art education/Elementary Education /secondary education with fifty percent marks

Desirable

Proficiency in the use of computer for educational purpose.

(c)	**Performing Arts**	**Three**
(a)	Vocal Music	One
(b)	Instrumental Music	One
(c)	Dance/Theatre Arts	One

Essential

Master's degree in music/dance/theatre arts with fifty percent marks with specialization in the concerned discipline as mentioned above.

Desirable

MJC Code

Degree/diploma in education and proficiency in the use of computer for educational purpose.

Note:

The services of local artists and/or eminent artists may be availed from time to time as guest faculty.

(d) Health and Physical Education -Instructor **One**

Essential

Post-graduation in Physical Education (M.P.Ed.) with fifty five percent marks.

Desirable

Proficiency in the use of computer for educational purpose.

(e) Lecturer in Literature

(a) Post-graduate degree in English/Regional language with fifty five percent marks

(b) Degree/Diploma in education with fifty percent marks

(iii) Tabla Accompanist **One**

Essential

Bachelor in instrumental music (tabla) with fifty percent marks.

Or

Bachelor degree with diploma in performing arts education with fifty percent marks.

Desirable

Proficiency in the use of computer for educational purpose.

IndiaCode

(iv) **Librarian** **One**

Bachelor degree in Library and Information Science with fifty percent marks.

(II) **ADMINISTRATIVE STAFF**

(i) **Number**

(a) UDC/Office Superintendent - one
(b) Computer Operator - one

(ii) **Qualifications**

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

Note:

For additional intake of fifty students, the additional staff shall comprise five full time lecturers, one Library Assistant and one Office Assistant.

(III) **Terms and conditions of service**

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the State Government concerned.
(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.
(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government.
(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government for equivalent posts in the state education system by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee.
(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.
(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of the concerned Government.

IndiaCode

1245

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

6 FACILITIES

(1) Infrastructure

(a) The institutions shall posses 2500 sq. mts. (two thousand five hundred square meters) land for the initial intake of 100 students out of which 1500 sq mts (one thousand five hundred square meters) shall be the built up area and the remaining space for lawns, playfields etc. For an additional intake of one hundred students or part there it shall possess additional land of 500 sq mts (five hundred square meters), out of which 300 sq mts (three hundred square meters) shall be the built up area. For an annual intake of beyond two hundred and up to three hundred, it shall posses land of 3500 sq. mts (three thousand five hundred square meters) out of which 2100 sq. mts (two thousand one hundred square meters) shall be the built up area.

(b) The institution must have the following infrastructure:

(i) Two classrooms.
(ii) Multipurpose Hall with seating capacity of two hundred and a dias
(iii) Library –cum-Reading Room
(iv) Resource Centre for ET/ICT/Psychology
(v) Performing arts resource centre with proper, with mirrors.
(vi) Instrumental music room with mirrors.
(vii) Vocal music room with mirrors.
(viii) Health and physical education resourse centre.
(ix) Principal's Office
(x) Staff Room
(xi) Administrative Office
(xii) Store rooms for storing arts materials (Two)
(xiii) Girl's Common Room
(xiv) Canteen
(xv) Visitors Room
(xvi) Separate Toilet Facility for Boys and Girls
(xvii) Parking Space

(xviii) Open space for lawns, gardening activities, etc.
(xix) Store Room
(xx) Multi purpose playfield

Note:
The music rooms could be used as dressing rooms during stage shows.

(c) The institutional campus, building, furniture etc should b disabled friendly.

(2) Instructional

(a) The institution shall have easy access to sufficient number of recognized elementary schools for field work and practice teaching related activities of student teachers. It is desirable that it has an attached elementary school of its own. The institution shall furnish undertaking from the schools willing to provide facilities for practice teaching. Not more than 10 student teachers shall be attached with each school.

(b) The institution shall establish music rooms and Resource Centres as given in 6(1) wherein teachers and students have access to a variety of materials and resources to support and enhance the teaching-learning process. These should include:
Books on music/dance/theatre arts, journals and magazines.
Children's books.
Audio-visual equipment – TV, OHP, DVD Player.
Audio-visual aids, video – audio tapes, slides, films.
Teaching aids – charts, pictures.
CDs on both performing and visual arts.
Developmental assessments check lists and measurement tools.
Computers with internet facility.
Photocopying machine

Note:
While developing ICT/Psychology/Health and Physical education resourse centres, the institutions are advised to consult the manual for teacher education institutions brought out by NCTE..

1247

(3) Equipment and Materials for different Activities

(a)

(i) Basic musical instruments-harmonium, keyboard tabla, dholak/Naal, Tanpura, Hammer.
(ii) Costumes, jewellery used in various dance forms and theatrical forms.
(iii) Instruments used in hindustani and carnatak music, like sitar, Veena, Mtidangam/Pakhawaj.
(iv) Regional musical instruments.
(v) Make up material.
(vi) Costume ward.
(vii) Showcase for storing musical instruments.
(viii) Carpets, durries.

(b) Teaching and Learning Material/Aids

The equipment and materials should be suitable and sufficient in quality and quantity for the variety of activities planned in the programme. These include the following:

Collection of CDs and DVDs, documentaries on the methods and procedures in different fields of arts, art education kits, models, play materials, books on art subjects, puppets, photographs, blow-ups, charts, flash cards handbooks, pictures, etc.

(c) Audio Visual Equipment

Hardware for projection and duplication and educational software facilities including TV, DVD Player, slide projector, blank audio video cassettes, video-audio tapes, slides, films, charts, pictures. ROT (Receive Only Terminal) and SIT (Satellite Interlinking Terminal) would be desirable, microphones, headphones.

(d) Books, Journals and Magazines

A minimum of one thousand books on relevant subjects should be available during the first year of establishment of the institution and one hundred standard books be added every year. The collection of books should include children's encyclopedias, dictionaries, and reference books, books on professional education, teachers' handbooks, and books on and for children (including comics, stories, picture books/albums, and poems). The institution should

subscribe to at least three journals of which at least one should be on art education.

(e) **Games and Sports**

Sports equipment for common indoor and outdoor games should be available.

7 (a) **MANAGING COMMITTEE**

The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules, if any of the concerned State Government. In the absence of any such rule, the sponsoring society shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise representatives of the Managing Society/Trust, Educationists, Primary/Elementary Education Experts and Staff Representatives.

(b) **GENERAL**

If more than one courses in teacher education are run by the same institution in the same campus, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space can be shared. The institution shall have one Principal for the entire institution and Heads for different teacher education programmes offered in the institution.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

1249